पैरा लीगल वॉलंटीयर्स

के

कर्तव्य

पैरा लीगल वॉलंटीयर्स के कर्तव्य

1. पैरा लीगल वॉलंटीयर अपने गांव, मौहल्ले एवं आस–पास के नागरिकों को सम्मानित जीवन व्यतीत करने के लिए, उनके अधिकारों एवं संवैधानिक अधिकारों और उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी देकर या शिक्षित कर जागरूक करेगा।
2. पैरा लीगल वॉलंटीयर नागरिकों को विवादों/समस्याओं की प्रकृति के संबंध में जागरूक कर उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से अपने प्रकरणों/विवादों को निराकरण हेतु सम्पर्क करने हेतु प्रोत्साहित /जागरूक करेगा।
3. पैरा लीगल वॉलंटीयर अपने कार्यक्षेत्र में विधि व नियमों को भंग करने वाले या अन्याय करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध संबंधित जिला प्राधिकरण/तालुका समिति को दूरभाष पर या लिखित सूचना देगा या ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो प्रतिकार करने वाला हो, तुरन्त कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
4. पैरा लीगल वॉलंटीयर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति का विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने में सहयोग देगा।
5. पैरा लीगल वॉलियंटर आम नागरिकों को राज्य प्राधिकरण/जिला प्राधिकरण/तालुका समिति/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारियां देगा। उक्त संस्थाओं के पत्र व्यवहार के पतों की जानकारी देगा तथा निःशुल्क विधिक सेवाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराते हुए जागरूक करेगा।
6. पैरा लीगल वॉलंटीयर मुकदमा पूर्व विवादों को जिला प्राधिकरण/तालुका समिति के माध्यम से निपटाने के लिए प्रोत्साहित करेगा तथा यह प्रचार–प्रसार करेगा कि मुकदमा पूर्व विवाद बिना किसी व्यय व समय खर्च किये, लोक अदालतों के माध्यम से निपटाये जा सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई कोर्ट फीस भी देय नहीं है।
7. पैरा लीगल वॉलंटीयर आम नागरिकों को जानकारी देकर जागरूक करेगा कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों को लोक अदालत अथवा मध्यस्थता केन्द्र के माध्यम से समझौते के आधार पर निपटा लिये जाने पर उन प्रकरणों में पूर्व में जमा की गई कोर्ट फीस वापिस पाने के हकदार हैं तथा लोक अदालत में निर्णित प्रकरणों की कोई अपील आदि नहीं होती है।
8. पैरा लीगल वॉलंटीयर आम नागरिकों को जन–उपयोगो सेवाओं, जैसे–यातायात, डाक, तार या टेलीफोन सेवा, विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय स्वच्छता संबंधी सेवा, अस्पताल या औषधालय या बीमा संबंधी बैंकिंग सेवाओं, से संबंधित विवादों को स्थाई लोक अदालत के माध्यम से बिना खर्च के निपटाया जा सकता है, जागरूक करेगा।
9. पैरा लीगल वॉलियंटर विधिक सेवा योजनाओं से संबंधित तथा शासन द्वारा आम नागरिकों के कल्याण के लिये चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी देगा एवं वृहद प्रचार–प्रसार हेतु प्रचार सामग्री का प्रदर्शन महत्वपूर्ण प्रसिद्ध लोक स्थानों, मेलों आदि में करेगा।
10. पैरा लीगल वॉलंटीयर संबंधित जिला प्राधिकरण/तालुका समिति के अध्यक्ष के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा तथा अपने कार्यकलापों का मासिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
11. पैरा लीगल वॉलंटीयर अपने क्षेत्र में स्थापित विधिक सहायता क्लीनिकों के प्रभावी कार्य सम्पादन में सक्रिय सहयोग देगा।

कारागृह में तैनात पैरा लीगल वॉलंटीयर के कर्तव्य

12. पैरा लीगल वोलन्टियर निर्धारित दिवस, निर्धारित समय पर जेल अधीक्षक/जेलर द्वारा बताये गये स्थान या कक्ष पर उपस्थित रहेगा।
13. निर्धारित रजिस्टर का नियमित रूप से संधारण करेगा।
14. माह के अन्त में रजिस्टर का जेल अधीक्षक/जेलर से प्रमाणीकरण करायेगा।
15. जेल पर आने वाले बन्दियों को निशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता कार्यक्रमों की जानकारी देगा।
16. यदि किसी बन्दी का वकील नहीं है तो उससे विधिक सहायता का आवेदन पत्र लेकर जे.सी. वारंट के साथ सम्बन्धित न्यायालय में भिजवायेगा जिस पर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी।
17. यदि किसी बन्दी की सजा हो चुकी है और वह वकील के अभाव में अपील या रिविजन दायर नहीं कर पाया है तो उसकी जानकारी प्रति माह विजिट करने वाली विधिक जागरूकता टीम को देगा।
18. पैरा लीगल वॉलन्टियर द्वारा बन्दियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जायेगी। उनकी कठिनाईयों से जेल/जेलर अधीक्षक को अवगत कराया जायेगा। कठिनाईयों का निवारण नहीं होने पर जेल के उच्च अधिकारियों को सूचना दी जायेगी।
19. चुंकि कारागृह में पीएलवी वे कैदी होते हैं जो लंबी सजा काट रहे हैं, इसलिए उन्हें दूसरे कैदियों के विधिक–आवश्यकताओं की जानकारी होती है तथा उन्हें विधिक सेवा संस्थाओं एवं विधिक सहायता/सेवा की आवश्यकता वाले कैदियों के बीच सेतु का कार्य करना होगा।
20. वे कैदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कैदियों को उपलब्ध कराई जा रही मुफ्त विधिक सहायता के संदर्भ में लक्ष्य एवं उद्देश्यों के बारे में जागरूक करेंगे।
21. वे सभी कैदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध आवश्यक विधिक सहायता के बारे में तथा प्राधिकरण की ओर से बचाव हेतु बनाए गए पैनल अधिवक्ताओं की उपलब्धता के संदर्भ में जानकारी देंगे।
22. वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से विधिक सहायता चाहने वाले कैदियों की ओर से आवेदन लिखेंगे।
23. वे संबंधित कारागृह से कैदियों/विचाराधोन कैदियों के द्वारा कारागृह में बिताई अवधि तथा अपराध की प्रकृति का पता लगाएंगे तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को, उन विचाराधोन कैदियों जो द0प्र0स0 की धारा 436ए के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हों, की जानकारी देंगे।
24. वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कैदियों की ओर से अपील/रिविसन दायर करने के संदर्भ में सूचना देंगे।
25. वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को वैसे कैदी जिन्हें जमानत मिल चुकी है पर जमानतदारों की अनुपलब्धता के कारण कारागृह में ही संसमित हों, के बारे में सूचित करेंगे।
26. वे कारागृह के अन्दर कानून के उल्लंघन या अन्याय के कार्यों पर लगातार नजर रखेंगे तथा इसकी सूचना तुरंत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रभावी उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए करेंगे।
27. जब कोई नया कैदी कारागृह के अन्दर आता है, तो पीएलवो का यह कर्तव्य होता है कि उसके साथ बातचीत करे तथा यह अवगत हो ले कि क्या उसका कोई अधिवक्ता है या नहीं तथा इसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दें।
28. ऐसे मामलों में जब कोई कैदी उसकी तरफ से माननीय न्यायालय में अपील दायर करने को कहता है, पीएलवो का यह कर्तव्य है कि उसकी ओर से दायर किए गए अपील का नम्बर संख्या पता करे तथा

अगर वैसे कैदी के द्वारा ऐसा कोई नम्बर नहीं दिया जाता है तो उन्हें ऐसे मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करना होगा।

29. पीएलवी कैदियों के बीच लोक अदालतों, मध्यस्थता, सुलह, विवाचन, परक्रामण तथा न्यायिक समझौता के द्वारा विवादों के निपटारे के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे।
30. पीएलवो ऐसे विचाराधोन कैदी के बारे में सूचित करेंगे जो ऐसे अपराध के तहत कारागृह में संसमित हों जो सुलहनीय प्रकृति का हो, ताकि उनके मामलों का पैनल अधिवक्ता के सहायता से सुलह हो सके।
31. पीएलवो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अन.विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से कारागृह में विधिक जागरूकता शिविर लगाने में कारागृह प्राधिकारी की सहायता करेंगे।
32. ऐसे पीएलवो अन्य कैदियों को उच्च अदालतों में जमानत याचिका दायर करने के अपने अधिकार क बारे में सूचित करेंगे अगर उनकी जमानत याचिका एक न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी हो तथा यह कि इसके लिए वे निःशुल्क विधिक सहायता के हकदार है।
33. ऐसे पीएलवो को अन्य कैदियों को उच्च अदालतों में अपील/रिविजन दायर करने के अधिकार के बारे में सूचित करना होगा अगर उसे निचली अदालत के द्वारा सजा की गयी हो तथा यह कि इसके लिए वह निःशुल्क विधिक सहायता पाने का हकदार है।
34. ऐसे पीएलवीयों को उनके जेल कैदी के रूप में उनके मूल अधिकार के बारे में बतलाया जाएगा ताकि वे दूसरे कैदियों को इसके बारे में जागरूक कर सके।

मानसिक आरोग्यशाला में तैनात पैरा लीगल वॉलंटीयर्स के कर्तव्य

35. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के धारा–12 के अनुसार विकलांगता, समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता अधिनियम के धारा–2 के तहत जो दिव्यांग हैं अथवा मानसिक अस्पताल या मानसिक नर्सिंग होम में भर्ती हैं वे मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवा प्राप्त करने से सुपात्र है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, मानसिक रूप से बीमार तथा मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को विधिक सेवाएँ योजना, 2015 के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को मानसिक आरोग्यशाला अथवा संस्थान में विधिक सेवा केन्द्र खोलना जरूरी है जिसमें उन पैरा लीगल वॉलियन्टरतथा पैनल लॉयर की तैनाती की जानी चाहिए जो सम्यक् रूप से संवेदनशील हैं।
36. पैरा लीगल वॉलियन्टर स्थानीय पुलिस थाना के सहयोग से मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों– जो परित्यक्त हैं अथवा बेघर है या समुचित देख–रेख विहीन है, को मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भर्ती करायेंगे। ऐसे व्यक्तियों का इलाज तथा पुनर्वास नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पल्सी मेंटल रिटारडेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट 1999 के धारा–13 के तहत बने स्थानीय समिति के साथ सामंजस्य से किया जाएगा।
37. पैरा लीगल वॉलियन्टर जागरूकता कार्यक्रम करके देखरेख विहीन मानसिक रूप से बीमार लोगों की पहचान सुनिश्चित करेंगे। उनके मानवाधिकारों के बारे में लोगों को संवेदनशील बनायेंगे।
38. पैरा लीगल वॉलियन्टर वैसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेंगे तथा विधिक सेवा संस्थान को सौपेंगे जिन्हें न्यायालय के रिसेप्शन आदेश के बाद मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती कराया गया है। ये स्वयंसेवक उनके इलाज एवं प्रगति पर नजर रखेंगे तथा विधिक सेवा संस्थान को अवगत करावेंगे।

39. पैरा लीगल वॉलियन्टर मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भर्ती वैसे मरीजों की विमुक्ति हेतु आवेदन दिलाने में पैनल अधिवक्ता/रिटेनर अधिवक्ता की मदद लेंगे। यह आवेदन विमुक्ति के लिए इच्छुक मरीजों के वास्ते धारा–18 के तहत तथा अनिच्छुक मरीजों के लिए धारा–19 के तहत दिया जायेगा।
40. डिस्चार्ज हो चुके मरीजों की खैरियत की जांच पैरा लीगल वॉलियन्टर करेंगे। जरूरत पड़ने पर विधिक सेवा संस्थान उन व्यक्तियों की हरमुमकिन मदद करेंगे।
41. पैरा लीगल वॉलियन्टर मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा–45 तथा 46 के तहत अस्पताल में भर्ती मरीजों को अस्पताल से छुट्टी लेने में मदद करेंगे तथा इस वास्ते आवेदन देने में विधिक सेवा संस्थान की मदद लेंगे। आवश्यकता पड़ने पर धारा–49 के तहत अपील करने में भी पैरा लीगल वॉलियन्टर मरीज की सहायता करेंगे।
42. पैरा लीगल वॉलियन्टर मानसिक आरोग्य संस्थान में भर्ती मरीजों के मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर बारीक एवं पैनी नजर रखेंगे। वे हर मानवाधिकार हनन की घटना की रिपोर्ट विधिक सेवा संस्थान को करेंगे जो इसकी सूचना आवश्यक रूप से माननीय उच्च न्यायालय को देंगे।
43. पैरा लीगल वॉलियन्टर पैनल लायर्स की मदद से मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति तथा उनके परिवार की पूरी मदद करेंगे जिससे की मरीज के विधिक अभिभावक की नियुक्ति हो सके।
44. पैरा लीगल वॉलियन्टर मरीज एवं उनके परिजनों को जागरूक करेंगे कि मानसिक अस्वस्थता इलाज से पूरी तरह ठीक हो जाती है। मरीज के परिजनों को यह अवगत कराया जायेगा कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के संपति पर अधिकार को लेकर काफी सख्त कानून है तथा उसकी हिफाजत कैसे करनी है।
45. विधिक सेवा संस्थान व्यक्तिगत अथवा संस्थागत जो भी सही हो उस तरीके से मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के इलाज तथा पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे।

गुमशुदा बालकों के प्रकरणों में पैरा लीगल वालेन्टियर्स के कर्तव्य

46. पैरा लीगल वालेन्टियर को जिस थाने में नियुक्त किया गया है, वह नियुक्ति अवधि में प्रतिदिन थाने में जाएगा और गुमशुदा बालकों के मामलों की जानकारी प्राप्त करेगा।
47. गुमशुदा बालकों के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त वर्णित निर्णय दिनांक 10.05.2013 के क्रम में यह उपधारणा की जाएगी कि प्रत्येक गुमशुदा बालक का अपहरण हुआ है या बाल तस्करी हुई है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो, लिहाजा प्रत्येक बालक की गुमशुदगी के मामले में पैरा लीगल वॉलियन्टर्स सुनिश्चित करे कि सुनिश्चित कार्यवाही हो।
48. यदि बालक की गुमशुदगी के मामले में उपरोक्त पैरा से भिन्न तथ्य है, तो पुलिस द्वारा संबंधित मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी जावेगी तथा संबंधित मजिस्ट्रेट बालकों के मामलों में विशेषतः बालिका के मामलों में ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर कानूनी कार्यवाही करेगा।
49. प्रत्येक थानों में किशोर/बाल कल्याण अधिकारी (पुलिस अधिकारी) होंगें, जिनको धारा 63 जे.जे.एक्ट के तहत प्रशिक्षण दिया गया है। यदि किसी थाने में धारा 63 जे.जे.एक्ट के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किशोर/बाल कल्याण अधिकारी नहीं है, तो पैरा लीगल वालेन्टियर इसकी सूचना संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देगा।
50. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के चार माह के भीतर यदि कोई गुमशुदा बालक नहीं मिलता है, तो वह प्रकरण मानव तस्करी इकाई को भेजा जावेगा तथा ऐसी मानव तस्करी इकाई प्रत्येक तीन माह से प्रकरण

की प्रगति रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेगी, जिसकी एक प्रति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को भी भेजी जाएगी। पैरा लीगल वॉलियन्टर उक्त प्रक्रिया की अनुपालना सुनिश्चित करेगा।

51. बालक के मिलने पर प्रकरण समाप्त नही होगा, पुलिस अधिकारी इस बिन्दु पर जांच करेगा कि क्या बालक कि गुमशुदगी में बाल तस्करी की भूमिका है, यदि हॉ तो, ऐसे लिंक बाबत् अनुसंधान करेगा और आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
52. पैरा लीगल वॉलियन्टर गुमशुदा बालको की सूचना को जिपनेट व **www.trackthemmissingchild.gov.in** पर मय फोटो अपलोड करना सुनिश्चित करेगा।
53. गुमशुदा बालकों के संबंध में समस्त जानकारी निम्न को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगा :–
    1. जिला मानव तस्करी एवं गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ (जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय)।
    2. राज्य स्तरीय मानव तस्करी एवं गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ (राजस्थान पुलिस मुख्यालय, हवा महल के पीछे जयपुर)।
    3. स्टेट क्राईम रिपोर्ट ब्यूरो (राजस्थान पुलिस अकादमी, पानीपेच, जयपुर)।
    4. नेशनल क्राईम रिपोर्ट ब्यूरो, नई दिल्ली।
    5. राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
    6. जिला बाल कल्याण समिति।
54. प्रत्येक गुमशुदा बालक के मिलने पर ऐसे बालक के फोटोग्राफ समाचार पत्र/ वेब साईट, टी.वी व रेडियों पर प्रकाशित/प्रसारित किया जावेगा ताकि गुमशुदा बालक के परिजनों को इसकी सूचना मिल सके।
55. पैरा लीगल वालेन्टियर गुमशुदा बालक के परिवारजन से भी सत्त सम्पर्क रखेगा और किये जा रहे कार्यों से अवगत करायेगा।
56. गुमशुदा बालक के वापिस मिलने पर उसके माता/पिता/अभिभावक के संरक्षण में पहुॅचना सुनिश्चित करेगा।
57. किसी बालक को पुलिस सीधे ही प्राईवेट बाल गृह में नहीं भेज सकती है। पुलिस जे.जे.एक्ट के तहत पंजीकृत बाल गृह मे बाल कल्याण समिति के माध्यम से ही बालक को बाल गृह में भेज सकती है। पैरा लीगल वॉलियन्टर उक्त प्रक्रिया की अनुपालना सुनिश्चित करेगा।

बाल लैंगिक हिंसा के प्रकरणों में पैरा लीगल वालेन्टियर्स के कर्तव्यः–

पैरा लीगल वॉलियन्टर्स उक्त प्रकरणों में निम्न जानकारियों का प्रचार करेगाः–

58. भारतीय संसद द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं नियम 2012 ''दिनांक 14.11.2012 से सम्पूर्ण भारत वर्ष में लागू किये गये हैं।
59. इस अधिनियम द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के एवं लड़कियों के विरूद्ध होने वाली विभिन्न प्रकार की यौन हिंसा को अपराध घोषित किया गया है। यह कानून लिंग समान (gender neutral) है, इस में पीड़ित व्यक्ति लड़का या लड़की कोई भी हो सकते है।
60. पीड़ित बालक के बयान लिखते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नही होगा। पीड़ित बालक को किसी भी कारण से रात्रि में पुलिस थाने में नहीं रखा जायेगा।
61. बालक के बयान साधारणतया जहॉ वह निवास करता है या उसके पसंद के स्थान पर लिखे जायेगें, तथा जहॉ तक संभव हो उपनिरीक्षक से अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखे जायेगें।

62. पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से संरक्षित रहे जब तक की बालक के हित में न्यायालय द्वारा निर्देश नही दिया गया हो।
63. पुलिस यह भी सुनिश्चित करेगी कि बालक अभियुक्त के सम्पर्क में नहीं आवे।
64. पीड़ित बालक के बयान उसके परिवार जन या किसी अन्य व्यक्ति जिस पर बालक भरोसा या विश्वास करता हो, की उपस्थित में अथवा किसी एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि/समर्थन व्यक्ति/बाल कल्याण अधिकारी द्वारा नामित व्यक्ति के उपस्थिति में दर्ज किये जाऐंगें।
65. पीड़ित बालक के बयान को अक्षरशः दर्ज किया जावेगा, जहॉ आवश्यक है वहॉ बालक के कथन/बयानों की आडियो–विडियो रिकार्डिगं की जायेगी।
66. प्रत्येक मामले में रिपोर्ट 24 घंटे के अन्दर बाल कल्याण समिति और संबंधित विशेष न्यायालय को प्रेषित की जाऐगी।
67. जहॉ बालक के विरूद्ध परिवार के किसी सदस्य द्वारा लैंगिक अपराध की शिकायत मिलती है वहॉ बालक को 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जावेगा तथा बाल कल्याण समिति तीन दिवस के भीतर निर्णय लेगा कि बालक को उसके कुटुबं की साझी गृहस्थ की अभिरक्षा से अलग ले जाने और उसे कियी बालगृह या आश्रयगृह में रखने की आवश्यकता है अथवा नहीं ?
68. पीड़ित बालक की चिकित्सा करते समय डाक्टर प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद रजिस्टर होने की मांग नही कर सकता है।
69. प्रवेशन लैंगिक हमले के मामले में कोई भी सरकारी या प्राईवेट डाक्टर निःशुल्क ईलाज करने से मना नही कर सकता है तथा मजिस्ट्रेट या पुलिस के आदेश की मांग भी नही कर सकता है।
70. बालिका की चिकित्सीय जॉच महिला डाक्टर द्वारा ही की जाऐगी।
71. इस अधिनियम के जरिये आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तय की गयी है।
72. पीड़ित बालक या उसके परिवारजन पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत नियमानुसार मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
73. इस अधिनियम के जरिये बालक या बालिका का अश्लील प्रयोजन से पीछा करना, इशारे करना अश्लील फोटो लेना या मोबाईल या कम्पूटर में डाउन लोड करना, लैंगिक उत्पीड़न/लैंगिक शोषण, लैंगिक प्रताड़ना/अश्लील चित्र दिखाना, बालको से अश्लील टिप्पणी आदि सभी से सुरक्षा प्रदान की गई है।
74. सहायक व्यक्ति (support person) ऐसा व्यक्ति होता है, जिसे बाल कल्याण समिति पीड़ित बालक की सहायता के लिए नियुक्त करती है। ऐसे सहायक व्यक्ति को अन्वेषण जांच व विचारण के दौरान बालक की सहायता करने का अधिकार होता है, लिहाजा बालक के बयान लेते समय तथा चिकित्सीय जांच के समय बालक की सहमति के बिना सहायक व्यक्ति को हटाया नही जा सकता है।
75. मानसिक या शारीरिक निःशक्तता वाले बालक के मामले में किसी विशेष शिक्षक या बालक से सम्पर्क की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ से जो ऐसी योग्यता या अनुभव रखता है, निर्धारित फीस पर मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी सहायता ले सकेगा।
76. बालक द्वारा बोली जाने वाली भाषा और राज्य की राज भाषा अलग–अलग होने पर द्विभाषिया, अनुवादक और विशेष शिक्षक की स्थानीय पुलिस, मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायालय द्वारा आवश्यकता होने पर सहायता ली जा सकेगी। ऐसे व्यक्तियों का रजिस्टर जिला बाल संरक्षण ईकाई संधारित करेगी।

77. POCSO नियम 3(6) के तहत ऐसे द्विभाषीय, अनुवादक, विशेष शिक्षक या विशेषज्ञों की सेवाओं का भुगतान जे.जे.एक्ट की धारा 61 के अधीन अनुरक्षित निधि से या जिला बाल संरक्षण इकाई के नियन्त्रण वाली निधि से निर्धारित दरों पर भुगतान किया जावेगा।

विधिक सेवा केन्द्रो पर तैनात पैरा लीगल वोलन्टियर के कर्तव्य

78. विधिक सेवा केन्द्र पर निर्धारित दिवस पर निर्धारित समयावधि में उपस्थित रहेगा।
79. सहज दृश्य स्थान पर लगाई गयी फ्लेक्स शीट को सही स्थिति में रखेगा एवं खराब होने पर तुरंत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित कर सही कराने या नई लगवाने की कार्यवाही करेगा।
80. नियमित रूप से रजिस्टर का संधारण करेगा और माह के अन्त में स्थानीय अधिकारी से प्रमाणीकरण करवायेगा।
81. पैरा लीगल वोलन्टियर अपने संपर्क में आने वाले लोगों को विधिक सेवा संस्थाओं एवं विधिक सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी देगा, इनका प्रचार–प्रसार करने में कोई कसर नहीं रखेगा।
82. केन्द्र पर आने वाले लोगों को वैकल्पिक विवाद–निस्तारण तकनीक अर्थात् लोक अदालत, मध्यस्थता आदि के उपयोग एंव उनके लाभों के बारे में बतायेगा। अधिक जानकारी के लिए पैम्पलेट पढ़ने के लिए देगा।
83. केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक लाभार्थी की समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ धैर्यपूर्वक सुनेगा, उसे अपने पास मौजूद पैरा लीगल वोलन्टियर निर्देशिका की सहायता से उचित सलाह देगा। जटिल मामला होने पर स्थानीय वरिष्ठतम न्यायाधीश (तालुका अध्यक्ष) या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के फ्रन्ट ऑफिस में सम्पर्क करने की सलाह देगा।
84. प्रत्येक लाभार्थी को उसकी पात्रता के अनुरूप लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बतायेगा।
85. लोक कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन तैयार करने एवं आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने में लाभार्थियों की मदद करेगा।
86. विधिक सेवा कार्यक्रमों का पेम्फलेट केन्द्र पर आने वाले पात्र लोगों को पढ़ने हेतु उपलब्ध करायेगा और आवश्यकता बताने पर उसे देगा जिसका रजिस्टर में इन्द्राज करेगा।
87. यदि निर्धारित दिन पर ग्राम सभा हो तो ग्राम सभा में भी विधिक सेवा कार्यक्रमों की जानकारी दी जावेगी।
88. प्रत्येक माह के अन्त में सम्बन्धित माह के रजिस्टर में किये गये इन्द्राज मय प्रमाणीकरण की स्व–प्रमाणित फोटो प्रति अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेगा।

पुलिस थानों पर तैनात पैरा लीगल वोलन्टियर के कर्तव्य

89. पैरा लीगल वोलन्टियर निर्धारित दिवस, निर्धारित समय पर पुलिस थाने पर थानाधिकारी द्वारा बताये गये स्थान या कक्ष पर उपस्थित रहेगा।
90. निर्धारित रजिस्टर का नियमित रूप से संधारण करेगा।
91. माह के अन्त में रजिस्टर थानाधिकारी से प्रमाणीकरण करायेगा।
92. थाने पर आने वाले परिवादी या अभियुक्त को निशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता कार्यक्रमों की जानकारी देगा।
93. अपराध से पीडित पक्ष को पीडित प्रतिकर स्कीम के प्रावधानों की जानकारी देंगे साथ ही राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिपत्र क्रमांक – 5 दिनांक 27.02.2015 के अनुरूप थानाधिकारी से प्रमाण पत्र जारी कराने की कार्यवाही करेगा।

94. केन्द्र पर आने वाले लोगों को वैकल्पिक विवाद निस्तारण तकनीक अर्थात लोक अदालत, मध्यस्थता आदि के उपयोग एवं उनके लाभों के बारे में बतायेगा अधिक जानकारी के लिए पेम्फलेट पढने के लिए देगा।
95. केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक लाभार्थी की समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ धैर्यपूर्वक सुनेगा, उसे अपने पास मौजूद पैरा लीगल वोलन्टियर निर्देशिका की सहायता से उचित सलाह देगा। जटिल मामला होने पर स्थानीय वरिष्ठतम न्यायाधीश (तालुका अध्यक्ष) या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के फ्रन्ट ऑफिस में सम्पर्क करने की सलाह देगा।
96. विधिक सेवा कार्यक्रमों का पेम्फलेट केन्द्र पर आने वाले पात्र लोगों को पढ़ने हेतु उपलब्ध करायेगा और आवश्यकता बताने पर उसे देगा जिसका रजिस्टर में इन्द्राज करेगा।
97. प्रत्येक माह के अन्त में सम्बन्धित माह के रजिस्टर में किये गये इन्द्राज मय प्रमाणीकरण की स्व–प्रमाणित फोटो प्रति अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेगा।

रालसा एवं नालसा

के

आवश्यक

पत्र/परिपत्र

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481,2227555, FAX: 2227602, Help line No.15100)

क्रमांक :–राल्सा/सामान्य/2012/3121–3338 दिनांक :–02.05.2012

प्रेषितिः–

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
समस्त राजस्थान।

अध्यक्ष,
तालुक विधिक सेवा समिति,
(ए.डी.जे./ए.सी.जे.एम./जे.एम.)
समस्त राजस्थान।

विषयः– राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी स्कीम National Legal Services Authority Legal Aid Clinic Regulation 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी पत्र दिनांक 24–5–2010, 27–9–2010, 9–6–2011 द्वारा इस क्रम में जारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण Legal Aid Clinic Regulation 2011, Para Legal Volunteer Scheme तथा Annual Action Plan 2011-12, 2012-13 द्वारा प्रत्येक Legal Services Institution (जहॉ कि जिला प्राधिकरण, तालुका समिति स्थापित है) ग्राम पंचायत अथवा Cluster Of Villages, जेल, विधि महाविधालय, विधि विश्व–विधालय, नगर पालिका, नगर–निगम अथवा अन्य स्थान जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष उचित समझे, विधिक सहायता क्लिनिक (Legal Aid Clinic) खोले जाकर प्रभावी रूप से संचालित किये जाने हेतु निर्देशित किया हुआ है। इस संबंध में विस्तृत प्रावधान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (Legal Aid Clinic) Regulation 2011 के विनियम 14 में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस हेतु राज्य में दिशा निर्देश जारी किया जाना अपेक्षित किया हुआ है।

वर्णित Regulation 2011 एवं संबंधित Para Legal Volunteer Scheme की प्रतियां यद्यपि इस कार्यालय द्वारा आपको पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है किन्तु पत्र के सन्दर्भ में पुनः संलग्न कर पालनार्थ प्रेषित की जा रही है।

वर्णित रेगूलेशनस के क्रियान्वन हेतु प्रावधान, प्रक्रिया, विस्तृत गाईड लाईन्स, संधारित किये जाने वाले अभिलेख एवं इस क्रम में पैरा लीगल वोलेन्टीयरों के चयन, पात्रता, कर्तव्य, उनकी ट्रेनिंग की विषयवस्तु आदि बाबत् उल्लेख संबंधित संलग्न रेगूलेशन 2011 एवं पी.एल.वी. स्कीम (Para Legal Volunteer Scheme) में किया हुआ है फिर भी इस क्रम में प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली आवश्यक प्रक्रिया व सुविधा हेतु निर्देशानुसार पृथक से कुछ दिशा निर्देश भी जारी किये जा रहे है जो निम्नानुसार हैः–

1. प्रारम्भिक तौर पर वर्णित एक–एक विधिक सहायता क्लिनिक (Legal Aid Clinic) प्रत्येक जिला प्राधिकरण, तालुका समिति, सेन्ट्रल जेल, जिला जेल तथा सब–जेल पर खोला जावेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में चार–चार अन्य स्थानों पर कि जिसमें विधि महाविधालय, विधि विश्वविद्यालय, ग्राम पंचायत अथवा Cluster of Villages, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत समिति आदि ऐसे स्थानों पर भी खोले जा सकते है कि जहां इन क्लिनिकों की उपयोगिता अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अधिकाधिक प्रतीत हो। ऐसे क्लिनिक खोले जाने के लिए यह अपेक्षा की गयी है कि एक कमरा, संबंधित संस्था अथवा कार्यालय उपलब्ध करावेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन के सहयोग से ऐसा क्लिनिक राजीव गांधी सेवा सदन में भी, उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, खोला जा सकता है।
2. Legal Aid Clinic (विधिक सहायता क्लिनिक) जिला प्राधिकरण तथा तालुक समिति मुख्यालय पर फ्रन्ट ऑफिस के रूप में भी कार्य करेंगें तथा उपरोक्त वर्णित अन्य क्लिनिक सामान्यतः ऐसे स्थानों पर खोले जावेंगे जहां पर आम–जन बिना कठिनाई के पहुंच सके।
3. उक्त स्कीम के क्लाज–13 के मुताबिक क्लिनिक के बाहर एक साईन बोर्ड, जिसमें क्लिनिक का नाम, कार्य घण्टे, कार्य दिवस तथा पृथक से एक साइन बोर्ड में क्लिनिक पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का उल्लेख होगा, लगाया जावेगा।
4. वर्णित क्लिनिक, संबंधित क्षेत्र के जिला प्राधिकरण अथवा तालुक समिति के नियत्रंणाधीन कार्य करेंगे तथा संबंधित प्राधिकरण/समिति इन क्लिनिकों पर वांछित सामग्री की उपलब्धता की सुनिश्चितता करेंगे कि जिससे व्यक्ति को वांछित जानकारी प्राप्त होकर उसकी समस्या का निदान हो सके। कारागृह में खोले जाने वाले वर्णित क्लिनिक के लिये स्थान उपलब्ध करवाये जाने बाबत् संबंधित जेल अधीक्षक को निवेदन कर क्लिनिक स्थापित किया जावेगा। इसके लिए आधारभूत सुविधाएं संबंधित संस्था/कार्यालय/जेल आदि द्वारा ही उपलब्ध कराये जावेंगे कि जिनमें एक टेबल आवश्यकतानुसार कुर्सिया, अलमारी आदि अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाये जावेंगे तथा यदि किन्हीं परिस्थितियों में किसी संस्था, कार्यालय द्वारा वर्णित आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाये जाने में असमर्थता प्रकट की जाती है तो स्कीम के क्लॉज–14 मुताबिक जिला प्राधिकरण/तालुक समिति द्वारा इनकी व्यवस्था कराई जा सकेगी।
5. प्रारम्भिक तौर पर वर्णित क्लिनिक के कार्य दिवस निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैः–
   (1) जिला प्राधिकरण/तालुक समिति मुख्यालय पर क्लिनिक/फ्रन्ट ऑफिस न्यायालय के कार्य दिवसों व समय के अनुसार खोले जावेंगे।
   (2) केन्द्रीय/जिला कारागृह पर खोले जाने वाले क्लिनिक प्रति सप्ताह दो दिन कार्यशील रहेंगे तथा आवश्यकतानुसार सब–जेल पर प्रति सप्ताह एक दिन कार्यशील रहेंगे जिन्हें कि संबंधित जिला प्राधिकरण/तालुक समिति, संबंधित जेल प्रशासन से विचार–विमर्श कर अधिकतम उपयोगिता दिवस को ध्यान में रखते हुये, निर्धारित करेंगे।

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त जिले के पूरे न्यायक्षेत्र में अन्य खोले जाने वाले चार–चार विधिक सेवा क्लिनिक सप्ताह में दो दिन कार्यशील रहेंगे जिनके लिये भी अधिकतम उपयोगिता दिवस का निर्धारण संबंधित जिला प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा।

वर्णित क्लिनिक पूर्णतः संबंधित जिला प्राधिकरण अथवा संबंधित तालुक विधिक सेवा समिति के नियंत्रणाधीन कार्य करेंगे तथा क्लिनिक का कार्य समय सुबह 9 बजे से सांय 5 बजे तक रहेगा।

6. वर्णित क्लिनिक पर प्रचार–प्रसार, विधिक जानकारी संबंधित सामग्री, आवश्यक स्टेशनरी खर्च, पैरा लीगल वॉलन्टीयर्स को देय मानदेय राशि आदि संबंधित क्षेत्र के जिला प्राधिकरण/तालुक समिति द्वारा उपलब्ध करवाये जा सकेंगे। इस क्रम में राज्य सरकार की ओर से जारी व प्रभावी विभिन्न जन–कल्याणकारी योजनाओं बाबत् सामग्री अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण/तालुक समिति द्वारा, जिला प्रशासन से सम्पर्क करते हुये, इन क्लिनिकों पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जावेगी।
7. इस प्रकार के क्लिनिक के संचालन के लिए प्रत्येक जिला प्राधिकरण/तालुक समिति द्वारा पूर्व में प्रेषित निर्देशानुसार पैरा लीगल वॉलेन्टीयरों का पैनल, संबंधित पैरा लीगल वोलेन्टीयर स्कीम अनुसार तैयार कर रखा जावेगा जिसकी संख्या प्रारंभिक तौर पर अधिकतम संख्या, जिला मुख्यालय पर 20 तथा तालुक मुख्यालय पर 10 की होगी। यद्यपि जिला प्राधिकरण/तालुक समिति द्वारा पूर्व में पैरा लीगल वॉलेन्टीयरों के नामों से संबंधित कुछ सूचियां इस कार्यालय को प्रेषित की गई थी किन्तु वर्णित स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में स्कीम में निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुये पैरा लीगल वॉलियन्टरों का चयन स्व–विवेक से जिला प्राधिकरण/तालुक समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रक्रियानुसार अपने–अपने मुख्यालय पर करने की अधिकारिता होगी, इसके लिये क्षेत्र विशेष के लिये स्वैच्छिक सेवा देने वाला वॉलेन्टीयर, उस क्षेत्र का निवासी उपयुक्त व्यक्ति, शासकीय/अर्द्वशासकीय/स्वायत शासन सेवा, विश्व विद्यालय, महाविद्यालय आदि के सेवानिवृत व्यक्ति, आंगन बाड़ी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, विधि छात्र–छात्राएं, महिला संगठनों के सदस्य, महिला स्वयं सेवा समूह के सदस्य, पंचायत राज और नगर पालिका/निगम संस्थाओं के स्वैच्छिक कार्यकर्तागण, एन.एस.एस. यूनिट के कार्यकर्तागण आदि ऐसे व्यक्ति, जो जिला प्राधिकरण/तालुक समिति द्वारा पैरा लीगल वॉलन्टीयर के रूप में पहचाने या चयनित किये जाने के लिए उपयुक्त समझे जावे, हो सकते है।

(राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पैरा लीगल वॉलन्टीयरों के चयन में यह विशेष ध्यान रखा जावे कि ऐसा व्यक्ति राजनैतिक एवं वकालत क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिएं)

8. पैरा लीगल वॉलन्टीयर का कार्यकाल प्रारम्भिक तौर पर सामान्यतः 6 माह का रखा जावे जो कि उस वॉलन्टीयर द्वारा दी जाने वाली सन्तोषप्रद सेवाओं एवं व्यवहार आदि पर निर्भर होगा तथा जिला प्राधिकरण/समिति के अध्यक्ष के अनुसार, वॉलन्टीयरों की सेवाएं सन्तोषजनक पाये जाने पर, आगामी Term के लिये संबंधित वॉलन्टीयर के कार्यों को Review कर बढ़ाया जा सकेगा। संबंधित चयनित पैरा लीगल वॉलन्टीयर के नाम, पते, टेलिफोन नम्बर फोटोग्राफ आदि विवरण प्राधिकरण/समिति में रखा जावेगा तथा इसकी सूची पृथक से अविलम्ब राज्य प्राधिकरण को भी भेजी जावेगी।
9. प्रत्येक विधिक सेवा क्लिनिक पर फिलहाल एक–एक पैरा लीगल वॉलन्टीयर की नियुक्ति की जावेगी किन्तु उसके किसी कारणवश मुख्यालय पर नहीं रहने की स्थिति में अन्य प्रशिक्षित पैरा लीगल वॉलन्टीयर को निर्देशित किया जा सकेगा।
10. संबंधित जिला प्राधिकरण/तालुक समिति स्तर पर रखे जाने वाले अधिवक्ताओं के पैनल में से एक अधिवक्ता को, जो क्लिनिक अनुसार पृथक–पृथक हो सकते है, बतौर पैनल अधिवक्ता पाक्षिक रूप से

ऐसे क्लिनिक पर विधिक सेवा/राय देने हेतु विजिट के लिये निर्देशित किया जावेगा जो इस हेतु अपना दिवस निश्चित कर क्लिनिक पर उपयोगिता व आवश्यकतानुसार विधिक सेवा, विधिक सलाह भी देगा।

11. प्रत्येक जिला/उप कारागृह में खोले जाने वाले क्लिनिक पर Selected Long Term Prisoners को भी, उनकी उपयोगितानुसार, बतौर पैरा लीगल वॉलन्टीयर नियुक्त किया जा सकेगा। ऐसे Selected long term prisoners पैरा लीगल वॉलेन्टीयर, संबंधित अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण/तालुक समिति के द्वारा, संबंधित जेल अधीक्षक की सलाह से मनोनीत किये जा सकेंगे। ऐसे Selected Long Term Prisoners पैरा लीगल वॉलन्टीयर, संबंधित जेल क्लिनिकों पर, उपरोक्त निर्देशानुसार अपनी सेवाऐ देंगे, जिनका उद्देश्य जेल में बन्द सजायाफ्ता/Undertrial व्यक्तियों के लिये, आवश्यकतानुसार जमानत प्रार्थना पत्र, अपील आवेदन, पैरोल आवेदन या अन्य वांछित सूचना (जिसके लिये प्रपत्र तैयार कर राज्य प्राधिकरण द्वारा पृथक से जेलों में उपलब्ध करवाये गये है) भरवाई जाकर, उनकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे व आवश्यकतानुसार विभिन्न कानूनी बिन्दुओं पर सलाह के लिये पैनल अधिवक्ता की सेवाएं भी उपरोक्तानुसार जेल क्लिनिकों पर उपलब्ध करवाई जावेगीं। यहां यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि जेल क्लिनिकों पर Selected Long Term Prisoners के अतिरिक्त, उपरोक्तानुसार पैरा लीगल वॉलन्टीयर, पृथक से क्लिनिक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये जोड़ा जाना प्राधिकरण/समिति द्वारा आवश्यक समझा जाता है, तो वह भी पृथक से जोड़ा जा सकता है। इन जेल क्लिनिकों पर भी उपरोक्तानुसार वांछित सूचना के साईन बोर्ड व अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध रहेगी।
12. पैरा लीगल वॉलन्टीयर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं/कर्तव्यों का उल्लेख, संबंधित पैरा लीगल वॉलन्टीयर स्कीम तथा रेगूलेशन के क्लॉज 9, 10 व 16 में उल्लेखित किये गये है फिर भी सुविधा को ध्यान में रखते हुये इनका संक्षिप्त उल्लेख निम्नानुसार किया जाता हैः–

पैरा लीगल वॉलन्टीयर के कर्तव्यः–

1. पैरा लीगल वॉलन्टीयर, अपने गांव, मौहल्ले एवं आस–पास के नागरिकों को सम्मानित जीवन व्यतीत करने के लिये, उनके अधिकारों एवं संवैधानिक अधिकारों और उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी देकर या शिक्षित कर जागरूक करेगा।
2. पैरा लीगल वॉलन्टीयर, नागरिकों को विवादो/समस्याओं की प्रकृति के संबंध में जागरूक कर उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से अपने प्रकरणों/विवादों को निराकरण हेतु सम्पर्क करने हेतु प्रोत्साहित/जागरूक करेगा।
3. पैरा लीगल वॉलन्टीयर, अपने कार्य क्षेत्र में विधि व नियमों को भंग करने वाले या अन्याय करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध, संबंधित जिला प्राधिकरण/तालुक समिति को दूरभाष पर या लिखित सूचना देगा या ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो प्रतिकार करने वाला हो, तुरन्त कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
4. पैरा लीगल वॉलन्टीयर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुक विधिक सेवा समिति को, विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने में सहयोग देगा।
5. पैरा लीगल वॉलन्टीयर, आम नागरिकों को राज्य प्राधिकरण/जिला प्राधिकरण/तालुक समिति/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारियां देगा। उक्त संस्थाओं के पत्र व्यवहार के पतों की जानकारी

देगा तथा निःशुल्क विधिक सेवाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराते हुए जागरूक करेगा।

6. पैरा लीगल वॉलन्टीयर, मुकदमा पूर्व विवादों को, जिला प्राधिकरण/तालुक समिति के माध्यम से निपटाने के लिये प्रोत्साहित करेगा तथा यह प्रचार–प्रसार करेगा कि मुकदमा पूर्व विवाद बिना किसी व्यय व समय खर्च किये, लोक अदालतों के माध्यम से निपटाये जा सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई कोर्ट फीस भी देय नहीं है।
7. पैरा लीगल वॉलन्टीयर, आम नागरिकों को जानकारी देकर जागरूक करेगा कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों को, लोक अदालत अथवा मध्यस्थता केन्द्र के माध्यम से, समझौते के आधार पर निपटा लिये जाने पर, उन प्रकरणों में पूर्व में जमा की गई कोर्ट फीस वापिस पाने के हकदार है तथा लोक अदालत में निर्णित प्रकरणों की कोई अपील आदि नहीं होती है।
8. पैरा लीगल वॉलन्टीयर, आम नागरिकों को जन–उपयोगी सेवाओं, जैसे–यातायात, डाक, तार, या टेलीफोन सेवा, विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय, स्वच्छता संबंधी सेवा, अस्पताल या औषधालय या बीमा संबंधी सेवाओं से संबंधित विवादों को, स्थाई लोक अदालत के माध्यम से बिना खर्च के निपटाया जा सकता है, जागरूक करेगा।
9. पैरा लीगल वॉलन्टीयर, विधिक सेवा योजनाओं से संबंधित तथा शासन द्वारा आम नागरिकों के कल्याण के लिये चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी देगा एवं वृहद प्रचार–प्रसार हेतु प्रचार सामग्री का प्रदर्शन, महत्वपूर्ण, प्रसिद्व लोक स्थानों, मेलों आदि में करेगा।
10. पैरा लीगल वॉलन्टीयर, संबंधित जिला प्राधिकरण/तालुक समिति के अध्यक्ष के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा तथा अपने कार्यकलापों का मासिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
11. पैरा लीगल वॉलन्टीयर, अपने क्षेत्र में स्थापित विधिक सहायता क्लिनिकों के प्रभावी कार्य सम्पादन में सक्रिय सहयोग देगा।

पैरा लीगल वॉलन्टीयर को पदच्युत किया जाना या हटाया जाना:– पैरा लीगल वॉलन्टीयर को निम्नलिखित परिस्थितियों में हटाया जा सकेगा:–

1. विधिक सेवा योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग नहीं देना तथा रूचि नहीं रखना,
2. दिवालिया घोषित हो जाना,
3. किसी अपराध का अभियुक्त होना,
4. पैरा लीगल वॉलन्टीयर के रूप में कार्य करने के लिये शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाना,
5. राजनैतिक पार्टियों से संबंध रखना,
6. अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरूपयोग कर चुका हो कि उसका पैरा लीगल वॉलन्टीयर के रूप में कार्य करना लोकहित में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो।

पैरा लीगल वॉलन्टीयर का पहचान पत्र:–

संबंधित अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण/तालुक समिति द्वारा, उनके द्वारा चयनित किये गये पैरा लीगल वॉलन्टीयर को फोटो युक्त पहचान पत्र, राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया

जावेगा उसका नाम, पिता का नाम, स्थाई व अस्थाई पता, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, पदस्थापन स्थान का नाम, कार्यक्षेत्र का विवरण तथा पहचान पत्र की वैधता की अवधि आदि अंकित किये जावें।

विधिक सहायता क्लिनिक/फ्रन्ट ऑफिस पर कार्यरत पैरा लीगल वॉलियन्टर व विजिट करने वाले पैनल अधिवक्ता को देय मानदेयः–

विधिक सहायता क्लिनिक/फ्रन्ट ऑफिस पर कार्य करने वाले पैरा लीगल वॉलियन्टर को प्रति कार्य दिवस हेतु 250/– रुपये एवं विधिक सहायता क्लिनिक/फ्रन्ट ऑफिस पर विजिट करने वाले पैनल अधिवक्ता को प्रति विजिट 500/– रुपये मानदेय देय होगा। इसके लिए संबंधित क्लिनिक पर एक उपस्थिति रजिस्टर होगा जिसमें पैरा लीगल वॉलन्टीयरों एवं पैनल अधिवक्ता अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा।

पैरा लीगल वॉलन्टीयर पैनल अधिवक्ता के कार्य दिवसों के संबंध में, राज्य प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों की पालना की जावे तथा उन्हीं निर्देशों के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जावे।

विधिक सहायता क्लिनिक के पैनल अधिवक्ता के कर्तव्यः–

1. संबंधित विधिक सहायता क्लिनिक पर आवश्यकतानुसार वांछित विधिक जानकारी उपलब्ध कराना।
2. आवश्यकतानुसार ड्राफ्ट, वांछित विभिन्न आवेदन, पत्राचार, याचिकाओं आदि को तैयार करना।
3. क्लिनिक पर उपस्थिति आवेदकों के लिये पैरा लीगल वॉलन्टीयरों द्वारा की जाने वाली सेवाओं में वांछित सहयोग प्रदान करना तथा राज्य प्राधिकरण/जिला प्राधिकरण के द्वारा समय–समय पर निर्देशित अन्य कार्य करना।

विधिक सहायता क्लिनिक/फ्रन्ट ऑफिस पर प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों एवं उन पर की गई कार्यवाही के इन्द्राज हेतु रजिस्टर का संधारणः–

विधिक सहायता क्लिनिक/फ्रन्ट ऑफिस में प्राप्त होन वाले आवेदन पत्रों एवं उन पर की गई कार्यवाही के इन्द्राज करने के लिये रजिस्टरों का संधारण, राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, पैरा लीगल वॉलन्टीयर द्वारा रखा किया जावेगा। इस रजिस्टर में उपस्थित होने वाले व्यक्ति का नाम, पता, टेलीफोन नम्बर, यदि कोई हो, उसके द्वारा प्रकट समस्या का संक्षिप्त विवरण तथा समस्या के निराकरण हेतु की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण का उल्लेख तथा आवेदक के हस्ताक्षर होंगे। यदि समस्याग्रस्त व्यक्ति को विधिक सेवाओं की आवश्यकता रही हो तो विधिक सेवाओं के लिये उसका आवेदन पत्र कहां भेजा गया आदि का भी उल्लेख किया जावेगा।

इसी प्रकार विधिक सहायता क्लिनिक के लिये मनोनीत पैनल अधिवक्ता भी, स्वयं की उपस्थिति मय दिनांक व समय के दर्ज करने के साथ ही, उसके द्वारा क्लिनिक पर किये जाने वाले विभिन्न कार्यों का उल्लेख, क्लिनिक पर संधारित रजिस्टर में करेगा।

पैरा लीगल वॉलन्टीयर व पैनल अधिवक्ता की सेवायें कहां–कहां ली जा सकेगीः–

पैरा लीगल वॉलन्टीयर व पैनल अधिवक्ता की सेवायें, जिला अथवा तालुक स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमां में, विधिक जागरूकता शिविरों तथा विधिक सेवा कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार हेतु भी ली जा सकेगी। इसके लिये उनकी नियुक्ति के साथ–साथ पृथक से अण्डरटेकिंग भी ली जावेगी कि वह संबंधित स्कीम व उनको दिये गये उत्तरदायित्वों की सीमा तक ही अपनी कार्यशैली को नियंत्रित रखेंगे व अपने पद का किसी प्रकार का विभागीय दुरूपयोग नहीं करेंगे। पैरा लीगल वॉलन्टीयर व पैनल अधिवक्ता की क्षमता का सार्वजनिक क्षेत्र में दुरूपयोग नहीं हो, इसकी सुनिश्चितता भी अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण अथवा तालुक समिति द्वारा की जावेगी।

पैरा लीगल वॉलन्टीयर का प्रशिक्षण, सामग्री, बजट आदिः–

प्रारम्भिक तौर पर पैरा लीगल वॉलन्टीयर का प्रशिक्षण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा करवाया जावेगा। इसकी सामग्री, विषयवस्तु अनुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय/राज्य प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के मुताबिक तैयार करवाई जा सकेगी तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा भी पृथक से तैयार कर भिजवाई जा सकेगी। आवश्यकतानुसार तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा, क्षेत्र विशेष में प्रचलित बिन्दु विशेष, समस्या विशेष तथा वांछित विधिक जानकारी से संबंधित पुस्तिका भी तैयार की जा सकेगी।

प्रत्येक जिले में खोले जाने वाले विधिक सहायता क्लिनिक/फ्रन्ट ऑफिस के लिये प्रारंभिक तौर पर जिला प्राधिकरण स्तर पर 20 तथा तालुका समिति स्तर पर 10 पैरा लीगल वॉलन्टीयर्स का चयन किया जाकर उनको प्रशिक्षण दिया जावे। पैरा लीगल वॉलन्टीयर को प्रशिक्षण दिये जाने के लिये प्रशिक्षक, संबंधित अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण द्वारा तय किये जावे। प्रशिक्षक के रूप में सेवारत अथवा सेवानिवृत न्यायिक अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिवक्तागण, जिला अभियोजन अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, विधि व्याख्याता को उनकी रूचि के अनुसार, अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण द्वारा चयनित किये जा सकेंगे। जब तक राज्य प्राधिकरण के स्पष्ट निर्देश नहीं हो तब तक प्रशिक्षक को प्रशिक्षण के लिये किसी भी प्रकार का मानदेय देय नहीं होगा।

पैरा लीगल वॉलन्टीयरों के प्रशिक्षण की अवधि दो दिन की होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम, विषयवस्तुवार, अलग–अलग सेशन में विभाजित कर तैयार किया जावे। प्रशिक्षण के लिए 3000/– रुपये प्रति ट्रेनिंग सेशन खर्च किये जा सकेंगे। जिसका भुगतान धारा 4 (सी) में आवंटित बजट में से अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्देशित विशिष्ट बजट में से किया जा सकेगा। आवश्यकतानुसार इससे अधिक खर्च होने की संभावना पर राज्य प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इस संबंध में यू0एन0डी0पी0 के प्रस्ताव मुताबिक पृथक से एम0ए0आर0जी0 अथवा अन्य निर्देशित किसी संस्था के जरिये भी पृथक से सघन प्रशिक्षण यथा समय, उपलब्धता व स्वीकृति अनुसार करवाये जाने का प्रयास किया जावेगा।

प्रशिक्षण की विषयवस्तुः–

यद्यपि पैरा लीगल वॉलन्टीयर के प्रशिक्षण की विषयवस्तु व प्रक्रिया का उल्लेख पैरा लीगल वॉलन्टीयर स्कीम में विस्तृत रूप से किया गया है जिसकी पालना सुनिश्चित करवाई जानी अपेक्षित है जिनमें मुख्यतः एफ0आई0आर0 संबंधी प्रावधान, जमानत, गिरफ्तारी, बन्दियों के विधिक अधिकार, मूलभूत

एवं संवैधानिक अधिकार एवं जानकारी, महिलाओं के सामान्य कानूनी अधिकारी, बालकों के अधिकार, कन्या भ्रूण हत्या प्रोटेक्शन एक्ट, दहेज कानून, धारा 125 द0प्र0सं0, घरेलू हिंसा, एस0सी0एस0टी0 अधिनियम, दुर्घटना संबंधी प्रावधान, क्षतिपूर्ति कानून, प्रतिकर स्कीम, प्रोमेजरी नोट, जन्म मृत्यु संबंधी प्रावधान, विवाह पंजीकरण, सामान्य रेवेन्यु कानून, लोक अदालत, ए0डी0आर0, फ्री लीगल एड, केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न स्कीमें/एक्ट की सामान्य जानकारी, संरक्षक, दत्तक, हिन्दु विवाह अधिनियम, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, विद्यार्थियों से संबंधित कानूनी जानकारी, क्षेत्र विशेष में प्रचलित सामान्य विषयों से संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी आदि की जानकारी भी शामिल की गई है।

बजटः–

पैरा लीगल वॉलन्टीयरों, पैनल अधिवक्ताओं के मानदेय, प्रशिक्षण व क्लिनिक के संचालन हेतु बजट यथा निर्देश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत बजट 4(सी) अथवा 13वें वित आयोग द्वारा स्वीकृत बजट से किये जाने के आदेश पृथक से इस कार्यालय द्वारा जारी किये जा सकेंगे तथा इस संबंध में जारी निर्देश मुताबिक ही बजट की उपयोगिता, संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा की जाएगी।

अधिवक्ता पैनलः–

विधिक सहायता क्लिनिकों के संचालन में स्वैच्छा से सेवाएं देने वाले अधिवक्ताओं का पैनल, जिसमें कि कम से कम 3 वर्ष की वकालत का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता शामिल किये जावेंगे, पृथक से प्रत्येक जिला प्राधिकरण/तालुक समिति द्वारा, वर्णित रेगुलेशन 2011 के रेगूलेशन–8 मुताबिक रखा जाना भी अपेक्षित किया गया है।

विधिक सहायता क्लिनिक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के अधिकाधिक प्रचार–प्रसार का कार्य रेगूलेशन 2011 के रेगूलेशन–15 के मुताबिक किया जावेगा।

उपरोक्त वर्णित दिशानिर्देश की पालना में किसी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में कृपया संलग्न National Legal Aid Clinic Regulation 2011, Project of Para Legal Volunteer of NALSA and Para Legal Volunteer Scheme (संशोधित) का अवलोकन करने का श्रम करें।

पैरा लीगल वॉलन्टीयर का चयन, ट्रेनिंग व क्लिनिक के प्रभावी क्रियान्वयन/संचालन की पालना रिपोर्टः– निर्देशानुसार यह भी निवेदन है कि आपके न्यायिक क्षेत्र में उपरोक्तानुसार विधिक सहायता क्लिनिक खोले जाकर इसके प्रभावी क्रियान्वयन व संचालन की पालना रिपोर्ट माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 15 मई, 2012 से पूर्व आवश्यक रूप से चाही गयी है। अतः इस क्रम में निवेदन है कि वर्णित निर्धारित तिथि से पूर्व उपरोक्तानुसार पैरा लीगल वॉलन्टीयरों का चयन कर तथा पैनल लॉयरों का भी पैनल तैयार कर संबंधित रेगूलेशन की मंशानुसार संबंधित सभी की ट्रेनिंग उपरोक्तानुसार करवाई जाकर पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करवाने का श्रम करें

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,
(के0बी0 कट्टा)
सदस्य सचिव

(Format of Identity Card to be issued by concern DLSA/TLSC)

Name District Legal Services Authority/Taluk Legal Services Committee

……

Para Legal Volunteer Registration No. ….(…….) Valid up to …./…./2012

Photograph of
Para Legal Volunteer.

Name……
Father/Husband Name……
Occupation……
Address…….

Signature of Para Legal Volunteer.

Signature of Secretary, DLSA with date and Seal.

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

On the back side of card

Duties of PLV's.

To keep a watch on the acts of injustice.
To report the acts of injustice to the nearest Legal Services Authority/Committee.
To organize Legal Awareness Camps.
To educate citizens to enable them to be aware of their rights to leave with human dignity and to enable them to enjoy all constitutional rights.
To spread awareness about the benefits of settlement of disputes through arbitration, conciliation, mediation and lok adalats.
To create awareness among citizens for settlement of their disputes relating to electricity, water supply, sewerage and sanitation, insurance, hospitals, transport, banking, telephone/mobile, postal Services etc.) through Permanent Lok Adalats (Public Utility Services).
To manage Legal Aid Clinics.

1- Please return this Identity Card after expiry.
2- Please registered F.I.R. if it is kept.

विधिक सहायता क्लिनिक का रोजनामचा

विधिक सहायता क्लिनिक का स्थान .....

ग्राम पंचायत ..... पंचायत समिति..... जिला.....

नगर पालिका/नगर निगम ..... वार्ड संख्या ..... जिला .....

क्लिनिक पर मनोनीत पैरा लीगल वॉलन्टीयर का नाम .....

क्लिनिक पर मनोनीत पैनल अधिवक्ता का नाम .....

दिनांक	आवेदक का नाम, पिता का नाम, जाति, निवास का पता एवं टेलिफोन नम्बर, यदि कोई हो।	आवेदक की समस्य का संक्षिप्त विवरण	समस्या के निवारण हेतु की गई कार्यवाही का विवरण	आवेदक के हस्ताक्षर	टिप्पणी

नोटः– संबंधित जिला प्राधिकरण/समिति आवश्यकतानुसार कॉलम बढ़ा सकते है।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

¼Phone : 0141-2227481,2227555, FAX: 2227602, Help line No.15100)

e-mail: rj-slsa@nic.in website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकः–एफ–8(01)/पी.एल.वी./27180–27214 दिनांक :–11.02.2013

प्रेषिति :

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
समस्त राजस्थान।

विषयः– विधिक सेवा क्लीनिक विनियम 2011 के तहत पैरा लीगल वोलेन्टियर्स एवं पैनल अधिवक्ता को मानदेय के भुगतान बाबत्।

प्रसंगः– इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक रालसा/सामान्य/2012/3121–3338 दिनांक 02.05.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार निवेदन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सेवा क्लीनिक) विनियम, 2011 के तहत पैरा लीगल वोलेन्टियर्स एवं पैनल अधिवक्ता को वास्तविक कार्य करने के आधार पर एवं सेवा संतोषप्रद होने के आधार पर नियमानुसार मानदेय का भुगतान बजट मद 4 (सी) से किये जाने की एत्द द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदर।

भवदीय,

(अभय चतुर्वेदी)
सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481,2227555, FAX: 2227602, Help line No.15100)

क्रमांक :–एफ 8 (01)/बी.बी.ए/रालसा/2013/12736–12770 दिनांक :– 03.09.2013

प्रेषितिः–

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सैशन न्यायाधीश)
समस्त राजस्थान।

विषयः– थानो में लगाये गये पैरा लीगल वोलियन्टर्स हेतु गाईड लाईन।

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 7073–7108 दिनांक 12.7.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बचपन बचाओं आन्दोलन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य, सिविल रिट पीटिशन न0 75/2012 में पारित निर्णय दिनांक 10.5.2013 के क्रम में प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से थानों में गुमशुदा बालक एवं बालको के विरूद्ध अपराध के मामलो में पुलिस की कार्यवाही पर निगरानी रखने हेतु पैरा लीगल वोलियन्टर्स लगाये गये है।

थानों में लगाये गये पैरा लीगल वोलियन्टर्स निम्न प्रकृति के मामलों में स्वयं के स्तर से अपराध की निगरानी रखेगें साथ ही पुलिस द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना भी सुनिश्चित करेंगें एवं पुलिस व पीडित को आवश्यक सहयोग व जानकारी उपलब्ध करवायेगें:–

1. गुमशुदा बालकों के प्रकरण।
2. बाल लैंगिक हिंसा के प्रकरण।
3. बाल तस्करी के प्रकरण
4. बाल श्रम एवं बाल भिक्षावृति के प्रकरण
5. बाल विवाह के प्रकरण
6. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के प्रकरण

गुमशुदा बालकों के प्रकरण में एवं बाल लैंगिक हिंसा के प्रकरण में पैरा लीगल वोलियन्टर्स हेतु गाईड लाईन संलग्न भेजी जा रही है।

निर्देशानुसार लेख है कि थानो में लगाये गये पैरा लीगल वोलियन्टर्स गुमशुदा बालको के मामले मे एवं बालको के विरूद्ध उक्त वर्णित प्रकृति के अपराधों के मामले में निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करवायेंगें एवं स्वयं के स्तर से भी अपराध की निगरानी रखेगें साथ ही गाईड लाईन की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करेंगें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,
(अभय चतुर्वेदी)
सदस्य सचिव

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, Govt. of India
12/11, Jam Nagar House, Shahjahan Road New Delhi – 110011
TEL. 011-23382778, 011-23386176
FAX 011-23382121

No. L/03/2014-NALSA/3171
October 9, 2014

To

The Member Secretary,
Rajasthan State Legal Services Authority,
Rajasthan High Court Building,
JAIPUR- 302 005

Sir,

The Ministery of Women & Child Development, Govt. of India had proposed to establish Nirbahaya – One Stop Centre for women affected by violence in all districts to provide comprehensive help and support to the victims of rape and sexual assault and cooperation had been sought from NALSA. The Ministry has been assured by NALSA that panel lawyers and PLVs will help the victims to get their FIR registered and to be present during remand proceedings to appose bail etc. and to obtain court orders for protections of vitnesses wherever necessary and to be present during trial including recording of the statement of the victim. The Ministery has also been informed that the panel lawyers and PLVs shall also help the victim to apply to the DLSAs for release of compensation under the Victims Compensation Schemes and also to assess other welfare schemes of the Govt. meant for the rehabilatations of such victims.

2. The Ministery of Women and Child Development, Govt. of India is also in the process of preparing a Scheme for Strengthening Mechanisms for Combating Violence (SMCV) against women. The Scheme aims to provide immediate care and support to women affected by violence the objective of the scheme is to establish linkage with the existing facilities and to facilitate emergency and nonemergency referrel to One Stop Centres, Shelter homes and police/ Hospital/ Ambulance Services. The Ministery has been assured by NALSA that the Legal Services Authorities will support the schemes and render all possible help to the women especially affected by violence and when called upon to do so.

3. In view of the above, it is requested that all the PLVs in your state may be directed to assist women as stated above. The PLVs may also be directed to maintain clear records of work done and action taken including follow up, with all details in registers meant for this purpose.

Yours faithfully,
(Mohinde Virat)
Director

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY,
RAJASTHAN HIGH COURT CAMPUS, JAIPUR BENCH, JAIPUR
(Phone : 0141-2227481,2227555, FAX: 2227602, Help line No.15100)

No.RSLSA/PLV/2013/16072-16103 Date: 18.10.2014

To

The Chairman,
District Legal Services Authority,
(District & Session Judge),
All Rajasthan.

Sub : Compliance of the directons issued by NALSA regarding PLVs clear records of work done and action taken including follow up.

****

Sir,

With reference to the subject cited above, while enclosing copy of letter no. L/03/2014-NALSA/October 9, 2014 reveived from National Legal Services Authority, I am under direction to request you that all the PLVs in your district may be directed to assist women as stated in the letter. The PLVs may also be directed to maintain clear records of work done and action taken including follow up, with all details in registeres meant for this purpose.

Therefore, you are further requested to maintained the registers meant for this purpose and keep all the recorts of the PLVs according the directions given in enclosed letter.

With humble regards

Yours Sincerely,

Encl: As above

(K.B. Katta)
Member Secretary

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481,2227555, FAX: 2227602, Help line No.15100)

क्रमांक :–राल्सा/ पैरा लीगल वॉलियन्टर/2014/16689–16723 दिनांक :–11.11.14

प्रेषितिः–

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
समस्त राजस्थान।

विषयः– आपके न्याय क्षेत्र में गठित Legal Care & Support Center (लीगल एड क्लिनिक) एवं कार्यरत पैरा लीगल वॉलियन्टर की कार्य प्रगति रिपोर्ट भिजवाये जाने बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की Scheme for Para-Legal Volunteers (Revised) अनुसार पैरा लीगल वॉलियन्टर्स द्वारा जहां विभिन्न किये जाने वाले कार्यो/कर्तव्यो का उल्लेख किया गया है वहीं उनके द्वारा इसकी मासिक रिपोर्ट संबधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिये रालसा को एवं रालसा द्वारा नालसा को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है।

National Legal Services Authority (Legal Aid Clinic) Regulation 2011 के Clause-10 में पैरा लीगल वॉलियन्टर द्वारा संबंधित Legal Care & Support Center (लीगल एड क्लिनिक) में किये जाने वाले कार्यो का उल्लेख किया जाकर Regulation 2011 के Clause-20 अनुसार इसका उल्लेख निर्धारित रजिस्टर आदि में किया जाना अपेक्षित किया गया है। क्लॉज–7 अनुसार इन सेन्टर पर अधिवक्ता द्वारा विजिट का प्रावधान करते हुए प्रशासनिक नियत्रंण संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का रखा गया है तथा क्लॉज–26 अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अनुसार द्वारा वर्णित Legal Care & Support Center (लीगल एड क्लिनिक) /PLV द्वारा किये गये कार्यो का periodical review भी किया जाना अपेक्षित किया गया है।

वर्णित प्रावधानो के अनुक्रम में आपके न्यायक्षेत्र में स्थापित वर्णित क्लिनिक एवं कार्यरत पी.एल.वी. के कार्यो एवं इसकी उपयोगिता (प्रति सेन्टर) बाबत कोई रिपोर्ट इस कार्यालय को नही भिजवायी गई है।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार पुनः लेख है कि आपके न्यायक्षेत्र में (ताल्लुका सहित) स्थापित, सभी वर्णित क्लिनिक में, प्रति क्लिनिक अनुसार, उसकी उपयोगिता, इस पर रखे जाने वाले रजिस्टर/रिकॉर्ड अनुसार क्लिनिक की सेवाएं लेने वाले व्यक्तियों की संख्या व सेवा का प्रकार तथा न्यायक्षेत्र में नियुक्त पी.एल.वी. द्वारा किये गये कार्यो अथवा उनके द्वारा दी गयी सेवाओं के आधार पर उनकी उपयोगिता (प्रति पी.एल.वी. अनुसार) रिपोर्ट, संलग्न प्रारूपों में, इस कार्यालय को अन्दर अवधि 7 दिवस आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करें ताकि स्कीम के क्लॉज–26 अनुसार इस कार्यालय द्वारा Review किया जा सके।

वर्णित बिन्दु पर आप द्वारा प्रेषित सूचना अनुसार आपके न्यायक्षेत्र में (मय ताल्लुका) ..... Legal Care & Support Center (लीगल एड क्लिनिक) खोले जाकर ..... पैरा लीगल वॉलियन्टर नियुक्त हुये है। (संलग्न अनुसूची–ए) यदि क्लिनिक या पी.एल.वी. की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ है तो वर्तमान में कार्यरत क्लिनिक एवं पी.एल.वी. की संख्या के अनुसार ही संलग्न प्रोफोर्मा में सूचना प्रेषित की जावे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का श्रम करें।

भवदीय,
(के.बी.कट्टा)
सदस्य सचिव

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481,2227555, FAX: 2227602, Help line No.15100)

e-mail: rj-slsa@nic.in website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक–12 दिनांक :– 23 सितम्बर, 2015

परिपत्र

विधिक सेवा केन्द्रों की स्थापना एवं पुनर्गठन

विधिक सेवा संस्थाओं के कार्यक्षेत्र में दिनो दिन वृद्धि हो रही है। विधिक सेवाओं में नई–नई गतिविधियाँ शामिल हो रही हैं। समाज के कमजोर वर्गों में विधिक सेवा संस्थाओं की पहचान स्थापित होने से उनकी अपेक्षायें बढ़ी हैं जिन्हें पूरी करने के क्रम में विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा वांछित व्यवस्थायें किया जाना आवश्यक है।

विधिक सेवा सम्बन्धी अधिकांश गतिविधियाँ पैनल अधिवक्तागण एवं पैरा लीगल वोलेन्टियर्स के माध्यम से संचालित होती हैं। पूरे प्रदेश में आवश्यकता के अनुरूप नये सिरे से पैनल अधिवक्तागण का चयन हो चुका है और उनके प्रशिक्षण का कार्य भी अलग से चल रहा है, इसी क्रम में जनकल्याणकारी योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन हेतु पैरा लीगल वोलेन्टियर्स का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। इस पृष्ठभूमि में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायाधिपति श्री अजय रस्तोगी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्बन्धित नियमों, विनियमों व निर्देशों के अध्यधीन पैरा लीगल वोलेन्टियर्स की आवश्यकतानुसार नियुक्ति एवं उनके द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों की सुनियोजित कार्ययोजना निम्न प्रकार तैयार की जा रही है–

समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं शहरी स्थानीय निकायों पर विधिक सेवा केन्द्रों की स्थापना

प्रदेश में जन–जन तक विधिक सेवाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विधिक सेवा केन्द्र की स्थापना की जायेगी। पास–पास स्थित चार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थापित चारों विधिक सेवा केन्द्रों के लिए एक ही पैरा लीगल वोलेन्टियर की नियुक्ति की जायेगी। पैरा लीगल वोलेन्टियर प्रत्येक विधिक सेवा केन्द्र पर प्रति सप्ताह एक दिन प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक उपस्थित रहेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के विधिक सेवा केन्द्र पर पैरा लीगल वोलेन्टियर के प्रति सप्ताह उपस्थित होने के दिन (वार) निर्धारित किये जायेंगे। ग्राम पंचायत मुख्यालय के पंचायत भवन या अटल सेवा केन्द्र या अन्य उपलब्ध सरकारी भवन में सरपंच या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित कक्ष या स्थान पर बैठकर अपनी सेवायें देंगे। पैरा लीगल वोलेन्टियर के काम करने के लिए टेबल कुर्सी की व्यवस्था सरपंच या सम्बन्धित अधिकारी द्वारा की जायेगी।

उक्त भवन के सहज दृश्य स्थान पर फ्लेक्स शीट पर निम्न प्रपत्र में आवश्यक विवरण प्रदर्शित करायेंगेः–

विधिक सेवा केन्द्र .....

(गाँव का नाम)

1. पैरा लीगल वोलेन्टियर का नाम व मोबाइल नंबरः–
2. उपस्थित रहने का दिन .....

(प्रत्येक सप्ताह)

3. केन्द्र खुलने का समयः– उक्त दिवस पर प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक
4. केन्द्र के उद्देश्यः–
   - विधिक सेवा में तत्पर विधिक सेवा संस्थाओं की जानकारी देना
   - विधिक सेवा संस्थाओं के कार्य एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना
   - रोज काम आने वाले विषयों पर प्रारंभिक कानूनी सलाह देना
   - लोक कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन तैयार करने और उनके लाभ दिलाने में पात्र व्यक्तियों की मदद करना

निर्धारित समय पर पैरा लीगल वोलन्टियर के नहीं मिलने पर या अन्यथा कठिनाई आने पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को फोन नम्बर .....पर सूचित करें।

पैरा लीगल वोलन्टियर द्वारा रजिस्टर का संधारण

प्रत्येक विधिक सेवा केन्द्र पर पैरा लीगल वोलन्टियर द्वारा निम्न प्रारूप में एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा। रजिस्टर में वह नियमित रूप से कॉलमवार इन्द्राज करेगा व माह के अन्त में रजिस्टर में ही स्थानीय ग्राम पंचायत के सचिव/सरपंच से आगे दिये गये प्रपत्र में प्रमाणीकरण प्राप्त करेगा।

संधारित किये जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप

ग्राम पंचायत मुख्यालय.....

(ग्राम का नाम)

पैरा लीगल वोलन्टियर का नाम.....

क्र. सं.	दिनांक	केन्द्र पर आने वाले लाभार्थी का नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, व्यवसाय, पता	लाभार्थी की जिज्ञासा/ समस्या	पैरा लीगल वोलन्टियर द्वारा दी गयी सहायता का विवरण	लाभार्थी द्वारा प्राप्त की गयी सहायता पर टिप्पणी एवं हस्ताक्षर	पैरा लीगल वोलन्टियर द्वारा किये गये अन्य विधिक सेवा कार्यक्रमों का विवरण

पैरा लीगल वोलन्टियर रजिस्टर में माह के अन्त में ग्राम पंचायत के सचिव/ सरपंच से निम्न प्रारूप में प्रमाणीकरण करवायेगा–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... पैरा लीगल वोलन्टियर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विधिक सेवा केन्द्र में .....माह में कुल ..... निर्धारित दिवसों पर प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक उपस्थित रहें और अपना कार्य सही तरीके से किया। पैरा लीगल वोलन्टियर के निवास स्थान .....से इस विधिक सेवा केन्द्र की दूरी ..... किलोमीटर है।

नोटः– निर्धारित दिवसों पर पैरा लीगल वोलन्टियर के उपस्थित नहीं होने या पूरे समय उपस्थित नहीं रहने तथा सही तरीके से काम नहीं करने पर लाल स्याही से रिमार्क अंकित किया जायेगा।

दिनांकः

हस्ताक्षर ग्राम सचिव/सरपंच

सील.....

पैरा लीगल वोलन्टियर के कर्तव्य

- विधिक सेवा केन्द्र पर निर्धारित दिवस पर निर्धारित समयावधि में उपस्थित रहेगा।
- सहज दृश्य स्थान पर लगाई गयी फ्लेक्स शीट को सही स्थिति में रखेगा एवं खराब होने पर तुरंत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित कर सही कराने या नई लगवाने की कार्यवाही करेगा।
- नियमित रूप से रजिस्टर का संधारण करेगा और माह के अन्त में स्थानीय ग्राम पंचायत सचिव या सरपंच से प्रमाणीकरण करवायेगा।
- पैरा लीगल वोलन्टियर अपने संपर्क में आने वाले लोगों को विधिक सेवा संस्थाओं एवं विधिक सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी देगा, इनका प्रचार–प्रसार करने में कोई कसर नहीं रखेगा।
- केन्द्र पर आने वाले लोगों को वैकल्पिक विवाद–निस्तारण तकनीक अर्थात् लोक अदालत, मध्यस्थता आदि के उपयोग एंव उनके लाभों के बारे में बतायेगा। अधिक जानकारी के लिए पैम्पलेट पढ़ने के लिए देगा।
- केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक लाभार्थी की समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ धैर्यपूर्वक सुनेगा, उसे अपने पास मौजूद पैरा लीगल वोलन्टियर निर्देशिका की सहायता से उचित सलाह देगा। जटिल मामला होने पर स्थानीय वरिष्ठतम न्यायाधीश (तालुका अध्यक्ष) या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के फ्रन्ट ऑफिस में सम्पर्क करने की सलाह देगा।
- प्रत्येक लाभार्थी को उसकी पात्रता के अनुरूप लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बतायेगा।
- लोक कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन तैयार करने एवं आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने में लाभार्थियों की मदद करेगा।
- विधिक सेवा कार्यक्रमों का पेम्फलेट केन्द्र पर आने वाले पात्र लोगों को पढ़ने हेतु उपलब्ध करायेगा और आवश्यकता बताने पर उसे देगा जिसका रजिस्टर में इन्द्राज करेगा।
- यदि निर्धारित दिन पर ग्राम सभा हो तो ग्राम सभा में भी विधिक सेवा कार्यक्रमों की जानकारी दी जावेगी।
- प्रत्येक माह के अन्त में सम्बन्धित माह के रजिस्टर में किये गये इन्द्राज मय प्रमाणीकरण की स्व–प्रमाणित फोटो प्रति अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेगा।

शहरी स्थानीय निकायों पर विधिक सेवा केन्द्र का संचालन

शहरी स्थानीय निकाय नगरपालिका/ नगर परिषद/ नगर निगम कार्यालय पर भी विधिक सेवा केन्द्र की स्थापना की जायेगी। प्रत्येक केन्द्र पर एक पैरा लीगल वोलन्टियर की नियुक्ति की जायेगी जो प्रति सप्ताह एक दिन प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक निकाय के आयुक्त/ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित कक्ष/ स्थान पर कार्य करेगा। सम्बन्धित अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे पैरा लीगल वोलन्टियर की नियुक्ति करेंगे जिसे माह में कम से कम 16 दिन* का काम मिले। पैरा लीगल वोलन्टियर द्वारा फ्लेक्स शीट उसी तरह सहज दृश्य स्थान पर लगायी जायेगी जिस तरह ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगाने के निर्देश दिये गये हैं। पैरा लीगल

वोलन्टियर के कर्तव्य एवं दायित्व तथा रजिस्टर संधारण का कार्य भी ग्राम पंचायत मुख्यालय के पैरा लीगल वोलन्टियर की भांति संपादित किया जायेगा। रजिस्टर पर प्रमाणीकरण निकाय के आयुक्त/ सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रति माह के अन्त में रजिस्टर की स्व–प्रमाणित प्रति अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जावेगी।

पुलिस थानों पर विधिक सेवा केन्द्र का संचालन

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तीन पुलिस थानों के लिए एक पैरा लीगल वोलन्टियर की नियुक्ति की जावेगी। यदि पुलिस थाना ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है तो सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय के पैरा लीगल वोलन्टियर को ही ऐसे पुलिस थाने पर नियुक्त किया जायेगा अन्यथा शहरी क्षेत्र होने पर स्थानीय निकाय (नगर पालिका/ नगर परिषद/ नगर निगम) एवं जेल में नियुक्त पैरा लीगल वोलन्टियर को थाने पर नियुक्त किया जावेगा अर्थात् एक पैरा लीगल वोलन्टियर को थानों में व उक्त स्थानों पर इस तरह नियुक्त किया जायेगा कि उसे माह में कम से कम 16* या अधिक दिन का काम मिल जाये। प्रत्येक पुलिस थाने पर प्रति सप्ताह उपस्थित होने का दिन निर्धारित किया जायेगा जिस पर वह प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक उपस्थित रहेगा। पैरा लीगल वोलन्टियर सम्बन्धित पुलिस थाने पर थानाधिकारी द्वारा निर्धारित कक्ष या स्थान पर बैठकर अपनी सेवायें देगा।

पैरा लीगल वोलन्टियर द्वारा पुलिस थाने के सहज दृश्य स्थान पर फ्लेक्स शीट पर निम्न प्रपत्र में आवश्यक विवरण प्रदर्शित कराया जायेगाः–

विधिक सेवा केन्द्र .....

(पुलिस थाने का नाम)

1. पैरा लीगल वोलेन्टियर का नाम व मोबाइल नंबरः–
2. उपस्थित रहने का दिन .....
   (प्रत्येक सप्ताह)
3. केन्द्र खुलने का समयः– उक्त दिवस पर प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक
4. केन्द्र के उद्देश्यः–
   - विधिक सेवा में तत्पर विधिक सेवा संस्थाओं की जानकारी देना
   - निःशुल्क विधिक सलाह एवं विधिक सहायता कार्यक्रमों की जानकारी देना
   - पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अन्तर्गत अन्तरिम प्रतिकर हेतु थानाधिकारी से प्रमाण–पत्र जारी करवाना
   - बाल पीड़ित, बाल श्रमिक, बाल बंधुआ मजदूर, बालकों तथा महिलाओं से जुड़े मामलों में कानूनी सलाह व सहायता प्रदान करने के भरपूर प्रयास करना

निर्धारित समय पर पैरा लीगल वोलन्टियर के नहीं मिलने पर या अन्यथा कठिनाई आने पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को फोन नम्बर .....पर सूचित करें।

पैरा लीगल वोलन्टियर द्वारा रजिस्टर का संधारण

विधिक सेवा केन्द्र पर पैरा लीगल वोलन्टियर द्वारा निम्न प्रारूप में एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा। रजिस्टर में वह नियमित रूप से कॉलमवार इन्द्राज करेगा व माह के अन्त में रजिस्टर में ही सम्बन्धित थानाधिकारी से आगे दिये गये प्रपत्र में प्रमाणीकरण प्राप्त करेगा।

*राल्सा के पत्र क्रमांक एफ–3/राल्सा/पीएलवी/डीएस–II/ /11771–11805 दिनांक 10.07.2017 से संशोधित कर कम से कम 16 दिन के स्थान पर अधिकतम 14 दिन किया गया।

संधारित किये जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप

पुलिस थाना.....

(पुलिस थाने का नाम)

पैरा लीगल वोलन्टियर का नाम.....

क्र.सं.	दिनांक	केन्द्र पर आने वाले लाभार्थी का नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, व्यवसाय, पता	लाभार्थी की जिज्ञासा/समस्या	पैरा लीगल वोलन्टियर द्वारा दी गयी सहायता का विवरण	लाभार्थी द्वारा प्राप्त की गयी सहायता पर टिप्पणी एवं हस्ताक्षर	पैरा लीगल वोलन्टियर द्वारा किये गये अन्य विधिक सेवा कार्यक्रमों का विवरण

पैरा लीगल वोलन्टियर रजिस्टर में माह के अन्त में सम्बन्धित थानाधिकारी से निम्न प्रारूप में प्रमाणीकरण करवायेगा–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... पैरा लीगल वोलन्टियर इस पुलिस थाने पर विधिक सेवा केन्द्र में .....माह में कुल ..... निर्धारित दिवसों पर प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक उपस्थित रहें और अपना कार्य सही तरीके से किया। पैरा लीगल वोलन्टियर के निवास स्थान .....से इस विधिक सेवा केन्द्र की दूरी ..... किलोमीटर है।

नोटः– निर्धारित दिवसों पर पैरा लीगल वोलन्टियर के उपस्थित नहीं होने या पूरे समय उपस्थित नहीं रहने तथा सही तरीके से काम नहीं करने पर लाल स्याही से रिमार्क अंकित किया जायेगा।

दिनांकः

हस्ताक्षर थानाधिकारी

सील.....

पैरा लीगल वोलन्टियर के कर्तव्य

- पैरा लीगल वोलन्टियर निर्धारित दिवस, निर्धारित समय पर पुलिस थाने पर थानाधिकारी द्वारा बताये गये स्थान या कक्ष पर उपस्थित रहेगा।
- निर्धारित रजिस्टर का नियमित रूप से संधारण करेगा।
- माह के अन्त में रजिस्टर थानाधिकारी से प्रमाणीकरण करायेगा।
- थाने पर आने वाले परिवादी या अभियुक्त को निशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता कार्यक्रमों की जानकारी देगा।
- अपराध से पीडित पक्ष को पीडित प्रतिकर स्कीम के प्रावधानों की जानकारी देंगे साथ ही राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिपत्र क्रमांक – 5 दिनांक 27.02.2015 के अनुरूप थानाधिकारी से प्रमाण पत्र जारी कराने की कार्यवाही करेगा।
- केन्द्र पर आने वाले लोगों को वैकल्पिक विवाद निस्तारण तकनीक अर्थात लोक अदालत, मध्यस्थता आदि के उपयोग एवं उनके लाभों के बारे में बतायेगा अधिक जानकारी के लिए पेम्फलेट पढने के लिए देगा।
- केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक लाभार्थी की समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ धैर्यपूर्वक सुनेगा, उसे अपने पास मौजूद पैरा लीगल वोलन्टियर निर्देशिका की सहायता से उचित सलाह देगा। जटिल मामला होने पर

स्थानीय वरिष्ठतम न्यायाधीश (तालुका अध्यक्ष) या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के फ्रन्ट ऑफिस में सम्पर्क करने की सलाह देगा।

- विधिक सेवा कार्यक्रमों का पेम्फलेट केन्द्र पर आने वाले पात्र लोगों को पढ़ने हेतु उपलब्ध करायेगा और आवश्यकता बताने पर उसे देगा जिसका रजिस्टर में इन्द्राज करेगा।
- प्रत्येक माह के अन्त में सम्बन्धित माह के रजिस्टर में किये गये इन्द्राज मय प्रमाणीकरण की स्व–प्रमाणित फोटो प्रति अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेगा।

जेलों पर विधिक सेवा केन्द्र का संचालन

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार में स्थित प्रत्येक जेल में विधिक सेवा केन्द्र की स्थापना की जावेगी। प्रत्येक जेल पर स्थापित विधिक सेवा केन्द्र के लिए एक पैरा लीगल वॉलिन्टियर की नियुक्ति की जाएगी। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जेल स्थित होने की सूरत में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नियुक्त अन्यथा शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय कार्यालय में नियुक्त पैरा लीगल वॉलन्टियर की नियुक्ति की जायेगी।

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिनों पर प्रत्येक केन्द्रीय कारागृह में सप्ताह में दो दिन एवं शेष सभी कारागृहों में सप्ताह में एक दिन प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक पैरा लीगल वोलन्टियर उपस्थित रहेगा।

पैरा लीगल वोलन्टियर सम्बन्धित जेल पर अधीक्षक/ जेलर द्वारा निर्धारित कक्ष या स्थान पर बैठकर अपनी सेवायें देंगे।

पैरा लीगल वोलन्टियर द्वारा जेल के सहज दृश्य स्थान पर फ्लेक्स शीट पर निम्न प्रपत्र पर आवश्यक विवरण प्रदर्शित कराया जायेगाः–

विधिक सेवा केन्द्र .....

(जेल का नाम)

1. पैरा लीगल वोलेन्टियर का नाम व मोबाईल नंबरः–
2. उपस्थित रहने का दिन.....

   (प्रत्येक सप्ताह)
3. केन्द्र खुलने का समय :– उक्त दिवस पर प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक
4. केन्द्र के उद्देश्यः–
   - विधिक सेवा में तत्पर विधिक सेवा संस्थाओं की जानकारी देना
   - निःशुल्क विधिक सलाह एवं विधिक सहायता कार्यक्रमों की जानकारी देना
   - जिन बंदियों के पास प्रतिरक्षा के लिए अधिवक्ता नहीं है या अधिवक्ता के अभाव में अपील/ रिवीजन नहीं कर पाये हैं, उन्हें विधिक सहायता दिलवाना
   - बन्दियों को उनके अधिकारों की जानकारी देना
   - लोक अदालत, मध्यस्थता एवं प्ली बारगेनिंग की जानकारी देना

निर्धारित समय पर पैरा लीगल वोलन्टियर के नहीं मिलने पर या अन्यथा कठिनाई आने पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को फोन नम्बर .....पर सूचित करें।

पैरा लीगल वोलन्टियर द्वारा रजिस्टर का संधारण

विधिक सेवा केन्द्र पर पैरा लीगल वोलन्टियर द्वारा निम्न प्रारूप में एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा। रजिस्टर में वह नियमित रूप से कॉलमवार इन्द्राज करेगा व माह के अन्त में रजिस्टर में ही सम्बन्धित जेल अधीक्षक/ जेलर से आगे दिये गये प्रपत्र में प्रमाणीकरण प्राप्त करेगा।

संधारित किये जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप

जेल.....

(जेल का नाम)

पैरा लीगल वोलन्टियर का नाम.....

क्र.सं.	दिनांक	केन्द्र पर आने वाले लाभार्थी का नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, व्यवसाय, पता	लाभार्थी की जिज्ञासा/ समस्या	पैरा लीगल वोलन्टियर द्वारा दी गयी सहायता का विवरण	लाभार्थी द्वारा प्राप्त की गयी सहायता पर टिप्पणी एवं हस्ताक्षर	पैरा लीगल वोलन्टियर द्वारा किये गये अन्य विधिक सेवा कार्यक्रमों का विवरण

पैरा लीगल वोलन्टियर रजिस्टर में माह के अन्त में सम्बन्धित जेल अधीक्षक/ जेलर से निम्न प्रारूप में प्रमाणीकरण करवायेगा–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... पैरा लीगल वोलन्टियर इस पुलिस थाने पर विधिक सेवा केन्द्र में .....माह में कुल ..... निर्धारित दिवसों पर प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक उपस्थित रहें और अपना कार्य सही तरीके से किया। पैरा लीगल वोलन्टियर के निवास स्थान .....से इस विधिक सेवा केन्द्र की दूरी ..... किलोमीटर है।

नोटः– निर्धारित दिवसों पर पैरा लीगल वोलन्टियर के उपस्थित नहीं होने या पूरे समय उपस्थित नहीं रहने तथा सही तरीके से काम नहीं करने पर लाल स्याही से रिमार्क अंकित किया जायेगा।

दिनांकः

हस्ताक्षर जेल अधीक्षक/जेलर

सील.....

पैरा लीगल वोलन्टियर के कर्तव्य

- पैरा लीगल वोलन्टियर निर्धारित दिवस, निर्धारित समय पर जेल अधीक्षक/जेलर द्वारा बताये गये स्थान या कक्ष पर उपस्थित रहेगा।
- निर्धारित रजिस्टर का नियमित रूप से संधारण करेगा।
- माह के अन्त में रजिस्टर का जेल अधीक्षक/जेलर से प्रमाणीकरण करायेगा।
- जेल पर आने वाले बन्दियों को निशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता कार्यक्रमों की जानकारी देगा।
- यदि किसी बन्दी का वकील नहीं है तो उससे विधिक सहायता का आवेदन पत्र लेकर जे.सी. वारंट के साथ सम्बन्धित न्यायालय में भिजवायेगा जिस पर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी।

- यदि किसी बन्दी की सजा हो चुकी है और वह वकील के अभाव में अपील या रिविजन दायर नहीं कर पाया है तो उसकी जानकारी प्रति माह विजिट करने वाली विधिक जागरूकता टीम को देगा।
- पैरा लीगल वॉलन्टियर द्वारा बन्दियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जायेगी। उनकी कठिनाईयों से जेल/ जेलर अधीक्षक को अवगत कराया जायेगा। कठिनाईयों का निवारण नहीं होने पर जेल के उच्च अधिकारियों को सूचना दी जायेगी।
- केन्द्र पर आने वाले लोगों को वैकल्पिक विवाद निस्तारण तकनीक अर्थात लोक अदालत, मध्यस्थता, प्ली बारगेनिंग आदि के उपयोग एवं उनके लाभों के बारे में बतायेगा अधिक जानकारी के लिए पेम्फलेट पढने के लिए देगा।
- केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक लाभार्थी की समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ धैर्यपूर्वक सुनेगा, उसे अपने पास मौजूद पैरा लीगल वोलन्टियर निर्देशिका की सहायता से उचित सलाह देगा। जटिल मामला होने पर स्थानीय वरिष्ठतम न्यायाधीश (तालुका अध्यक्ष) या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के फ्रन्ट ऑफिस में सम्पर्क करने की सलाह देगा।
- विधिक सेवा कार्यक्रमों का पेम्फलेट केन्द्र पर आने वाले पात्र लोगों को पढ़ने हेतु उपलब्ध करायेगा और आवश्यकता बताने पर उसे देगा जिसका रजिस्टर में इन्द्राज करेगा।
- प्रत्येक माह के अन्त में सम्बन्धित माह के रजिस्टर में किये गये इन्द्राज मय प्रमाणीकरण की स्व–प्रमाणित फोटो प्रति अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेगा।

तालुका विधिक सेवा समिति एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालयों पर विधिक सेवा केन्द्र (फ्रन्ट ऑफिस) की स्थापनाः–

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अध्यक्ष ताल्लुका विधिक सेवा समिति द्वारा संबंधित न्यायालय परिसर में उपयुक्त स्थान पर विधिक सेवा केन्द्र (फ्रन्ट ऑफिस) की स्थापना की जावेगी। पहले से कार्यरत विधिक सेवा क्लीनिक को ही फ्रन्ट ऑफिस का रूप दिया जायेगा। प्रत्येक फ्रन्ट ऑफिस पर प्रतिदिन कार्यदिवस पर एक कनिष्ठ लिपिक प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक उपस्थित रहेगा वह अपना काम वहीं बैठकर करेगा। फ्रन्ट ऑफिस में आने वाले लाभार्थियों की सहायता करेगा। अपने स्तर पर संभव नहीं होने पर रिटेनर/ पैनल अधिवक्ता को बुलायेगा।

पैरा लीगल वोलन्टियर द्वारा पुलिस थाने के सहज दृश्य स्थान पर फ्लेक्स शीट पर निम्न प्रपत्र में आवश्यक विवरण प्रदर्शित कराया जायेगाः–

विधिक सेवा केन्द्र .....

(न्यायालय परिसर का नाम)

1. केन्द्र खुलने का समयः– उक्त दिवस पर प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक
2. केन्द्र के उद्देश्यः–
    - विधिक सेवा में तत्पर विधिक सेवा संस्थाओं की जानकारी देना
    - विधिक सेवा संस्थाओं के कार्य एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना
    - रोज काम आने वाले विषयों पर प्रारंभिक कानूनी सलाह देना
    - प्ली बारगेनिंग लोक अदालत, मध्यस्थता आदि वैकल्पिक निस्तारण तकनीकों के लाभों की जानकारी देना

फ्रन्ट ऑफिस में रजिस्टर का संधारण

प्रत्येक फ्रन्ट ऑफिस में निम्न प्रारूप में एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा।
रजिस्टर में नियमित रूप से कॉलम वार इन्द्राज किये जायेंगे।

संधारित किये जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप

न्यायालय परिसर .....
(न्यायालय परिसर का नाम)

क्र.सं.	दिनांक	फ्रन्ट ऑफिस पर आने वाले लाभार्थी का नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, व्यवसाय, पता	लाभार्थी की जिज्ञासा/ समस्या	दी गयी सहायता का विवरण	लाभार्थी द्वारा प्राप्त की गयी सहायता पर टिप्पणी एवं हस्ताक्षर	फ्रन्ट ऑफिस द्वारा किये गये अन्य विधिक सेवा कार्यक्रमों का विवरण

फ्रन्ट ऑफिस के कार्यः–

- फ्रन्ट ऑफिस में आने वाले लोगों को विधिक सेवा संस्थाओं एवं विधिक सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी देना।
- निःशुल्क विधिक सलाह एवं विधिक सहायता के पात्र व्यक्तियों एवं प्रक्रिया की जानकारी देना।
- केन्द्र पर आने वाले लोगों को वैकल्पिक विवाद निस्तारण तकनीक अर्थात लोक अदालत, मध्यस्थता आदि के उपयोग एवं उनके लाभों के बारे में बताना। अधिक जानकारी के लिए पेम्फलेट पढने के लिए देना।
- केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक लाभार्थी की समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ धैर्यपूर्वक सुनना, उसे उचित सलाह देगा। जटिल मामला होने पर उसे रिटेनर/ पैनल अधिवक्ता की सलाह व सहायता उपलब्ध कराना।
- विधिक सेवा कार्यक्रमों का पेम्फलेट केन्द्र पर आने वाले पात्र लोगों को पढ़ने हेतु उपलब्ध करायेगा और आवश्यकता बताने पर उसे देगा जिसका रजिस्टर में इन्द्राज करेगा।

यदि पहले से उपरोक्त स्थानों पर फ्रन्ट ऑफिस स्थापित है तो उनका संचालन उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जावेगा।

यदि उपरोक्त स्थानों पर पहले से विधिक सेवा केन्द्र/ फ्रन्ट ऑफिस स्थापित नहीं हैं तो आवश्यकतानुसार नये विधिक सेवा केन्द्र/फ्रन्ट ऑफिस स्थापित किए जाऐंगे।

विधिक सेवा केन्द्रों की व्यवस्था

1. पूरे जिले में विधिक सेवा केन्द्रों के लिए रजिस्टर, पैन, पेम्पलेट, पैरा लीगल वॉलन्टियर निर्देशिका, लोक कल्याणकारी योजनाओं की पुस्तिकाओं की व्यवस्था सम्बन्धित अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जावेगी। पैरा लीगल वोलेन्टियर निर्देशिका, लोक कल्याणकारी योजनाओं की पुस्तिकाओं की आपूर्ति इस कार्यालय द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जायेगी।

2. यदि कोई पैरा लीगल वॉलन्टियर निर्धारित दिवस पर विधिक सेवा केन्द्र/ फ्रन्ट ऑफिस पर उपस्थित होने में असमर्थ रहे तो उसे सम्बन्धित तालुका अध्यक्ष एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचना देनी होगी ताकि इसके स्थान पर पड़ोस से दूसरे पैरा लीगल वॉलन्टियर को भेजा जा सके।

पैरा लीगल वॉलन्टियर की नियुक्ति

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पन्द्रह दिन में अपने न्यायिक क्षेत्र के लिये उपरोक्तानुसार आवश्यक पैरा लीगल वॉलन्टियर की संख्या का आकलन किया जायेगा इसके लिए पहले अक्षम व अयोग्य पैरा लीगल वॉलन्टियर्स को हटाने की कार्यवाही कर ली जायेगी तदोपरान्त नालसा के दिशा–निर्देशों (प्रति संलग्न) के अनुरूप पैरा लीगल वॉलन्टियर्स की नियुक्ति की जायेगी। साथ ही एक रिजर्व पैनल भी रखा जायेगा ताकि किसी पैरा लीगल वॉलन्टियर की अनुपलब्धता होने पर तुरन्त नियुक्ति की जा सके।

नव नियुक्त पैरा लीगल वॉलन्टियर्स का प्रशिक्षण

नवनियुक्त पैरा लीगल वॉलन्टियर्स को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों की (प्रति संलग्न) के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि वे अपना कार्य सुचारू रूप से संपादित कर सकें।

पैरा लीगल वॉलन्टियर एवं पैनल अधिवक्तागण के कार्य एवं व्यवहार की समीक्षा

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्वयं एवं अपने निर्देशन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति के माध्यम से सभी पैरा लीगल वॉलन्टियर एवं पैनल अधिवक्तागण के कार्य एवं व्यवहार पर नजर रखेंगे। उनके कार्य की नियमित समीक्षा करेंगे। निर्धारित दिवस एवं समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के क्रम में औचक निरीक्षण की व्यवस्था करेंगे। स्थान विशेष पर नियुक्त पैरा लीगल वॉलन्टियर की उपस्थिति एवं कार्य व्यवहार की जानकारी सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से लेंगे कुल मिलाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि पैरा लीगल वॉलन्टियर एवं पैनल अधिवक्तागण को एहसास रहे कि उनके कार्यों का आकंलन हो रहा है। और यदि उन्होने लापरवाही बरती तो उन्हें हटाया जा सकता है।

पैरा लीगल वॉलन्टियर या पैनल अधिवक्ता को हटाया जाना

यदि नियमित समीक्षा किये जाने पर यह पाया जावे कि कोई पैरा लीगल वॉलन्टियर या पैनल अधिवक्ता अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, नकारात्मक विचार रखने वाला है, अपराध का अभियुक्त है, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता है, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है, दुराचरण का दोषी हो तो उसे आवश्यक सतुष्टि के पश्चात् हटाने एवं उसके स्थान पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नया पैरा लीगल वॉलन्टियर या पैनल अधिवक्ता लगाने की कार्यवाही की जायेगी।

पैरा लीगल वॉलन्टियर को मानदेय का भुगतान

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने न्यायक्षेत्र में नियुक्त पैरा लीगल वॉलन्टियर्स का निम्न प्रपत्र में रजिस्टर संधारित किया जायेगा।

क्र. सं.	नियुक्ति स्थल	पैरा लीगल वॉलन्टियर का नाम, पता व मोबाईल नम्बर	नियुक्ति तिथि	रिमार्क

पैरा लीगल वॉलन्टियर को एक दिन के कार्य के लिए 250/– रूपए* मानदेय का भुगतान किया जायेगा। पैरा लीगल वॉलन्टियर के निवास स्थान से कार्यस्थल तक आने जाने के लिए बस या रेल का उपयोग करने पर साधारण किराया या तीन रूपये प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा खर्चा दिया जायेगा।

पैरा लीगल वॉलन्टियर द्वारा संधारित रजिस्टर की सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण के साथ प्राप्त हुई प्रति के अनुसार कार्य दिवस की गणना करते हुए एवं तय की गयी दूरी के प्रमाणीकरण के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

पैरा लीगल वॉलन्टियर के मानदेय, यात्रा व्यय एवं विधिक सेवा केन्द्रों के संचालन में होने वाले खर्चे का भुगतान धारा 4(सी) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के बजट से लेखा नियमों की पूर्ण पालना करते हुए किया जायेगा।

पैरा लीगल वॉलन्टियर से उपरोक्त वर्णित कार्यों के अलावा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित कार्य लिये जाएंगे। साथ ही राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं तथा समय–समय पर जारी निर्देशों के क्रियान्वयन में उनकी सेवाओं का उपयोग किया जायेगा।

(सतीश कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

क्रमांक–**12** दिनांक :–23 सितम्बर, 2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
3. निजी सचिव, माननीय जज इन्चार्ज मीडियेशन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
4. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
5. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि परिपत्र की प्रति उनके न्याय क्षेत्र के समस्त तालुका विधिक सेवा समिति को प्रेषित करावें तथा परिपत्र के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही कर रिपोर्ट इस प्राधिकरण को प्रेषित करावें।
7. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
8. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
9. उप सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर/जयपुर।
10. सम्बन्धित/ रक्षित पत्रावली।

उप सचिव

*राल्सा के पत्र कार्यालय आदेश क्रमाक एफ–3/राल्सा/डी.एस–II/311 दिनांक 27.06.2017 के द्वारा 250 से बढ़ाकर 500 रुपये मानदेय किया गया, जो दिनांक 01.07.2017 से लागू किया गया।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481,2227555, FAX: 2227602, Help line No.15100)

क्रमांक :–एफ 8 (01)/पैरा लीगल वॉलियन्टर/डीएस–।।/16071–16105 दिनांक :–10.11.2016

प्रेषितिः–

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सैशन न्यायाधीश)
समस्त राजस्थान।

विषयः– पैरा लीगल वॉलियन्टर्स नियुक्ति के क्रम में।
प्रसंगः– इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक 3121–3338 दिनांक 02.05.2012

महोदय,

सादर निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के जरिये पूर्व में जिला प्राधिकरण/ताल्लुका समिति स्तर पर पैरा लीगल वॉलियन्टर्स की नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश प्रदान किये गये थे। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रालसा के निर्देशानुसार HIV के साथ जी रहे लोग, उच्च जोखित समुदाय एवं ट्रांसजेण्डर्स को, जो PLV की योग्यता पूरी करते हो, PLV के रूप में चयन करे एवं जिला/ताल्लुका स्तर पर नियुक्त करे ताकि वे HIV समुदाय एवं ट्रांसजेण्डर्स को कानूनी अधिकारो की जानकारी देकर उनको कानूनी जानकारी से सक्षम बना सकें।

भवदीय,
(एस0के0 जैन)
सदस्य सचिव
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर
(Phone : 0141-2227481,2227555, FAX: 2227602, Help line No.15100)

क्रमांकः—एफ—3 / रालसा / पी.एल.वी / DS-II /11771-11805 दिनांक :—10.07.2017

प्रेषिति :

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
समस्त राजस्थान।

विषयः— विधिक सेवा केन्द्रों की स्थापना एवं पुनर्गठन के संबंध में।
प्रसंगः— इस कार्यालय का परिपत्र क्रमांक 12 दिनांक 23.09.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसंग में निर्देशानुसार निवेदन है कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक F-(3)RSLSA/DS-II/311 दिनांक 27.06.2017 द्वारा पैरा लीगल वॉलन्टियर्स को भुगतान किये जाने वाले मानदेय में संशोधन कर रुपये 500 / — प्रतिदिन (अधिकतम रुपये 7,000 / — प्रतिमाह) कर दिया गया है। उक्त तथ्यों को देखते हुए विधिक सेवा केन्द्रों की स्थापना एवं पुनर्गठन के क्रम में जारी परिपत्र क्रमांक—12 दिनांक 23. 09.2015 में दर्शित बिन्दु (Heading) **ग्राम पंचायत मुख्यालयों, शहरी स्थानीय निकायों एवं पुलिस थानों पर विधिक सेवा केन्द्रों के संचालन** में पैरा लीगल वॉलियन्टर को माह में कार्यावधि कम से कम 16 दिन दर्शाई गई है, जिसे अब संशोधित करते हुए माह में अधिकतम 14 दिवस की जाती है।

अतः भविष्य में पैरा लीगल वॉलियन्टर को इसी अनुरूप रोटेशन आधार पर कार्य आवंटन करना सुनिश्चित करावें।

सादर।

भवदीय,
(एस.के.जैन)
सदस्य सचिव
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)

क्रमांकः–एफ–3 / रालसा / पी.एल.वी / DS-II /11806-11884 दिनांक :–10.07.2017

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर / जोधपुर।
3. निजी सचिव, माननीय जज इन्चार्ज मीडियेशन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर / जोधपुर।
4. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि परिपत्र की प्रति उनके न्याय क्षेत्र के समस्त तालुका विधिक सेवा समिति को प्रेषित करावें तथा परिपत्र के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही कर रिपोर्ट इस प्राधिकरण को प्रेषित करावें।
7. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
8. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर / जोधपुर।
9. उप सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर / जयपुर।
10. सम्बन्धित / रक्षित पत्रावली।

उप सचिव –द्वितीय

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर
(Phone : 0141-2227481,2227555, FAX: 2227602, Help line No.15100)

क्रमांक :– एफ(3) रालसा/डीएस–द्वितीय/311 **दिनांक :–** 27.06.2017

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पैरा लीगल वॉलियन्टर्स स्कीम संशोधित एवं लीगल एड क्लिनिक स्कीम–2010 के प्रावधानों में संशोधन करते हुए पैनल अधिवक्ता एवं पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के मानदेय में निम्नानुसार वृद्धि की जाती हैः–

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान में भुगतान किया जा रहा मानदेय	संशोधित मानदेय
1.	पैनल अधिवक्ता	500 रुपये प्रति विजिट	1000 प्रतिदिन (अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह)
2.	पैरा लीगल वॉलियन्टर्स	250 रुपये प्रति विजिट	500 रुपये प्रतिदिन (अधिकतम 7,000 रुपये प्रति माह)

अतः उक्त संशोधित मानदेय दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी होगा।

(एस.के.जैन)
सदस्य सचिव
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)

क्रमांक 9934–9984 दिनांक 27.06.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है–

1. निजी सचिव माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
3. निजी सचिव, माननीय जज इन्चार्ज, मीडियेशन राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
4. श्रीमान् सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
5. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
8. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर।
9. उपसचिव प्रथम, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
10. उपसचिव एक्शन प्लान एण्ड एडीआर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
11. पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
12. उप सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर।
13. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
14. आदेश/रक्षित/संबंधित पत्रावली।

उप सचिव –II

अधिनियम, नियम व विनियम

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

A SCHEME FOR THE PROJECT OF

PARA-LEGAL VOLUNTEERS

(Under the Plan of Action for the year 2009-2010)

The Project of Para-Legal Volunteers is aimed at imparting legal awareness to volunteers selected from certain target groups who in turn act as harbingers of legal awareness and legal aid to all sections of people. The Volunteers are expected to act as intermediaries between the common people and Legal Services institutions and thereby removing barriers of access to justice. Initially, the volunteers are identified from the NSS units in Colleges, creditworthy NGOs and credible social organizations and Women Self Help Groups. In order to achieve the desired results and to mould the volunteers into full-fledged Para-Legal Volunteers, the following guidelines are formulated:

MODALITIES

At the First Stage, every Taluka Legal Services Committee (TLSC) shall identify 5 volunteers from each Arts and Science College where legal literacy classes are conducted. This should be done with the help of the NSS programme officers of the college and in consultation with the Principal. Volunteers shall be of good character, with inclination for social service, law obedient and with a strong sense of legal rights and justice. At least one of the volunteers should be a female student. Names, addresses, and contact telephone nos of the volunteers selected from each college will be kept in the Register of Para-Legal Volunteers maintained by the TLSC.

In the Second stage, selection of volunteers is from the members of the social organizations and Women Self Help Groups. One member with the aforesaid qualities from each panchayat, shall be selected in consultation with the Chairperson of the local self government institutions. This can be done during the legal literacy classes by making advance announcement to the participants. Names, addresses and contact telephone numbers of the selected Para-Legal Volunteers should be noted in the Register.

TLSC may identify other suitable groups also from among whom Para-Legal Volunteers can be selected.

The Third stage is Training. Training programme shall be organized by the TLSC at the Taluka centers. The modalities of training may be decided by the TLSC in consultation with the District Legal Services Authority (DLSA). Training programme is to be planned in such a manner as

to provide adequate exposure to the volunteers for generating legal awareness about the Constitutional and statutory rights and duties, general civil, criminal, substantial and procedural laws. Legal issues relating to the following topics also can be included in the Training Programme:

1. Women
2. Children's rights and abolition of child labour.
3. Students.
4. Farmers
5. Industrial and Agricultural Labour.
6. Prisoners
7. Victims of natural calamities and Communal violence.
8. Physically and mentally challenged persons.
9. Victims of trafficking.
10. Members of Scheduled castes and Scheduled Tribes.
11. Consumers.
12. Senior Citizens.
13. Bonded labour.
14. Domestic Violence.
15. Farmers' debt relief.
16. Other beneficiaries of the Legal Services Authorities Act.

The Legal Services Authorities Act 1987, Rules and Regulations framed there under should be an integral part of the training programme. The training should be so oriented as to enable the trainees to act as effective coordinators with the TLSC at the first instance and then with District Legal Services Authorities, High Court Legal Services Committee, State Authority and Supreme Court Legal Services Committee.

TRAINING TOPICS:

Rights of women under the following Acts and topics:

1. Hindu Marriage Act, Christian Marriage Act, Special Marriages Act, Muslim Women's Protection Act.
2. Child Marriage Restraint Act.
3. Family Courts Act.
4. Guardian and Wards Act.
5. Hindu Minority and Guardianship Act.
6. Maternity Benefit Act.
7. Medical Termination and Pregnancy Act.
8. Dowry Prohibition Act.
9. Dowry Harassment.
10. Domestic Violence.

11. S.125 Cr.P.C.
12. Harassment of Women.
13. Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities Act.)
14. Consumer Protection Laws.
15. Labour Welfare Laws.
16. Procedure for claiming compensation for accident victims under Fatal Accidents Act, MV Act, W.C.Act and from railway Accident Claims Tribunal.
17. Bonded Labour (Abolition) Act.
18. F.I.R.
19. Arrest, Bail.
20. Rights of Prisoners.
21. Rights of accused in criminal cases.
22. Registration, Stamp duty.
23. Promissory Notes and Cheques.
24. Revenue Laws.
25. Rights of HIV/AIDS affected persons.
26. Govt. Orders promoting social welfare.
27. PILs.
28. LOK ADALATS, ADR system and free services under the Legal Services Authorities Act.
29. Any other topic the DLSA or TLSC consider to be of relevance to a particular local area.

PROCEDURE RELATING TO TRAINING.

1. Para-Legal Volunteer's training programme is to be conducted under the supervision of the Chairman and Secretary of the TLSC, in consultation with the DLSA.
2. As soon as the training is completed, the TLSC shall send a list of volunteers their names, address and contact details to the DLSA. A consolidated list of Para-Legal Volunteers in the district shall be prepared by the DLSA and submitted to the State Authority.
3. A review meeting of the Volunteers shall be conducted by the TLSC once in three months and a repot shall be submitted to the DLSA within a week. A copy of the report shall be sent to the State Authority also.
4. The TLSC may devise its own plan of action for utilization of the services of the Para-Legal Volunteers.
5. The DLSA may allot a maximum of Rs.2000/- to the TLSC for each training session for providing refreshments to the trainees.
6. The TLSC may utilize the services of serving/retired judicial officers, law teachers, lawyers, law students, revenue officials, officers of the social welfare department and the law graduates among the court staff as resource persons for the training programme.

Disqualifications of Para-Legal Volunteers and their removal

No person shall be eligible to work as Para-Legal Volunteer if he/she;

a) fails to evince a sustained interest in the scheme or;

b) has been adjudged insolvent or;
c) is accused for an offence in a criminal case or convicted by a criminal court or;
d) has become physically or mentally incapable of acting as a Para-Legal Volunteer or;
e) has abused his/her position or committed misconduct in any manner as to render his/her continuance prejudicial to public interest or;
f) has willfully refused to obey the instructions of the DLSA/TLSC or;

A Para-Legal Volunteer with any of the above disqualifications may be removed by the Chairman, TLSC. Such removal should be promptly reported to the DLSA and also to the State Authority.

Duties of Trained Para-Legal Volunteers.

1. Para-Legal Volunteer shall educate people, especially those belonging to weaker sections of the society to enable them to be aware of the right to live with human dignity, to enjoy all the constitutionally and statutorily guaranteed rights, performing the duties and discharging obligations as per law.
2. Para-Legal Volunteers shall make people aware of the nature of their disputes/issues/problems and inform them that they can approach the TLSC/DLSA/HCLSC/SLSA/SCLSC and that they can resolve the dispute/issue/problems through these institutions.
3. Para-Legal Volunteers shall constantly keep a watch on transgressions of law or acts of injustice in their area of operation and bring them immediately to the notice of the TLSC through telephonic message or a written communication or in person to enable effective remedial action by the Committee.
4. Para-Legal Volunteers shall assist the DLSA/TLSC for organizing legal awareness camps in their area of operation.
5. Para-Legal Volunteers shall give information to the people of their locality about the legal services activities of SLSA/DLSA/TLSC/HCLSC/SCLSC and shall provide their addresses to the people so as to enable them to utilize the free services rendered by the above organizations to the eligible persons.
6. Para-Legal Volunteers shall generate awareness among people about the benefits of settlement of disputes through Lok Adalats, Conciliation, Mediation and Arbitration.
7. Para-Legal Volunteers shall propagate the facility of Pre-Litigation petitions in the TLSC/DLSA for inexpensive settlement of disputes.
8. Para-Legal Volunteers shall create awareness among citizens that if pending cases are settled through Lok Adalats the parties are entitled to refund of Court fee and that there is no appeal.
9. Para-Legal Volunteers shall make people aware of the benefits of inexpensive settlement of disputes relating to Public Utility Services like P&T, Telephones, Electricity, Water Supply, insurance and hospital services through Permanent Lok Adalats (PLA).
10. Para-Legal Volunteers shall submit monthly reports of their activities to the TLSC.
11. Para-Legal Volunteers shall see that publicity materials of legal services activities are exhibited at prominent places in there are of activity.

Expenses incurred by Para-Legal Volunteers.

Reasonable expenses incurred by Para-Legal Volunteers e.g. Bus/Train fare, Postage, Telephone charges etc., may be reimbursed by the TLSC/DLSA/SLSA, on production of proof and receipts may be obtained. Travel expenses limited to the lowest class by road/rail/steamer of the legal aid beneficiaries brought by the Para-Legal Volunteers also may be reimbursed at the discretion of the Chairman.

AMENDMENTS BROUGHT IN AS PER THE DECISION TAKEN BY THE CENTRAL AUTHORITY OF NALSA ON 03.05.2011

1. Number of Para-Legal Volunteers (PLVs) to be identified by the District Legal Services Authorities and Taluk Legal Services Committees:

(a) The Para-Legal Volunteers (PLVs) to be identified by the District Legal Services Authorities (DLSAs) shall be 100.

(b) The number of PLVs to be identified by the Taluk Legal Services Committees (TLSCs) shall be 50.

2. Monthly reports by Para-Legal Volunteers:

(a) The PLVs shall submit monthly reports to the TLSCs and DLSAs as the case may be. The DLSAs shall collect reports from the TLSCs/Sub-Divisional Legal Services Committees and shall send such reports along with the reports of PLVs of DLSAs to the SLSAs. The SLSAs may fix a date in every month as the last date for submitting such reports.

3. Honorarium to the Para-Legal Volunteers.

(a) An honorarium of Rs.250/- per day may be paid to all PLVs engaged for specific works like going to the remote villages, distribution of legal literacy materials, attending the legal aid clinics and 'front offices' of the Legal Services Institutions.

(b) In addition to the honorarium mentioned in Clause (a) above, where the PLVs have to undergo expenses for travel to places outside his / her base, the Legal Services Institutions would have to meet such expenses.

(c) The rate of daily honorarium payable to the PLVs for the aforementioned engagements in the metro cities may be as determined by the SLSAs.

4. Identity cards for the PLVs.

(a) The identify cards issued to the PLVs would be valid initially for a period of one year only.

(b) The identify cards of PLVs shall specify the date of its expiry in the card itself.

5. Inclusion of Retired Judges to function as PLVs.

(a) Persons like retired judges could also be considered to function as PLVs whenever their services are available.

पैरा लीगल वॉलियन्टर्स योजना (संशोधित)

परिचय

वर्ष 2009 मे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने एक नई योजना, जिसे पैरा लीगल वॉलियन्टर योजना कहा गया, को लागू किया। इस योजना का मकसद था कि समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों का प्रशिक्षण द्वारा कानून की मूलभूत बातों की जानकारी दी जाये तथा उनके द्वारा समाज के हर तबके में अपनी पहुँच दर्ज की जाए। अंतिम मकसद था कि न्याय सबको मिले और इस रास्ते में कोई भी रूकावट न रहे। पैरा लीगल वॉलियन्टर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आम नागरिक तथा विधिक सेवा संस्थान के बीच सेतु का काम करेंगे ताकि आम नागरिक की न्याय तक निर्बाध पहच सुनिश्चित किया जा सके। न्याय सबको मिले इसके लिए विधिक सेवा संस्थान की प्रत्येक नागरिक के दरवाजे तक पहुंच होनी चाहिए तथा यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि आम नागरिक ही विधिक सेवा संस्थान तक आऐं।

पैरा लीगल वॉलियन्टर्स का पाश्चात्य संस्करण को पूर्णरूपेण भारतीय परिस्थितियों में नहीं अपनाया जा सकता है क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में लोग अशिक्षित हैं। पैरा लीगल प्रशिक्षण को भी सामान्य एकेडमिक पढ़ाई जैसी रूपरेखा नहीं दी जा सकती है। यह एक सेतु पाठ्यक्रम के अर्थ में है जो कि जरूरत के हिसाब से बनाया गया है। पैरा लीगल वॉलियन्टर्स को विभिन्न प्रकार के कानूनों की मूलभूत जानकारी दी जानो आवश्यक है। वैसे कानून जिनका दिन–प्रतिदिन के कामों में उपयोग है तथा वैसे कानून और प्रक्रियाएं जिनसे देश की न्याय व्यवस्था संचालित होती है साथ ही साथ पुलिस, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग एवं सरकार के अन्य विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दिया जाना जरूरी है। पैरा लीगल वॉलियन्टर्स को किशोर न्याय अधिनियम तथा घरेलु हिंसा जैसे कानूनों की जानकारी भी दिया जाना आवश्यक है। कानून की मूलभूत बाता तथा कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी होने से पैरा लीगल वॉलियन्टर लोगों की मदद करने के लायक बनते हैं। एक आम नागरिक जिसे कानून की, अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, वह भी पैरा लीगल वॉलियन्टर्स की मदद से अपने अधिकार प्राप्त करने में सक्षम होता है।

परा लीगल वॉलियन्टर्स से यह अपेक्षा नहीं की जाती की वह कानून एवं न्यायिक व्यवस्था में पारंगत हों, लेकिन उन्हें सामान्य समझ बनाने में मदद की जाती है ताकि वह घटना स्थल पर ही छोटे मोटे विवादों का समाधान कर सकें। विवाद की गंभीर प्रकृति के होने पर, पैरा विधिक पक्षकारों को विधिक सेवा संस्थान अथवा मध्यस्थता केन्द्र लाने की पहल करते हैं जहाँ उन्हें विधिक सहायता दी जाती है तथा उनके विवादों का निपटारा लोक अदालत अथवा मध्यस्थता द्वारा किए जाने का प्रयास किया जाता है। विवाद की प्रकृति से यह निर्णय लिया जाता है कि इसमें किस प्रकार की विधिक सहायता दी जाए।

प्रारंभ में अधिवक्तागण भी पैरा लीगल प्रशिक्षण पाने के योग्य थे परन्तु बाद में यह अनुभव किया गया कि यह अव्यवहारिक है। दूरदराज में रहने वाले लोगों के पास उन्हीं में से चुने हुए पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के माध्यम से ही पहुँचा जा सकता है अतः नालसा ने अधिवक्ता को पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के लिए अनुकुल नहीं माना।

शुरू में पैरा लीगल प्रशिक्षण 2–3 दिनों का रहता था चूंकि पैरा लीगल का दायित्व काफी बड़ा था, इसलिए यह अनुभव किया गया कि प्रशिक्षण अवधि बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि प्रशिक्षण की विषय वस्तु ऐसी नहीं हो सकती कि व्यक्ति पूर्णरूपेण अधिवक्ता बन जाए। पैरा लीगल कानूनी

विशेषज्ञ बने ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि पैरा लीगल में मूलभुत मानवीय गुण जैसे करूणा, सहानुभूति तथा सेवा करन की भावना का विकास किया जाए। यह सब करने के लिए पैरा विधिक के मन में धन कमाने की भावना नहीं आनी चाहिए, यह भी अपेक्षा की जाती है।

रूपरेखाएं

- आदर्श स्थिति में प्रत्येक तालुका स्तरीय विधिक सेवा समिति के पास 25 (50) पैरा लीगल वॉलियन्टर्स प्रत्येक समय होने चाहिए तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास 50 (100) पैरा लीगल वॉलियन्टर्स होने चाहिए।
- पैरा लीगल वॉलियन्टर को साक्षर, आदर्श रूप से मैट्रिक, होना चाहिए तथा उसके पास लोगों की बात समझने की सूझ–बूझ होनी चाहिए।
- वैसे लोगों का पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के रूप में चयन किया जाना चाहिए जो इसे आय का साधन समझकर नहीं आना चाहते। चयन किए जाने वाले व्यक्ति में जरूरतमंदों की सेवा करने की भावना होनी चाहिए तथा शोषित और वंचित तबके के लिए करूणा, सहानुभूति तथा उनकी स्थिति बेहतर करने का संकल्प होना चाहिए।

समुदाय जिनमं से पैरा लीगल वॉलियन्टर का चयन किया जा सकता है

- शिक्षक (सेवानिवृत शिक्षक सहित)
- सेवानिवृत सरकारी सेवक तथा वरिष्ठ नागरिक
- समाज कल्याण में परास्नातक स्तर के छात्रा तथा शिक्षक
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
- चिकित्सक
- विद्यार्थी तथा कानून के विद्यार्थी (अधिवक्ता के रूप में नामांकन से पूर्व)
- गैर–राजनीतिक संस्था के सदस्य जो सेवा भावना से चलने वाले गैर सरकारी संस्था तथा क्लब के सदस्य।
- अस्थानीय महिला सदस्य मंडल के सदस्य तथा स्वयं सहायता समूह के सदस्य।
- अच्छा व्यवहार वाला लंबी सजायाफ्ता कैदी।
- कोई अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के रूप में कार्य के लिए उचित समझती है।

जिला स्तर पर पैरा लीगल वॉलियन्टर का चयन

जिला स्तर पर पैरा लीगल वॉलियन्टर के चयन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव इस समिति का एक सदस्य होता है। यह समिति तीन सदस्यों की होती है। तीसरे सदस्य का चयन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। यह व्यक्ति समाज के विभिन्न वर्गों में से योग्य व्यक्ति का चयन करने में सक्षम होना चाहिए। चयन की जिम्मेदारी किसी और संस्था को नहीं दी जा सकती।

तालुका स्तर पर पैरा लीगल वॉलियन्टर्स का चयन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष तालुका स्तर के पैरा विधिक के चयन के लिए एक समिति का गठन करते हैं जिसके चार सदस्य होते हैं – जिला सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष एवं सचिव, तालुका विधिक सेवा

समिति का अध्यक्ष तथा चौथा व्यक्ति का चयन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है। चयन के लिए साक्षात्कार का स्थान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तय करते हैं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव चयन प्रक्रिया में समन्वय का काम करते हैं।

सूचीकरण (Empanelment) प्रक्रिया

संबंधित जिला अथवा तालुक विधिक सेवा संस्थान स्थानीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करते हैं। यह विज्ञापन के द्वारा भी आमंत्रित किया जा सकता है। यह विज्ञापन जिला अधिवक्ता संघ के नोटिस बोर्ड, न्यायालय परिसर के नोटिस बोर्ड, विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय तथा जिला पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिया जा सकता है। विज्ञापन में उम्मीदवार के लिए अर्हता साफ शब्दो में लिखा जाता है आवेदन प्रपत्र में एक कॉलम अवश्य होना चाहिए जिससे पता चले कि उम्मीदवार की पसंद का स्थल जिला स्तर पर है या तालुका स्तर पर अथवा ग्राम स्तर पर। विज्ञापन में साफ–साफ उल्लेख किया जाना चाहिए कि पैरा लीगल वॉलियन्टरके लिए कोई तनख्वाह, मासिक भुगतान अथवा मजदूरी नहीं है उन्हें समय–समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियत मानदेय का भगतान किया जाता है।

चयन की विधि

चयन समिति साक्षात्कार के द्वारा चयन करने के लिए अपने विवेकानुसार यह तय करती है कि कुल उम्मीदवारों में से किन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए। चयन में महिलाओं को वरीयता दिया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिले।

पैरा लीगल वॉलियन्टर का प्रशिक्षण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष की देखरेख में पैरा लीगल वॉलियन्टर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। एक प्रशिक्षण में 50 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। जहा–जहाँ राज्य न्यायिक एकेडमी में प्रशिक्षण की सुविधा है वहाँ यह प्रशिक्षण न्यायिक एकेडमी में दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण का खर्च न्यायिक एकेडमी वहन करती है जिसका पुनभुगतान राज्य सरकार/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करते हैं।

प्रशिक्षक

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श से, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रशिक्षक तथा अन्य मार्गदर्शक का चयन करते हैं।
- अधिवक्ता संघ के सदस्य जिनके पास प्रशिक्षण कौशल है उन्हें भी प्रशिक्षक के रूप में चयन किया जाता है।
- इनमें से कोई प्रशिक्षक हो सकता है :
    - विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रियाकलापों से जुड़ा गैर सरकारी संस्थान।
    - मध्यस्थता का प्रधान प्रशिक्षक।
    - विधि महाविद्यालय के शिक्षक।
    - विधि के परास्नातक छात्रा।
    - सेवानिवृत कानून के प्रोफेसर।
    - सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी।
    - राजस्व अधिकारी
    - समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी।
    - लोक अभियोजक

- पुलिस अधिकारी
- मनोचिकित्सक/मनोवैज्ञानिक/मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ

प्रशिक्षण की प्रकृति

पैरा विधिक स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नियत किए गए निम्नलिखित प्रारूप में प्रशिक्षण दिया जाता है :

(क) ओरिएन्टेशन कार्यक्रम

(ख) मौलिक प्रशिक्षण

(ग) रिफ्रशर पाठ्यक्रम

समय–समय पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है जिसमें पैरा विधिक स्वयंसेवकों के योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए यह आवश्यक है कि पैरा विधिक का मूल्यांकन किया जाए तथा पाये जाने वाले कमियों को दूर किया जा सके। ऐसे रिफ्रेशर कार्यक्रम में पैरा विधिक को उनके कार्य में आने वाले समस्याओं के पहचान तथा दूर करने का उपाय बताया जाता है। पैरा विधिकों के लिए एक सालाना कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें वे आपस में अपने अनुभवों का आदान–प्रदान कर एक–दूसरे से सीखते हैं। जिला स्तर पर अद्ववार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिसमें उनकी शंकाओं का समाधन तथा क्षमताओं का विस्तरण का उपाय किया जाता है।

पैरा विधिक आम लोगों में लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित मामलों के निष्पादन से होने वाले लाभ के बार में जागरूकता फैलाते हैं। लोगों को बताया जाता है कि इस तरह से अपने वाद के निपटारे पर उन्हें दी गई कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है और कोई अपील भी नहीं होती।

प्रशिक्षण के विषय

यह नालसा का दायित्व है कि पूरे देश में समान रूप से लागू होने वाले प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करे जो पूरे देश में एक समान लागू हो। इस मॉड्यूल में खास जोर पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के आचरण पर दिया जाए। इस मॉड्यूल का अनुवाद सभी स्थानीय भाषा में किया जाएगा।

पहचान पत्र

प्रशिक्षण अवधि के पश्चात पैरा लीगल वॉलियन्टर्स को लिखित तथा मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसके पश्चात् प्रत्येक पैरा लीगल वॉलियन्टर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चिन्ह से अंकित पहचान पत्र दिया जाता है। पहचान पत्र में (1) क्रमांक (2) पैरा लीगल वॉलियन्टर्स का नाम एवं पता (3) मोबाईल/टेलीफोन नम्बर (4) फोटो तथा (5) जारी किए जाने को तिथि अंकित रहती है। पहचान पत्र की वैद्यता अवधि भी इसमें अंकित रहती है। पहचान पत्र के पृष्ठ भाग में यह स्पष्ट रूप से अंकित रहता है कि खो जाने की स्थिति में इसकी सूचना अविलम्ब नजदीकी पुलिस थाने में दी जानी चाहिए।

पहचान पत्र का उपयोग बस अथवा किसी भी यातायात साधन से यात्रा करने में रियायत लेने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

पहचान पत्र का उपयोग सरकारी योजनाओं का लाभ अथवा ऋण लेने के लिए पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के द्वारा उपयोग में नहीं लाना चाहिए।

पहचान पत्र का इस्तेमाल केवल पैरा लीगल वॉलियन्टर के पहचान के लिए ही किया जा सकता है।

पहचान पत्र की वैद्यता अवधि

पहचान पत्र की वैद्यता अवधि जारी करने की तारीख से एक वर्ष की होती है। योग्य पाए जाने पर नया पहचान पत्र जारी किया जाता है।

पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के गुरू/मार्गदर्शक

प्रत्येक अधिकतम दस पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के लिए जिला अथवा तालुका विधिक सेवा संस्थान एक गुरू/मार्गदर्शक की नियुक्ति करती है। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी तरह की सलाह अथवा सहायता के लिए पैरा लीगल वॉलियन्टर अपने गुरू/मार्गदर्शक की मदद लेते हैं।

मासिक प्रतिवेदन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक माह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रतिवेदन समर्पित करता है जिसमें पैरा लीगल वॉलियन्टर की वर्तमान संख्या, नवनियुक्त पैरा विधिक की संख्या तथा दिए गए प्रशिक्षण का विवरण होता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक माह की 15 तारीख से पहले राष्ट्रीय विधिक सवा प्राधिकरण को प्रतिवेदन भेजता है जिसमें प्रशिक्षित पैरा लीगल वॉलियन्टर की संख्या, प्रशिक्षक, प्रशिक्षण में आए खर्च तथा पाठ्यक्रम का वर्णन होता है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण इस प्रतिवदन की प्रति भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त पैरा लीगल वॉलियन्टर्स प्रशिक्षण तथा विधिक सहायता कार्यक्रम की राष्ट्रीय समिति को भेजती है।

पैरा विधिक स्वयंसेवकों की गतिविधियों का जिलावार विवरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा को भेजती है जिसमें लाभार्थी व्यक्ति की संख्या तथा दी गई सलाह की प्रकृति और उस पर की गई कार्यवाही का विवरण होता है।

प्रशिक्षित पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के कर्तव्य

पैरा लीगल वॉलियन्टर लोगों, विशेषकर कमजोर वर्ग के लोग को जागरूक करते हैं और उन्हें अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देते है।

पैरा लीगल वॉलियन्टर लोगों को विवादों की प्रकति की जानकारी देते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें तालुका विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में से किसमें अपने विवाद के निपटारे हेतु जाना चाहिए।

पैरा लीगल वॉलियन्टर सतत रूप से जागरूक रहते हैं और अपने क्षेत्रा में हो रहे किसी भी तरह के दमन अथवा गैर कानूनी गतिविधि की जानकारी टेलीफोन अथवा लिखित रूप से या स्वयं जाकर तालुका विधिक सेवा समिति को देगें।

ज्योंहि पैरा लीगल वॉलियन्टर को अपने क्षेत्रा में किसी व्यक्ति के गिरफ्तार किए जाने की सूचना मिलती है, त्योंहि उसे पुलिस थाना जाना चाहिए तथा गिरफ्तार व्यक्ति को विधिक सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए।

पैरा लीगल वॉलियन्टर का दायित्व है कि अपराध से पीड़ितों को उचित देखभाल तथा संरक्षण मिले। पैरा लीगल वॉलियन्टर पीड़ित मुआवजा योजना (अन्तर्गत धारा 357क, अपराध प्रक्रिया संहिता) का लाभ भी पीड़ित को मिले, यह सुनिश्चित करेंगे।

इस संबंध में प्राधिकृत होने पर, पैरा लीगल वॉलियन्टर जेल, बंदीगृह, मानसिक चिकित्सालय, बालाश्रय, संप्रेक्षण गृह जाएगें तथा इन गृहों में रहने वाले व्यक्तियों के विधिक सहायता जरूरतों का आकलन कर अधिकारियों को बताएगें तथा साफ सफाई और मूलभुत आवश्यकताओं की कमी को दूर करना सुनिश्चित करेंगे।

पैरा लीगल वॉलियन्टर बाल अधिकार के किसी भी उल्लंघन, बाल श्रम, बच्चों के गायब होने अथवा बच्चियों के तस्करी की जानकारी अविलंब विधिक सेवा संस्थान अथवा बाल कल्याण समिति को आवश्यक रूप से देंगे।

पैरा लीगल वॉलियन्टर जिला अथवा तालुका विधिक सेवा संस्थान की सहायता विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में करेंगे।

पैरा लीगल वॉलियन्टर स्थानीय लोगों को तालुका विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की गतिविधियों की जानकारी देंगे। वे आम लोगों को इन संस्थानों का पता भी बताएंगे ताकि सुयोग्य व्यक्ति को इन संस्थानों से मदद मिल सके।

पैरा लीगल वॉलियन्टर लोगों मे विवादों के निपटारे के लिए मुफ्त अथवा कम खर्चीले माध्यमों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। वे लोगों को जनोपयोगी सेवाओं जैसे डाक एवं तार, टेलीफोन, पानी बिजली आपूर्ति, बीमा तथा अस्पताल सेवाओं से सबंधित विवादों का निपटारा स्थायी लोक अदालत के माध्यम से करने के प्रति जागरूक करेंगे।

विहित प्रपत्र में पैरा लीगल वॉलियन्टर प्रत्येक माह अपनी गतिविधियों तथा कार्यों का विवरण जिला अथवा तालुका विधिक सेवा संस्थान को देंगे।

प्रत्येक पैरा लीगल वॉलियन्टर विहित डायरी में अपनी दैनिक गतिविधियों का विवरण दर्ज करेगा। इस डायरी को मुद्रित कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पैरा लीगल वॉलियन्टर को प्रदान करेंगे। इस डायरी का पहचान तथा पृष्ठांकन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अथवा तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष करेंग।

पैरा लीगल वॉलियन्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि विधिक सेवा प्रचार साहित्य तथा विधिक सेवा गतिविधियों का प्रदर्शन उनके क्षेत्रा में प्रमुख जगहों पर हो।

पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के द्वारा किए गए व्यय

पैरा लीगल वॉलियन्टर द्वारा बस/रेलगाड़ी भाड़ा, डाक भेजने में आये खर्च, टेलीफोन करने में आये खर्च का भुगतान उचित सबूत दिए जाने पर जिला अथवा तालुका अथवा राज्य विधिक सेवा संस्थान करेंगे। विधिक

सहायतार्थी को लाने में जो खर्च लगा, वह भी पैरा लीगल वॉलियन्टर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के विवेक पर पुनभुगतान किया जाएगा।

महानगरों में पैरा लीगल वॉलियन्टर के मानदेय की रकम का निर्धारण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण करेंगे।

जिला, राज्य अथवा तालुका विधिक सेवा संस्थान द्वारा वाहन मुहैया कराए जाने पर पैरा विधिक को कोई यात्रा खर्च का भुगतान नहीं किया जाएगा।

पैरा लीगल वॉलियन्टर्स की जिला अथवा तालुका विधिक सेवा संस्थान में नियुक्ति

जिला अथवा तालुका विधिक सेवा संस्थान के सचिव विधिक सेवा संस्थानों के फ्रंट ऑफिस में एक अथवा एकाधिक पैरा लीगल वॉलियन्टर की तैनाती करेंगे।

पैरा लीगल वॉलियन्टर्स की जिला अथवा तालुका विधिक सेवा संस्थान के विधिक सेवा केन्द्र में नियुक्ति

जिला अथवा तालुका विधिक सेवा संस्थान के सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सेवा केन्द्र) विनियम, 2011 के अंतर्गत खोले गए विधिक सहायता केन्द्र में पैरा लीगल वॉलियन्टर की तैनाती करेंगे। यहा तैनात पैरा लीगल वॉलियन्टर उक्त विनियम में वर्णित दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

विधिक सहायता केन्द्र तथा फ्रंट ऑफिस में कार्यरत पैरा लीगल वॉलियन्टर के लिए मानदेय

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से परामर्श कर पैरा लीगल वॉलियन्टर के मानदेय का निर्धारण करेंगे। यह मानदेय 250 रूपया प्रतिदिन से कम नहीं होगा।

पैरा लीगल वॉलियन्टर, विधिक सहायतार्थी को दूरदराज के गांवों से जिला अथवा तालुका विधिक सेवा संस्थान अथवा जिला न्याय सदन लाने पर उन्हें एक दिन के मानदेय के बराबर भुगतान किया जाएगा।

पैरा लीगल वॉलियन्टर एक दिन के मानदेय के बराबर भुगतान के हकदार होंगे अगर वह किसी व्यक्ति को सहायता करने के लिए उनके साथ कार्यालय अथवा न्यायालय जाते हैं।

पैरा लीगल वॉलियन्टर्स द्वारा विधिक साक्षरता कक्षा अथवा शिविर में सहायता

नजदीकी विधिक सहायता संस्थान से परामर्श करके पैरा लीगल वॉलियन्टर लघु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन अपने क्षेत्र में करेंगे। इसके लिए वह श्रमिकों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के छोटे–छोटे समूह के लिए विधिक साक्षरता की कक्षाएं लगाएंगे। इन कक्षाओं में उपस्थित लोगों को कानूनी जन जागरण साहित्य का वितरण किया जाएगा।

स्थानीय स्तर के विवादों का वैकल्पिक विवाद निपटारा माध्यम से समाधान

पैरा लीगल वॉलियन्टर विवाद के दोनों पक्षों को आपसी समझ–बूझ से समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें लोक अदालत, मध्यस्थता या परामर्श केन्द्र जाने की सलाह देंगे। अगर जिला न्याय सदन की स्थापना नहीं हुई है तो विधिक सेवा संस्थान लोक अदालत, मध्यस्थता अथवा परामर्श का आयोजन पैरा लीगल वॉलियन्टर की मदद से गांव में ही करेंगे। वैसे पैरा लीगल वॉलियन्टर जो विवादों को इस तरह से वैकल्पिक विवाद निपटारा माध्यम से निष्पादन हेतु लाते हैं उन्हें उक्त दिन के लिए एक दिन के बराबर मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

कारागृह में पैरा लीगल वॉलियन्टर्स

कुछ पढ़े लिखे अच्छे व्यवहार वाले बंदी जो लंबी सजायाफ्ता हैं और केन्द्रीय अथवा जिला कारागृह में हैं उनका पहचान किया जाएगा और उन्हें पैरा लीगल वॉलियन्टर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वे अपने साथी बंदियों को अपनी सेवाएं देंगे। ऐसे लघु पैरा लीगल वॉलियन्टर का प्रशिक्षण दूसरे पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के साथ भी दिया जा सकता है।

भुगतान

कारागृह के ऐसे पैरा लीगल वॉलियन्टर को भी विहित दर पर मानदेय का भुगतान अन्य पैरा लीगल वॉलियन्टर जैसे ही किया जाएगा।

पैरा लीगल वॉलियन्टर्स की अयोग्यताएं तथा उन्हें हटाने की प्रक्रिया

पैरा लीगल वॉलियन्टर्स अयोग्य घोषित किए जाएंगे तथा उन्हें पैनल से हटा दिया जाएगा जोः

- पैरा लीगल वॉलियन्टर योजना में रूचि नहीं रखते हैं।
- दिवालिया घोषित किए जा चुके हैं।
- अपराध में अभियुक्त बनाए गए हैं।
- शारीरिक या मानसिक रूप से काम करने में अयोग्य हो गए हैं।
- जिन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है और जिनका पैरा लीगल वॉलियन्टर बने रहना जनहित में नहीं है।
- राजनैतिक पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं।

ऐसे पैरा लीगल वॉलियन्टर्स को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के द्वारा उपयुक्त जांच के पश्चात हटाया जा सकता है तथा इसकी सूचना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दिया जाएगा।

पैरा लीगल वॉलियन्टर्स की राष्ट्रीय सभा

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उपयुक्त पैरा लीगल वॉलियन्टर्स का चयन कर उन्हें भाग लेने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भेजेगी जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। श्रेष्ठ काम करने वाले पैरा लीगल वॉलियन्टर्स को पुरस्कृत करने की अनुशंसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को करेंगे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जिला के पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के डाटाबेस का निर्माण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने जिले के पैरा लीगल वॉलियन्टर्स की निर्देशिका (Directory) तैयार करेगी तथा समय–समय पर उसमें अद्यतन जानकारो डालेगी। इस निर्देशिका (Directory) में जिला तथा तालुका विधिक सेवा समिति के पैरा विधिक स्वयंसेवकों के नाम, पता, मोबाईल/टेलीफोन नम्बर, मेल आईडी तथा उन्हें दिए गए पहचान पत्र की वैद्यता अवधि समाप्त होने की तिथि अंकित रहेगी।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क द्वारा राज्य के पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के डाटाबेस का निर्माण

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिलेवार पैरा लीगल वॉलियन्टर की निर्देशिका (Directory) तैयार करेगी तथा समय–समय पर उसमें अद्यतन जानकारी डालेगी। इस निर्देशिका (Directory) में जिला तथा तालुका विधिक सेवा समिति के पैरा लीगल वॉलियन्टर के नाम, पता, मोबाईल/टेलीफोन नम्बर, मेल आईडी तथा उन्हें दिए गए पहचान पत्र की वैद्यता अवधि समाप्त होने की तिथि अंकित रहेगी।

विधिक सेवा प्राधिकरण भारत के मुख्य न्यायाधोश के द्वारा नियुक्त किए गए पैरा लीगल वॉलियन्टर प्रशिक्षण एवं विधिक सहायता गतिविधि के राष्ट्रीय समिति के साथ समन्वय से काम करेगी।

उक्त समिति के माननीय अध्यक्ष के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन देश के सभी विधिक सेवा संस्थान द्वारा किया जाना बाध्यकारी है।

पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के प्रशिक्षण हेतु ओरिएन्टेशन–इंडक्शन–रिफ्रेशर प्रशिक्षण मॉडयूल

1. ओरिएन्टेशन पाठ्यक्रम

चयन किए जाने के पश्चात् पैरा लीगल वॉलियन्टर को एक दिन का ओरिएन्टेशन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पाठ्यक्रम के उद्देश्य

ओरिएन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पैरा लीगल वॉलियन्टर को उनके दायित्व और भूमिका से अवगत कराना, उन्हें नैतिकता तथा कार्य के श्रेष्ठ मानदंड से परिचय कराना भी है।

ओरिएन्टेशन कार्यक्रम में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित बातें होंगी :

- परिचय तथा आइस ब्रेकिंग सत्र
- उद्देश्य तथा पैरा विधिक स्वयंसेवकों की भूमिका
- संविधान की मूलभुत संरचना तथा प्रस्तावना
- समाज के शोषित एवं वंचित लोगों के प्रति संविधान में वर्णित राज्य के उत्तरदायित्व (राज्य शासन के निर्देशक सिद्धांत)
- मूलभूत अधिकार (अन्य के अलावा अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21, 22)
- जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्य (मौलिक कर्तव्य)

- अनुच्छेद 39ए और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं नालसा विनियमन
- पैरा विधिक स्वयंसेवकों के लिए करने तथा नहीं करने योग्य बातें
- ड्रेस कोड एवं व्यवहार के मानदंड
- सामग्री
- नैतिकता

2. इंडक्शन पाठ्यक्रम

इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम चार दिनों का होगा जिनमें निम्नलिखित विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा :

- सुनने, संवाद करने तथा अवलोकन करने संबंधो कौशल तथा कागज लिखने संबंधो कौशल की मौलिक जानकारी।
- कुटुम्ब न्यायालय से संबंधित कानूनों (विवाह संबंधो कानून, दत्तक ग्रहण, भरण–पोषण, बच्चों की अभिरक्षा तथा अभिभावकत्व, न्यायिक विवाह विच्छेद तथा तलाक)
- सपति संबंधो कानून (उत्तराधिकार, अचल संपति अंतरण, निबंधन, राजस्व संबंधो कानूनी)
- आपराधिक कानून (भारतीय दण्ड संहिता तथा अपराध प्रक्रिया संहिता (जमानत तथा गिरफ्तारी, पीड़ितों के लिए मुआवजा, बंदियों के लिए अधिकार जो जेल मैनुएल तथा बंदी अधिनियम में वर्णित हैं उनकी न्यूनतम मुलभूत बातों की जानकारी आवश्यक है)
- श्रम कानून (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, असंगठित कर्मकार कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008, अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियुक्ति तथा सेवा शर्त विनियम) अधिनियम, 1979, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप रूप से), राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना के तहत मिलने वाली विधिक सहायता)
- लिंग केन्द्रित कानून/महिलाओं के लिए कानून– समान वेतन अधिनियम, 1976, मातृत्व प्रसुविधा अधिनियम, 1961, घरेलु हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा अधिनियम, 2005, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971, गर्भ पूर्व (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994, कार्य स्थल पर यौन हिंसा, भारतीय दण्ड संहिता के मुख्य प्रावधान–धारा 509, 354, 376, 304बी, 366, 498ए, 494, दहेज निषेध अधिनियम, 1961)
- बच्चों से संबधित कानून– किशोर न्याय अधिनियम, 2015, बाल श्रम (निषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986, लापता बच्चों से संबंधित निर्णय तथा कानून, कारखाना अधिनियम, 1948, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006)
- अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955
- सरकारी आदेश तथा योजनाएं– समाज कल्याण योजना, जिसमें शामिल हैं (मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा योजना, पेंशन, अन्तयोदय, बीमा इत्यादि), जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना, राशन कार्ड प्राप्त करना, आधार कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी, वोटर पहचान पत्र, पासपोर्ट इत्यादि।

- सरकारी कार्यालयों, न्यायालय, पुलिस थाना, बंदीगृह, राजस्व कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, तालुका विधिक सेवा समिति, इत्यादि में जाना तथा सुरक्षा पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति/बाल न्याय परिषद्, लिंग चयन निषेध अधिनियम, 1994 के अंतर्गत विहित प्राधिकारी के साथ कार्यकलाप।

3. उन्नत प्रशिक्षण

तीन महीने तक कार्य करने के अनुभव के पश्चात यह आवश्यक है कि पैरा लीगल वॉलियन्टर को तीन दिनों का उन्नत प्रशिक्षण दिया जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष को इस प्रशिक्षण में पैरा लीगल वॉलियन्टर के द्वारा किए गए कार्य की चर्चा करनी चाहिए, अनुभव की गई कमियों को पहचान कर उसे दूर करने का उपाय खोजना चाहिए। इस उन्नत प्रशिक्षण में गुरू/मार्गदर्शक को भी शामिल होना चाहिए और पैरा लीगल वॉलियन्टर द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं के समाधान का प्रयास करना चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष को पैरा लीगल वॉलियन्टर्स से फीडबैक लेना चाहिए ताकि प्रशासनिक स्तर पर आने वाली रूकावटों को दूर किया जा सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पैरा लीगल वॉलियन्टर्स को निम्नलिखित विशेष कानूनों की जानकारी दी जानी चाहिए :

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988
- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की मनोरोगियों के लिए सहायता योजना, 2015
- माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
- वैकल्पिक विवाद निष्पादन के प्रावधान (धारा 89 दीवानी प्रक्रिया संहिता)
- मध्यस्थता तथा परामर्श में मूलभूत कौशल
- लोक अदालत जिसमें मुकदमा पूर्व मामलों के लिए लोक अदालत भी शामिल है तथा इससे होने वाले लाभ
- प्ली बार्गेनिंग
- हाशिये पर के समुदाय के लोगों के अधिकार जैसे कि एचआईवी/एड्स रोगी, विशिष्ट रूप से योग्य व्यक्ति तथा उभयलिंगी आदि।
- अनैतिक व्यापार (निषेध अधिनियम, 1956) तथा यौन कर्मियों से संबंधित मुद्दे
- आपदा प्रबंधन तथा आपदा पीड़ित को नालसा की आपदा पीड़ित के लिए विधिक सहायता योजना के तहत विधिक सहायता
- पर्यावरण संबंधो मुद्दे
- यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012

आदर्श रूप से, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को खुद के स्तर पर अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकारणा के द्वारा समय–समय पर नियमित रूप से कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए। यह कार्यशाला एक या दो

दिन की हो सकती है जिसमें विषय का चयन जरूरत के आधार पर किया जाना चाहिए जिसमें पैरा विधिकों के कार्यों का मूल्यांकन भी एक विषय हो सकता है। पूर्व में बताये गये विषयों को फिर से बताया जा सकता है।

एकदिवसीय अंतर जिला कार्यशाला का भी आयोजन किया जाना चाहिए ताकि एक दूसरे के अनुभवों का आदान–प्रदान तथा एक–दूसरे के उत्कृष्ट कार्यप्रणाली का परिचय पैरा विधिक को हो सके। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पैरा विधिक को इन कार्यशालाओं में सम्मानित भी किया जा सकता है।

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

(LEGAL AID CLINICS) SCHEME, 2010

[Adopted in the Meeting of the Central Authority of NALSA held on 8.12.2010 at Supreme Court of India]

1. Introduction.

Legal Aid Clinics are intended to provide legal relief easily accessible to the indigent and backward sections of our society. They are almost on the lines of primary health centres where a doctor and other auxiliary medical staff provide basic health care to the people situated in village areas affected with poverty and social squalor. Like the doctors rendering health services to the people of the locality in the primary health centre, a lawyer manning the legal aid clinic provides legal services to the people. The thrust is on the basic legal services like legal advice and assisting in drafting of notices, replies, applications, petitions etc. The lawyer manning the legal aid clinic will also attempt to resolve the disputes of the people in the locality, preventing the disputes from maturing into litigation. This provides the lawyer in the legal aid clinic an opportunity to understand the difficulties faced by people in the distant villages' for access to justice. Legal aid clinics have to be manned by para-legal volunteers selected by the Legal Services Authorities and lawyers with a sense of commitment, sensibility and sensitiveness to the problems of common people.

Legal aid clinic is one of the thrust areas envisioned in the NALSA's Q*uinquennial vision & strategy document*. NALSA plans to set up legal aid clinics in all villages.

2. Name of the Scheme.

The Scheme shall be called the National Legal Services Authority (Legal Aid Clinics) Scheme, 2010.

3. Objective.

The objective of the Scheme is to provide legal services to the poor, marginalised and weaker sections of the society as categorised in Section 12 the Legal Services Authorities Act 1987 (Central Act), especially to the people living in far away places including the places with geographical barriers, away from the seats of justice and the offices of the legal services institutions ['legal services institutions' means the Taluk/Sub-divisional/Mandal Legal Services Committees, District Legal Services Authorities, High Court Legal Services Committees, State Legal Services Authorities and Supreme Court Legal Services Committee established under the Legal Services Authorities Act, 1987].

The aim of the Scheme is to provide an inexpensive local machinery for rendering legal services of basic nature like legal advice, drafting of petitions, notices, replies, applications and other documents of legal importance and also for resolving the disputes of the local people by making the parties to see reason and thereby preventing the disputes reaching courts. In cases where legal services of a higher level is required the matter can be referred to the legal services institutions established under the Legal Services Authorities Act, 1987.

4. Location of Legal Aid Clinics.

The legal aid clinics established by the Legal Services Authorities shall be located at a place where the people in the locality can easily access. A room within the office building of the local body institutions like village *panchayat* shall be ideal.

5. Sign-board exhibiting the name of the Legal Aid Clinic.

There shall be a sign-board both in English and the local language, depicting the name of the legal aid clinic. The board shall display the working hours and the days on which the clinic will be open. Working hours of Legal Aid Clinics shall be decided by the legal services institutions having territorial jurisdiction in consultation with the District Legal Services Authority.

6. Assistance of the local body institutions in obtaining a convenient room for the Legal Aid Clinic.

The Legal Services Authorities shall persuade the local body institutions like village *panchayat*, *mandal* / block *panchayat*, municipality and corporation etc, to provide a room for the functioning of legal aid clinic. Since the legal aid clinic is for the benefit of the people in the locality, the local body institutions should be impressed upon the need to co-operate with the functioning of the legal aid clinics and to realise that the legal aid clinic is aimed at promoting peace and welfare of the people in the locality.

7. Publicity.

The local body institutions shall be persuaded to give adequate publicity about the functioning of the legal aid clinic. The elected representatives of the local body institutions shall be persuaded to spread the message of the utility of the legal aid clinic to the people in his / her constituency / wards.

8. Infrastructure in the legal aid clinic.

Every legal aid clinic shall have at least the basic and essential furniture like a table and three or four chairs. The local body institutions shall be requested to provide the essential furniture for use in the legal aid clinic. Only in those places where legal aid clinics are not functioning in the office building of the local body institutions, the Legal Services Authorities need to purchase furniture.

If the Legal Services Authority has its own building to run the legal aid clinic, the infrastructural facilities shall be provided by such Authority.

9. All villages to have Legal Aid Clinics.

The District Legal Services Authority shall establish legal aid clinics in all villages, or for a cluster of villages, depending on the size of such villages, especially where the people face geographical, social and other barriers for access to the legal services institutions.

10. The personnel manning the Legal Aid Clinic.

Every legal aid clinic shall have one or more para-legal volunteers available during the working hours of the legal aid clinics.

11. Frequency of visit by lawyers in the Legal Aid Clinics.

Subject to the local requirements, the District Legal Services Authority may decide the frequency of the lawyer's visit in the legal aid clinics. If the situation demands for providing continual legal services, the District Legal Services Authority may consider arranging frequent visits of the lawyer in the legal aid clinic.

12. Selection of lawyers for manning the Legal Aid Clinics.

Qualified legal practitioners with skills for amicable settlement of disputes may be selected from the local bar for empanelment for serving in the legal aid clinic. The selection of lawyers shall be done by the nearest legal services institution having territorial jurisdiction. Preference shall be given to women lawyers having practice of three years or more. A list of the panel lawyers shall be sent to the District Legal Services Authority.

Para-legal volunteer (s) trained by the Legal Services Authorities and holding the identity card issued by the Legal Services Authorities may be engaged to assist the lawyer in providing legal services in the legal aid clinics.

13. Legal Services in the Legal Aid Clinic.

Legal Services rendered at the legal aid clinic shall be of wide ranging in nature. Besides legal advice, other services like preparing applications for job card under the MGNREGA Scheme, liaison with the government offices and public authorities and helping the common people who come to the clinic for solving their problems with the officials, authorities and other institutions also shall form part of the legal services in the legal aid clinic (the list given is only indicative, not exhaustive). Legal aid clinic shall work like a single-window facility for helping the disadvantaged people to solve their problems where the operation of law comes into picture.

14 Administrative Control of Legal Aid Clinics.

Legal aid clinics shall be under the direct administrative control of the nearest legal services institution having territorial jurisdiction. The District Legal Services Authority shall have supervisory and advisory powers on all legal aid clinics functioning within the district.

The State Legal Services Authority shall have the power to issue guidelines on the working of the legal aid clinics.

15. Honorarium for the lawyers and para-legal volunteers rendering services in the Legal Aid Clinics.

In consultation with the District Legal Services Authority, the State Legal Services Authority shall fix the honorarium to be paid to the lawyers and para-legal volunteers rendering service in the legal aid clinics which shall not be less than Rs. 500/- per day for lawyers and Rs. 250/- for para-legal volunteers. Special consideration may be given in cases where the legal aid clinic is situated at difficult terrains and distant areas where transport facilities are scarce.

16. Maintenance of Records and Registers.

Lawyers and para-legal volunteers rendering service in the legal aid clinics shall record their attendance in the register maintained in the legal aid clinic. There shall be a register in every legal aid clinic for recording the name and address of the seekers of legal services, name of the lawyer who render services in the legal aid clinic, nature of the service rendered, remarks of the lawyer and signatures of seekers of legal aid and the lawyers.

The records of the Legal Aid Clinics shall be under the custody of the Secretary of the Taluk Legal Services Committee/District Legal Services Authority having territorial jurisdiction.

The legal services institution having territorial jurisdiction may maintain other registers also in consultation with the District Legal Services Authority as the situation requires.

The nearest legal services institution having territorial jurisdiction shall be the custodian of all registers and it shall be the duty of the para-legal volunteers and the lawyer in the legal aid clinic to hand over the registers to such legal services institution, when called for.

17.Change of Lawyers.

The nearest legal services institution having territorial jurisdiction may maintain a panel of lawyers preferably from the local bar. The lawyers may be deputed to the legal aid clinic on a rotation basis. If the matter handled by a lawyer requires follow up and continuous attention for a long duration, the same lawyer who had handled the matter may be entrusted to continue the legal services.

18. Lawyer in the Legal Aid Clinic shall attempt to resolve disputes locally.

During the course of legal services, if the lawyer in the legal aid clinic feels that the dispute between two locally available parties can be resolved through proper advice or by employing ADR techniques, he / she shall make an effort to do so, without permitting the dispute maturing into litigation.

In appropriate cases the lawyers may request the nearest legal services institution having territorial jurisdiction to refer the dispute to Lok Adalat for a pre-litigation settlement.

In such cases the lawyer rendering legal services in the legal aid clinic shall ensure that the procedure prescribed in sub-section (2) of Section 20 Legal Services Authorities Act, 1987 is complied with.

The nearest legal services institution having territorial jurisdiction/ District Legal Services Authority may organise Lok Adalat at the legal aid clinic or near to its premises.

19. Use of Mobile Lok Adalat Vehicle.

The lawyer rendering legal services in the legal aid clinic may request the District Legal Services Authority to send the Mobile Lok Adalat Van with the members of the Lok Adalat Bench for visiting the legal aid clinic for settlement of the disputes identified by him. The Mobile Lok Adalat Van can also be used for the legal services to mentally ill and children.

The State Authority may fix a monthly ceiling for the fuel to be used in the Mobile Lok Adalat Vans. However, the Executive Chairman of the State Authority may grant relaxation, taking into account of the exigencies of the legal services to be performed.

20. Para-Legal Volunteers in the Legal Aid Clinics.

Para-Legal Volunteers selected and trained by the Legal Services Authorities may be deputed to work in the legal aid clinics for assisting the lawyer and the seekers of legal aid. As they gain experience, the services of para-legal volunteers can be used for drafting simple petitions, applications and for accompanying the seekers of legal aid to the government offices for interacting with the officials for solving the problems of such seekers of legal aid.

Para-legal volunteers may be encouraged to obtain diplomas and degrees in law for betterment of their prospects in the long run.

21. Legal Aid Clinics run by the Law Students.

The provisions in the above paragraphs shall *mutatis mutandis* be applicable to the student' legal aid clinics set up by the law colleges and law universities also. However, in such clinics the students in the final year classes may render legal services and the junior students may assist them.

The students legal aid clinic shall always be under the supervision of a faculty member who shall be present in such clinics for immediate consultation.

The students of law colleges and law universities also may make use of the other legal aid clinics established under this scheme.

22. Student may use the legal aid clinics set up under this scheme.

Law students of the law colleges / law universities may be engaged to adopt a village especially in the remote areas and organise legal aid camps. Such students may make use of the legal aid clinics set up under this scheme in consultation with the legal services institution having territorial jurisdiction in that area.

The students in the legal aid clinics may seek the assistance of the para-legal volunteers in the legal aid clinics.

23. The Student legal aid clinics may conduct surveys and prepare reports.

The student legal aid clinics working in the remote villages may conduct surveys of the legal services required for the people of that area including identification of the problems which call for a social justice litigation. For conducing surveys, members of the student legal aid clinic may seek the assistance of the para-legal volunteers and voluntary social welfare institutions working at the grass-root level.

The student legal aid clinics shall send reports to the State Legal Services Authorities with copies to the legal services institutions having territorial jurisdiction and also to the District Legal Services Authorities concerned.

24. Permanent Legal Aid Clinics attached to the Law Colleges and Law Universities.

Besides the student legal aid clinics in the rural areas, law colleges and law universities also may set up permanent legal aid clinics attached to their institutions. The State Legal Services Authority shall be informed about the establishing of such legal aid clinics. The State Legal Services Authority shall render the required technical assistance for such legal aid clinics and shall co-ordinate with the legal aid clinics so established.

25. Services of Para-Legal Volunteers trained by the Legal Services Authorities may be made available in the Legal Aid Clinics run by the Law Colleges and Law Universities.

Trained para-legal volunteers may be deputed to the legal aid clinics in law colleges and law universities for assisting the seekers of legal aid and for interacting with the students and the members of faculty.

26. The State Legal Services Authorities to conduct periodical revenue of the functioning of Legal Aid Clinics.

The State Legal Services Authorities shall conduct periodical review of the functioning of legal aid clinics.

The State Legal Services Authorities shall collect monthly reports from the District Legal Services Authorities, law colleges and law universities and review the functioning of legal aid clinics working in their jurisdiction.

The State Legal Services Authorities shall conduct periodical review of the working of such legal aid clinics at least once in three months or more frequently.

The State Legal Services Authorities shall issue directions from time to time for improving the services in the legal aid clinics to ensure that members of the weaker sections of the society are provided legal services in an efficient manner.

The State Legal Services Authorities shall send quarterly reports about the functioning of the Legal Aid Clinics within their jurisdiction to National Legal Services Authority.

* * * * *

U.SARATHCHANDRAN
MEMBER-SECRETARY
NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लीगल एड क्लीनिक) विनियम, 2011

अध्याय – 1
परिचय 1.1

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लीगल एड क्लीनिक) विनियम, 2011 के तहत कानूनी सेवा क्लीनिक संचालित करनें का प्रावधान किया गया है। कानूनी सेवा क्लीनिक पर सप्ताह में दो दिन पैरा लीगल वॉलंटीयर एवं 15 दिन मे एक बार के लिए अधिवक्ता की ड्यूटी लगाई जाती है। पैरा लीगल वॉलंटीयर नवीन कानूनों की जानकारी, विद्यार्थियों के संबंध में जुडे कानूनी प्रावधान एवं उनके लाभ की योजनाओं के बारे में बताते है एवं विद्यार्थियों की विधिक परेशानियों को रजिस्टर में नोट कर उनके समाधान का प्रयास करते है। साथ ही विभिन्न कानूनी प्रावधानों से संबंधित जानकारियों की पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती है। क्लीनिक के संचालन पर कॉलेज को किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं करना होता है बल्कि प्राधिकरण की तरफ से विद्यार्थियों के हित में विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है एवं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है।

1.2

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र क्रमांक/3121–3338 दिनांक 02.05.2014 द्वारा उक्त स्कीम के संचालन के बारे में निम्न दिशा–निर्देश दिये गये है –

1. कानूनी सेवा क्लीनिक निम्न स्थानों पर खोले जा सकते है–
    1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति कार्यालय
    2. ग्राम पंचायत
    3. जेल
    4. विधि महाविद्यालय
    5. विधि विश्वविद्यालय
    6. नगर पालिका/नगर निगम
    7. अन्य स्थान, जहां विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष उचित समझे।
2. प्रत्येक कानूनी सेवा क्लीनिक के बाहर एक साईन बोर्ड, जिसमें क्लीनिक का नाम, कार्य घण्टे, कार्य दिवस तथा पृथक से साईन बोर्ड, जिसमें क्लीनिक पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का उल्लेख होगा, लगाया जावेगा।
3. जिला प्राधिकरण/तालुका समिति मुख्यालय पर क्लीनिक/फ्रन्ट ऑफिस न्यायालय के कार्य दिवसों व समय के अनुसार खोले जायेगें।
4. कन्द्रीय/जिला कारागृह पर खोले जाने वाले क्लीनिक प्रति सप्ताह दो दिन कार्यशील रहेगें।
5. प्रत्येक कानूनी सेवा क्लीनिक पर पैरा लीगल वॉलंटीयर द्वारा निम्न प्रारूप में रजिस्टर का संधारण किया जायेगा

1.2.1
पी.एल.वी. द्वारा संधारित रजिस्टर का प्रारूप

विधिक सहायता क्लीनिक का स्थान.....
ग्राम पंचायत..... पंचायत समिति.....जिला.....
नगर पालिका/नगर निगम.....वार्ड संख्या.....जिला.....
क्लीनिक पर मनोनित पैरा लीगल वॉलयंटीयर का नाम.....

क्लीनिक पर मनोनित पैनल अधिवक्ता का नाम.....

क्र. सं.	आवेदक का नाम, पिता का नाम, जाति, निवास का पता एवं टेलिफोन नम्बर, यदि कोई हो	आवेदक की समस्या का संक्षिप्त विवरण	समस्या के निवारण हेतु की गई कार्यवाही का विवरण	आवेदक के हस्ताक्षर	टिप्पणी

6. क्लीनिक पर कार्य करने वालें पैरा लीगल वॉलंटीयर को प्रति कार्य दिवस हेतु 250/–रूपये एवं पैनल अधिवक्ता 500/– रूपये प्रति विजिट मानदेय दिया जायेगा।
7. उक्त पत्र में पैरा लीगल वॉलंटीयर्स के कर्तव्य, उन्हें पदच्युत किया जाना, उनके पहचान पत्र, पैनल अधिवक्ता के कर्तव्य, पी.एल.वी. व पेनल लॉयर की सेवाएं कहां–कहां ली जा सकेगी, आदि के बारे में दिशा निर्देश दिये गये है।

अध्याय–2
पैरा लीगल वॉलंटीयर्स स्कीम

2.1
परिचय

पैरा लीगल वॉलंटीयर्स स्कीम नालसा की एक महत्वपूर्ण स्कीम है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरा लीगल वॉलंटीयर्स का चयन कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तत्पश्चात् उन्हें आमजन में जागरूकता फैलाने, विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करनें, कानूनी सेवा क्लीनिक के माध्यम से नाल्सा एवं राल्सा की विभिन्न स्कीमों का प्रचार–प्रसार करनें इत्यादि कार्यो के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है। पैरा लीगल वॉलंटीयर्स पीडित एवं प्राधिकरण के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते है।

2.2
पैरा लीगल वॉलंटीयर्स को प्रशिक्षण प्रदान करना

रालसा के पत्र कमांक/3408–3442 दिनांक 21.05.2013 द्वारा पैरा लीगल वॉलंटीयर्स स्कीम में दिये गये दिशा–निर्देश

1. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरा लीगल वॉलंटीयर्स का चयन किया जायेगा।
2. निम्न व्यक्ति पैरा लीगल वॉलंटीयर्स हो सकते है–
    1. सेवानिवृत अध्यापक या राजकीय कर्मचारी,
    2. वरिष्ठ नागरिक
    3. एम.एस.डबल्यू, छात्र व अध्यापक,
    4. आंगनबाडी कार्यकर्ता,
    5. डाक्टर/फिजिशियन,
    6. छात्र व विधि छात्र(जब तक वे लॉयर(वकालत) के लिए एनरोल न हो),
    7. गैर राजनीतिक सदस्य,
    8. एन.जी.ओ. क्लब्स, महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समूह,
    9. शिक्षित बंदी जिसका अच्छा व्यवहार हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो
    10. अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति सक्षम व योग्य समझे।

3. चयनित पैरा लीगल वॉलंटीयर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। पीएलवी प्रशिक्षण में तीन मुख्य पाठ्यक्रम (Course) होगें

(क) Orientation Course (रूचि,रूझान)– एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्न बिन्दुओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा–

1. उद्देश्य व पीएलवी का रोल
2. संविधान, प्रस्तावना का मूल Structure
3. मूलभूत अधिकार
4. जिम्मेदार नागरिकों में मूल कर्त्तव्य, अनु. 14,15,16,17,21,22
5. अनुच्छेद 39–ए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
6. Dress Code PLVs व पीएलवी का व्यवहार
7. नीति संबंधी
8. सामग्री

(ख) Induction Course (राजी करना, प्रोत्साहित करना)– यह प्रशिक्षण चार दिवस का होगा जिसमें निम्न बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

1. मूल सूनवाई (Basice Listening)
2. संचार (Communcation)
3. ध्यानपूर्वक देखना, अवलोकन (Observation)
4. परिवारिक नियम विधि (विवाह, उत्तराधिकार, भरण–पोषण, निरूद्ध, संरक्षण, न्यायिक विच्छेद व तलाक)
5. सम्पत्ति लॉ, सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, रजिस्ट्रेशन, राजस्व लॉ, विरासत, बपोती में पाई सम्पत्ति
6. फौजदारी विधि, श्रम विधि, महिलाओं से संबंधी कानून, समान वेतन, घरेलू हिंसा अधिनियम
7. बच्चों से संबंधित कानून
8. अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
9. राज्य आदेश, स्कीम, नरेगा
10. राजकीय कार्यालयों, कोर्ट, पुलिस बंदीगृह, राजस्व कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समितियों की विजिट

(ग) उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद पैरा लीगल वॉलंटीयर्स द्वारा तीन माह का Field Work किया जायेगा।

(घ) Advance Training (अग्रिम प्रशिक्षण)–Field Work के अनुभव के बाद उन्हें तीन दिन की अग्रिम ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें पीएलवी द्वारा किये गए कार्य का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विचार–विमर्श (Discuss) किया जाएगा। इस कार्यक्रम में Mentors (मार्गदर्शक) द्वारा भी भाग लिया जाएगा व पीएलवी को गाईड किया जावेगा कि उनके द्वारा कार्य करते समय क्या–क्या समस्याओं का सामना करना पडा एवं उनका समाधान क्या है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के Chairperson द्वारा पीएलवी का फीडबेक लिया जाएगा और पीएलवी को उनके कार्य में आई बाधाओं को प्रशासनिक स्तर पर दूर किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान पीएलवी को विशिष्ट कानूनों के बारे में भी Introduce कराया जाएगा। जैसे सूचना का अधिकार, मोटर वाहन अधिनियम, मेंटल हेल्थ, माता–पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, लोक अदालत, मध्यस्थता, प्री–लिटिगेशन का लाभ,

प्ली–बार्गेनिंग, Immoral Traffic (Prevention) Act, एच.आई.वी./एड्स नालसा स्कीम, विधिक सेवा अधिनियम।

4. प्रशिक्षण दाता–निम्नांकित द्वारा पीएलवी को प्रशिक्षण दिया जाएगा –
    1. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
    2. बार सदस्यों में से उपयुक्त सदस्य
    3. अन्य उपयुक्त व्यक्ति
    4. एन.जी.ओ.
    5. मध्यस्थता के मास्टर (Trainor)
    6. विधि महाविद्यालय के व्याख्याता
    7. विधि के पी.जी. के छात्र
    8. सेवा निवृत प्रोफेसर
    9. सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी
    10. राजस्व अधिकारी
    11. समाज कल्याण विभाग के अधिकारी
    12. लोक अभियोजक (P.P.)
    13. पुलिस अधिकारी
    14. मनोचिकित्सक, मेन्टल हेल्थ ऑफिसर
5. पैरा लीगल वॉलंटीयर को पहचान पत्र जारी किया जायेगा जिसकी वैधता एक वर्ष होगी। यदि अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पैरा लीगल वॉलंटीयर को कार्य में योग्य समझे तो पहचान पत्र को पुनः आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जा सकेगा।
6. पैरा लीगल वॉलंटीयर द्वारा अपने कार्य की मासिक रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में पेश की जायेगी।

पैरा लीगल वॉलंटीयर के कर्तव्य

1. पैरा लीगल वॉलंटीयर अपने गांव, मौहल्ले एवं आस–पास के नागरिकों को सम्मानित जीवन व्यतीत करने के लिए, उनके अधिकारों एवं संवैधानिक अधिकारों और उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी देकर या शिक्षित कर जागरूक करेगा।
2. पैरा लीगल वॉलंटीयर नागरिकों को विवादों/समस्याओं की प्रकृति के संबंध में जागरूक कर उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से अपने प्रकरणों/विवादों को निराकरण हेतु सम्पर्क करने हेतु प्रोत्साहित/जागरूक करेगा।
3. पैरा लीगल वॉलंटीयर अपने कार्य क्षेत्र में विधि व नियमों को भंग करने वाले या अन्याय करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध संबंधित जिला प्राधिकरण/तालुका समिति को दूरभाष पर या लिखित सूचना देगा या ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो प्रतिकार करने वाला हो, तुरन्त कार्यवाही करेन हेतु सूचित करेगा।
4. पैरा लीगल वॉलंटीयर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति का विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने में सहयोग देगा।
5. पैरा लीगल वॉलंटीयर आम नागरिकों को राज्य प्राधिकरण/जिला प्राधिकरण/तालुका समिति/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा किये जा रहे कार्यो

की जानकारियों देगा। उक्त संस्थाओं के पत्र व्यवहार के पतों की जानकारी देगा तथा निःशुल्क विधिक सेवाओं का लाभ प्राप्त करेन हेतु आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराते हुए जागरूक करेगा।

6. पैरा लीगल वॉलंटीयर मुकदमा पूर्व विवादों को जिला प्राधिकरण/तालुका समिति के माध्यम से निपटाने के लिए प्रोत्साहित करेगा तथा यह प्रचार–प्रसार करेगा कि मुकदमा पूर्व विवाद बिना किसी व्यय व समय खर्च किये, लोक अदालतों के माध्यम से निपटाये जा सकते है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कोर्ट फीस भी देय नहीं है।
7. पैरा लीगल वॉलंटीयर आम नागरिकों को जानकारी देकर जागरूक करेगा कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों को लोक अदालत अथवा मध्यस्थता केन्द्र के माध्यम से समझौते के आधार पर निपटा लिये जाने पर उन प्रकरणों में पूर्व में जमा की गई कोर्ट फीस वापिस पाने के हकदार है तथा लोक अदालत में निर्णित प्रकरणों की कोई अपील आदि नहीं होती है।
8. पैरा लीगल वॉलंटीयर आम नागरिकों को जन–उपयोगी सेवाओं जैसे– यातायात, डाक, तार या टेलीफोन सेवा, विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय, स्वच्छता संबंधी सेवा, अस्पताल या औषधालय या बीमा संबंधी सेवाओं से संबंधित विवादों को, स्थाई लोक अदालत के माध्यम से बिना खर्च के निपटाया जा सकता है, जागरूक करेगा।
9. पैरा लीगल वॉलंटीयर विधिक सेवा योजनाओं से संबंधित तथा शासन द्वारा आम नागरिकों के कल्याण के लिये चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी देगा एवं वृहद प्रचार–प्रसार हेतु प्रचार सामग्री का प्रदर्शन, महत्वपूर्ण प्रसिद्ध लोक स्थानों, मेलों आदि में करेगा।
10. पैरा लीगल वॉलंटीयर संबंधित जिला प्राधिकरण/तालुका समिति के अध्यक्ष के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा तथा अपने कार्यकलापों का मासिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
11. पैरा लीगल वॉलंटीयर अपने क्षेत्र में स्थापित विधिक सहायता क्लीनिकों के प्रभावी कार्य सम्पादन मे सक्रिय सहयोग देगा।

पैरा लीगल वॉलंटीयर को पदच्युत किया जाना या हटाया जाना

पैरा लीगल वॉलंटीयर को निम्नलिखित परिस्थितियों में हटाया जा सकेगा

1. विधिक सेवा योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग नहीं देना तथा रूची नहीं रखना।
2. दिवालिया घोषित हो जाना।
3. किसी अपराध का अभियुक्त होना।
4. पैरा लीगल वॉलंटीयर के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाना।
5. राजनैतिक पार्टियों से संबंध रखना।
6. अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरूपयोग कर चुका हो कि उसका पैरा लीगल वॉलंटीयर के रूप में कार्य करना लोकहित में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो।

पैरा लीगल वॉलंटीयर को दिये जाने वाला मानदेय

विधिक सहायता क्लीनिक/फ्रन्ट ऑफिस पर कार्य करने वाले पैरा लीगल वॉलंटीयर को प्रति कार्य दिवस हेतु 250/–रूपये मानदेय देय होगा।

2.3

पैरा लीगल वॉलंटीयर को दी जाने वाली प्रशिक्षण सामग्री

पैरा लीगल वॉलंटीयर को प्रशिक्षण देने के उपरान्त उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक बैग दिया जायेगा जिसमें निम्न सामग्री होगी–

1. पैरा लीगल वॉलंटीयर निर्देशिका
2. नालसा/रालसा की विभिन्न स्कीमों के पेम्पलेट्स
3. विधिक सेवा कार्यक्रमों से संबंधित पुस्तिकाएं

2.4

पैरा लीगल वॉलंटीयर द्वारा किये जाने वाले कार्य

1. कानूनी सेवा क्लीनिक के माध्यम से नालसा एवं रालसा की विभिन्न स्कीमों का प्रचार–प्रसार करना।
2. विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन करना।
3. विशेष मेलों, त्यौहारों आदि मे आमजन को विधिक सेवा कार्यक्रमों के बारे में जानकारियां प्रदान करना।
4. राष्ट्रीय लोक अदालत/मेगा लोक अदालत में न्यायालयों में नोटिस जारी कराने हेतु सहयोग लेना।
5. योग्य एवं अनुभवी पैरा लीगल वॉलंटीयर द्वारा विशेषज्ञ के रूप में कार्य करना।
6. राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता झांकी का आयोजन करना।

2.5

पी.एल.वी. स्कीम के अन्तर्गत लिपिक द्वारा किये जाने वाले कार्य

2.5.1

मासिक कार्य रिपोर्ट देखना

पैरा लीगल वॉलंटीयर द्वारा माह के दौरान किए जाने वाले कार्य की मासिक रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा जिसका अवलोकन संबंधित लिपिक द्वारा किया जायेगा। साथ ही उनके द्वारा संधारित किये जाने वाले रजिस्टर का अवलोकन भी किया जायेगा। पी.एल.वी. की रिपोर्ट श्रीमान सचिव महोदय के समक्ष पेश की जायेगी।

2.5.1.1

पैरा लीगल वॉलंटीयर द्वारा प्रत्येक माह प्रेषित सूचना का प्रारूप

कानूनी सेवा क्लीनिकों पर वितरित किये गये पेम्पलेट्स व लाभांवित व्यक्तियों की सूचना

कानूनी सेवा क्लीनिक का नाम.....

माह.....

पी.एल.वी. का नाम.....

क्लीनिक पर सप्ताह में बैठक का दिन–.....

क्र. सं.	पी.एल.वी. की बैठक दिनांक	वितरित किये गये पेम्पलेट की संख्या	लाभांवित व्यक्तियों की संख्या
1			

हस्ताक्षर पी.एल.वी. मय नाम

2.5.2
मासिक मीटिंग का आयोजन

पैरा लीगल वॉलंटीयर की मासिक मीटिंग का आयोजन प्रत्येक माह के अन्त में किया जाता है जिसमें उनके कार्य पर्यवेक्षण किया जाता है। आगामी विशेष दिवस के लिए विधिक साक्षरता शिविर लगाने इत्यादि के निर्देश दिये जाते है।

2.5.3
निरीक्षण

पैरा लीगल वॉलंटीयर को जिस कानूनी सेवा क्लीनिक पर नियुक्त किया गया है, वहां का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है तथा उसके द्वारा किये जा रहे कार्यो की जाचं एवं पर्यवेक्षण किया जा सकता है।

2.5.4
पैरा लीगल वॉलंटीयर को मानदेय का भुगतान करना

1. संबंधित लिपिक द्वारा पैरा लीगल वॉलंटीयर को मानदेय का भुगतान करने के लिए निम्न प्रारूप में किये गये कार्य की सूचना भरवाकर ली जाती है।

2.5.4.1
पी.एल.वी. द्वारा मानदेय हेतु भरकर दिया जाने वाला प्रारूप

(A)

सेवामें,

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
.....

महोदय,

निवेदन है कि श्रीमान के निर्देशानुसार मुझे.....स्थापित कानूनी सेवा क्लीनिक/फ्रंट ऑफिस में माह के प्रत्येक.....को उपस्थित होकर आगन्तुकों / बंदियों को विधिक परामर्श करने हेतु तथा उपस्थित होने वालों को पेम्पलेट वितरण किए जाने हेतु फ्रंट आफिस में अपनी उपस्थिति दर्ज की है।

क्र.सं.	नाम पीएलवी/पेनल लॉयर	दिनांक जिस दिन/वार मेरे द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई	पी.एल.वी. द्वारा किये गये कार्य का विवरण	आने–जाने का वाहन किराया	मुझे भुगतान योग्य राशि
1					

अतः श्रीमान से निवेदन है कि मैने उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं उठाया है मुझे उक्त राशि का नियमानुसार भुगतान दिलाने की कृपा करें। संलग्न अन्य वाउचर्स का भुगतान मेरे द्वारा किया गया है।

दिनांक

नाम.....
हस्ताक्षर.....

(B)

सेवा में,

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
.....

महोदय,

निवेदन है कि श्रीमान के निर्देशानुसार मुझे पैरा लीगल वॉलंटीयर की टीम संख्या .....में विधिक साक्षरता शिविरों के आयोजन किऐ जाने हेतु अधिकृत किया गया है। मेरे द्वारा निम्न तिथियों को श्रीमान के निर्देशानुसार विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया जिसकी रिपोर्ट संलग्न कर निवेदन हे कि मुझे प्रत्येक शिविर हेतु नियमानुसार भुगतान दिलाने एवं शिविर में हुए व्यय के संलग्न वाउचर्स का भुगतान दिलाने की कृपा करें–

क्र.सं.	नाम पीएलवी/पेनल लॉयर	आयोजि शिविर का स्थान	विधिक साक्षरता शिविर की दिनांक	नियमानुसार प्रत्येक शिविर की भुगतान राशि	शिविर में हुऐ अन्य व्यय की भुगतान राशि	कुल भुगतान राशि
1						
2						

अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे उक्त राशि का नियमानुसार भुगतान दिलाने की कृपा करें। संलग्न अन्य वाउचर्स का भुगतान मेरे द्वारा किया गया है।

दिनांक

भवदीय

नाम.....
हस्ताक्षर.....

2. सभी पैरा लीगल वॉलंटीयर्स द्वारा उक्त प्रारूप में सूचना भरकर दिये जाने के उपरान्त मानदेय भुगतान हेतु कार्यालय टिप्पणी तैयार कर श्रीमान अध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्त की जाती है।

3. श्रीमान अध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्त होने के बाद संबंधित लिपिक द्वारा पैरा लीगल वॉलंटीयर को 250/– रूपये प्रति दिवस के हिसाब से नालसा फण्ड 4–सी से जरिये अकाउन्ट पेयी चैक भुगतान किया जाता है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2009

सं एल/28/09—नालसा.—केन्द्रीय प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा—29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** — (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंग ।

2. **परिभाषाएं** — इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) अभिप्रेत है (ख) 'लोक अदालत' से अधिनियम की धारा— 19 के अधीन आयोजित की जाने वाली लोक अदालत अभिप्रेत है (ग) सभी अन्य शब्दों और पदो के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं है और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम नियमों में है।

3. **लोक अदालतें आयोजित करने की प्रक्रिया**—(1) लोक अदालतें, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरणों या जिला प्राधिकरणों या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समितियों द्वारा नियमित अंतरालों पर आयोजित की जा सकेंगी और ऐसी लोक अदालतें किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्रों के लिए, जो पूर्वोक्त प्राधिकरण या समितियां ठीक समझें, आयोजित की जाएंगी :

परंतु विशेष लोक अदालतें सभी कुटुम्ब न्यायालयों के लिए नियमित अंतरालों पर आयोजित की जाएंगी।

(2) यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सदस्य—सचिव या सचिव या जिला प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष विधिकवृत्ति के सदस्यों, महाविद्यालय के विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों, पूर्व और परोपकारी संस्थाओं और अन्य वैसे ही संगठनों को लोक अदालतें आयोजित करने के लिए सहयोजित कर सकेगा।

4. **राज्य प्राधिकरण को सूचना** — यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष राज्य प्राधिकरण को लोक अदालत आयोजित करने के प्रस्ताव के बारे में उस तारीख से बहुत पूर्व, जिसको लोक अदालत आयोजित करने का प्रस्ताव है, सूचित करेगा और राज्य प्राधिकरण को निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :——

(i) वह स्थान और तारीख, जिसको लोक अदालत आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है

(ii) क्या ऊपर विनियम 3 के उपविनियम (2) में यथा निर्दिष्ट संगठनों में से किसी ने लोक अदालत के साथ स्वयं को सहयोजित करने के लिए अपनी सहमति दी है

(iii) मामलों के प्रवर्ग और प्रकृति जैसे लंबित मामले या मुकद्मा–पूर्व विवाद, जिनका लोक अदालत के समक्ष रखे जाने का प्रस्ताव है

(iv) प्रत्येक प्रवर्ग में लोक अदालत के समक्ष लाए जाने वाले प्रस्तावित मामलों की संख्या

(अ) कोई अन्य सूचना, जो लोक अदालत के संयोजन और आयोजन से सुसंगत हो।

5. **सबंद्ध पक्षकारों को सूचना** – लोक अदालतों का संयोजन और आयोजन करने वाले यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, उस सब (प्रत्येक पक्षकार को जिसका मामला लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया है, समय पूर्व सूचित करेगा जिससे उसे लोक अदालत के समक्ष स्वयं को तैयार करने के लिए अवसर दिया जा सकेः

परंतु ऐसी सूचना से अभिमुक्ति दी जाएगी यदि न्यायालय ने मामले को लोक अदालत को निर्दिष्ट करते समय पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं की उपस्थिति में लोक अदालत की तारीख और समय नियत किया है या उसकी सूचना दी हैः

परंतु यह और कि यदि कोई पक्षकार लोक अदालत को अपना मामला निर्दिष्ट करने के लिए इच्छुक नहीं है तो सब (न्यायालय द्वारा उस मामले पर उसके गुणागुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

6. **लोक अदालत की संरचना** –

(क) राज्य प्राधिकरण स्तर पर–लोक अदालत आयोजित करने वाला सदस्य–सचिव लोक अदालतों की न्यायपीठें गठित करेगा, प्रत्येक न्यायपीठ में उच्च न्यायालय के आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों होंगेः

(i) विधिकवृत्ति से कोई सदस्य, और

(ii) ऐसे ख्यातिप्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता जो व्यक्तियों के कमजोर वर्गों, जिनके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्त्री, बालक, ग्रामीण और शहरी श्रमिक भी हैं, के उत्थान में लगे हैं और जिनकी विधिक सेवा स्कीमों या कार्यक्रमों की क्रियान्वयन में रूचि है।

(ख) उच्च न्यायालय स्तर पर–लोक अदालत आयोजित करने वाला उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव लोक अदालतों की न्यायपीठ गठित करेगा, प्रत्येक न्यायपीठ में उच्च न्यायालय के आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीऔर निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों होंगे

(i) विधिकवृत्ति से कोई सदस्य, और

(ii) ऊपर उपपैरा (क) की मद (ii) में यथा वर्णित प्रवर्ग का सामाजिक कार्यकर्ता।

(ग) जिला स्तर पर–लोक अदालत आयोजित करने वाला जिला प्राधिकरण का सचिव लोक अदालतों की न्यायपीठ गठित करेगा, प्रत्येक न्यायपीठ में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों होंगे

(i) विधिकवृत्ति से कोई सदस्य, और

(ii) ऊपर उपपैरा (क) की मद (ii) में यथा वर्णित प्रवर्ग का सामाजिक कार्यकर्ता या क्षेत्रों के विधिक सदृश क्रियाकलापों में लगा हुआ व्यक्ति अधिमानतः कोई स्त्री।

(घ) तालुक स्तर पर–लोक अदालत आयोजित करने वाला तालुका विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालतों की न्यायपीठ गठित करेगा, प्रत्येक न्यायपीठ में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों होंगे (i) विधिकवृत्ति से कोई सदस्य, और (ii) ऊपर उपपैरा (क) की मद (ii) में यथा वर्णित प्रवर्ग का सामाजिक कार्यकर्ता या क्षेत्रों के विधिक सदृश क्रियाकलापों में लगा हुआ व्यक्ति अधिमानतः कोई स्त्री।

7. **लोक अदालतों का मामलों का आबंटन** – (1) यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालत की प्रत्येक न्यायपीठ को विनिर्दिष्ट मामले समनुदेशित करेंगे।

(2) यथास्थिति सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालत की प्रत्येक न्यायपीठ के लिए एक मामला सूची तैयार कर सकेगा और लोक अदालत आयोजित करने की तारीख के कम से कम दो दिन पूर्व सभी सब व्यक्तियों को सूचित करेंगे।

(3) लोक अदालत की प्रत्येक न्यायपीठ उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रत्येक मामले में किसी प्रकार के उत्पीड़न, धमकी, असम्यक् प्रभाव, प्रलोभन या दुर्व्यपदेशन के बिना सुलह समझौता कराने के गंभीर प्रयास करेगी।

8. **लोक अदालतों का आयोजन** – लोक अदालतें ऐसे समय और स्थान तथा ऐसी तारीख को जिसके अंतर्गत छुट्टी का दिन भी है, जिसे लोक अदालत आयोजित करने वाला यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति उचित समझे, आयोजित की जा सकेगी।

9. **लोक अदालतों की अधिकारिता** – लोक अदालतों को केवल पक्षकारों के बीच किसी विवाद का समझौता या परिनिर्धारणकरने के लिए पक्षकारों की सहायता करने की शक्ति होगी और ऐसा करते समय पक्षकारों के बीच ऐसे विवादों की बाबत् वे कोई निदेश या आदेश जारी नहीं करेंगी।

10. **लंबित मामलों के निर्देश** – (1) लोक अदालत के पास लंबित मामले पर कार्रवाई करने की तभी अधिकारिता होगी जब सक्षम अधिकारिता वाला कोई न्यायालय आदेश करता है कि मामले को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 89 या अधिनियम की धारा 20 में विहित रीति के अनुसार निर्दिष्ट किया जाए ।

(2) लोक अदालत को लंबित मामलों के तंत्र संबंधी निर्देश करने से बचाया जाएगा और निर्देश करने वाला न्यायालय प्रथम दृष्ट्या अपना यह समाधान करेगा कि लोक अदालत के माध्यम से मामले के निपटारा होने का अवसर है और लोक अदालत में निर्दिष्ट किए जाने के लिए यह मामला समुचित है

परंतु विवाह–विच्छेद और आपराधिक मामलों से संबंधित ऐसे विषय, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन शमनीय नहीं है, लोक अदालत को निर्दिष्ट नहीं किए जाएंगे ।

(3) उस लंबित मामले में जहां पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार ने न्यायालय को लोक अदालत में मामले को निर्दिष्ट करने के लिए आवेदन किया था या न्यायालय का स्वप्रेरणा से यह समाधन हो जाता है कि लोक अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने के लिए मामला समुचित है, तो मामले को पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् के सिवाय लोक अदालत को निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा।

11. **अभिलेखों को समन करना और उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायित्व** – (1) यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण का सचिव, सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष उन लंबित मामलों के न्यायिक अभिलेख, जिन्हें अधिनियम की धारा 20 के अधीन सब न्यायालयों से लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया है, मंगा सकेंगे ।

(2) यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण का सचिव, या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी न्यायालय से प्राप्त होने वाले अभिलेखों की उन्हें न्यायालय को वापस किए जाने तक सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) न्यायिक अभिलेख लोक अदालत द्वारा समाप्त की गई कार्यवाही के दस दिन के भीतर कार्यवाहियों के परिणाम के बारे में पृष्ठांकन सहित वापस कर दिए जाएंगे चाहे लोक अदालत द्वारा मामले का निपटारा किया गया हो या नहीं : परंतु जहां कहीं समुचित हो, वह सब न्यायालय, जहां से अभिलेख मंगाए गए थे, दस दिन से परे की अवधि के लिए अभिलेखों को प्रतिधारित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(4) प्रत्येक न्यायिक प्राधिकरण से यह आशा की जाती है कि वह न्यायिक अभिलेखों के पारेषण में सहयोग करे।

12. **मुकदमा–पूर्व मामला** – (1) मुकदमा–पूर्व मामले में यह सुनिश्चित किया जाए कि उस न्यायालय, जिसके लिए लोक अदालत आयोजित की गई है, को मामले को न्यायनिर्णीत करने की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है।

(2) लोक अदालत को मुकदमा–पूर्व मामले को निर्दिष्ट करने से पूर्व यथास्थिति, सब प्राधिकरण या समिति सब पक्षकारों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देगी।

परंतु प्रत्येक पक्षकार का बयान लोक अदालत के समक्ष इसे रखे जाने के लिए, यथास्थिति सब प्राधिकरण या समिति द्वारा अभिप्राप्त किया जाएगा।

(2) पक्षकारों के बीच समझौता आधरित किसी पंचाट को केवल अधिनियम की धारा 20 में विहित प्रक्रिया के उल्लंघन पर संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अधीन याचिका फाइल करके चुनौती दी जा सकती है।

13. **लोक अदालतों में प्रक्रिया** – (1) लोक अदालत के सदस्यों की भूमिका केवल कानूनी सुलहकर्ता की है और उनकी कोई न्यायिक भूमिका नहीं है और वे, यथावश्यक परिवर्तन सहित माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 67 से 79 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन कर सकेंगे।

(2) लोक अदालत के सदस्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः मामलों या विषयों का समझौता या परिनिर्धारण करने के लिए किसी भी पक्षकार पर दबाव नहीं डालेंगे या जबरदस्ती नहीं करेंगे।

(3) लोक अदालत के सदस्य उचित परिनिर्धारण या समझौते पर पहुंचने के लिए पक्षकारों के साथ विषयवस्तु पर चर्चा करेंगे और लोक अदालत के ऐसे सदस्य पक्षकारों की उनके विवाद के सौहार्दपूर्ण परिनिर्धारण पर पहुंचने के उनके प्रयास में स्वतंत्र और निष्पक्ष रीति से सहायता करेंगे : परंतु यदि स्वतंत्र व्यक्ति या प्रशिक्षित मध्यस्थ की सहायता की आवश्यकता पड़ जाती है तो लोक अदालत उसे भी प्राप्त कर सकेगी।

(4) लोक अदालत के सदस्य, अन्य बातों के साथ–साथ, पक्षकारों के अधिकारों और बाध्यताओं, विवाद की प्रतिवेशी रूढ़ियों और रीति रिवाजों तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए नैसर्गिक न्याय, साम्या, निष्पक्षता, विषयनिष्ठता के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होंगे।

(5) लोक अदालत ऐसी रीति से कार्यवाहियां कर सकेंगी जैसा यह मामले की परिस्थितियों, किसी पक्षकार द्वारा लोक अदालत से मौखिक कथन सुनने के किसी अनुरोध और विवाद के शीघ्र परिनिर्धारण की आवश्यकता सहित पक्षकारों की इच्छाओं पर विचार करते हुए उचित समझे ।

(6) लोक अदालत अपनी निजी इच्छा से किसी निर्देश का अवधारण नहीं करेगी बल्कि पक्षकारों के बीच समझौते या परिनिर्धारण के आधार पर ही समझौता या परिनिर्धारण के निबंधानुसार अधिनिर्णय करके अवधारण करेगी परंतु किसी लोक अदालत को नियमित न्यायालय के रूप में उनके विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए पक्षकारों की सुनवाई करने की शक्ति नहीं है :

परंतु यह और कि लोक अदालत का अधिनिर्णय न तो अधिमत है और न ही किसी विनिश्चय करने वाली प्रक्रिया द्वारा विचारित राय है ।

14. **प्रशासनिक सहायता** – लोक अदालत कार्यवाहियों को सुकर बनाने के लिए प्रशासनिक सहायता की व्यवस्था विधिक सेवा उपलब्ध कराने में लगी उपयुक्त संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा की जा सकेगी ।

15. **समझौता या परिनिर्धारण की विरचना** – लोक अदालत, कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर विवाद के निर्धारण के लिए प्रस्ताव कर सकेगी और यह आवश्यक नहीं कि ऐसा प्रस्ताव उसके लिए कारणों के कथन से युक्त हो।

16. **लोक अदालत और पक्षकारों के बीच संसूचना** – (1) लोक अदालत पक्षकारों को उससे मिलने के लिए आमंत्रित कर सकेगी या उसे मौखिक या लिखित रूप में संसूचित कर सकेगी और वह पक्षकारों के साथ एक साथ या उनसे पृथक–पृथक मिल सकेगी या संसूचित कर सकेगी। किसी पक्षकार से प्राप्त विवाद से संबंधित तथ्यात्मक सूचना इसलिए अन्य पक्षकार को प्रकट की जा सकेगी कि यदि अन्य पक्षकार को कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके :

पंरतु लोक अदालत कोई सूचना प्रकट नहीं करेगी यदि एक पक्षकार इसे गोपनीय रखना चाहता है ।

(2) प्रत्येक पक्षकार अपनी निजी पहल या लोक अदालत के आमंत्रण पर विवाद के परिनिर्धारण के लिए सुझाव प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) जब लोक अदालत को यह प्रतीत होता है कि परिनिर्धारण के लक्षण विद्यमान हैं जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकेंगे तो संभव परिनिर्धारण के निबंधन लोक अदालत द्वारा विरचित किए जाएंगे और उनके विचारों

और परिवर्तन, यदि कोई हो, के लिए पक्षकारों को दिए जाएंगे और पक्षकारों द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार किया जा सकेगा तथा संभव परिनिर्धारण के निबंधनों को लोक अदालत द्वारा पुनः विरचित किया जा सकेगा।

(4) यदि पक्षकार विवाद के समझौते या परिनिर्धारण पर पहुंचते हैं तो लोक अदालत रूपरेखा तैयार कर सकेगा या ऐसे समझौतों या परिनिर्धारण के निबंधनों की रूपरेखा तैयार करने में पक्षकारों की सहायता कर सकेगा।

17. **<u>अधिनिर्णय</u>** – (1) अधिनिर्णय की रूपरेखा तैयार करना लोक अदालत के मार्गदर्शन और सहायता के अधीनपक्षकारों द्वारा सहमत परिनिर्धारण या समझौता के निबंधन सम्मिलित करते हुए मात्र एक प्रशासनिक कार्य है।

(2) जब दोनों पक्षकार हस्ताक्षर करते हैं या अपना अंगूठा निशान लगाते हैं और लोक अदालत के सदस्य इस पर अधोहस्ताक्षर करते हैं तो यह अधिनिर्णय हो जाता है। (परिशिष्ट–1 पर नमूना देखिए) लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय स्पष्ट और सरल होगा और स्थानीय न्यायालयों में प्रयुक्त प्रादेशिक भाषा या अंग्रेजी में होंगे। इसमें मामले की विशिष्टियां अर्थात् मामला संख्या, न्यायालय का नाम,पक्षकारों के नाम, प्राप्ति की तारीख, स्थायी रजिस्टर (विनियम 20 के अधीन यथाउपबंधित बनाए रखे गए) में मामले की रजिस्टर संख्या और परिनिर्धारण की तारीख भी अंतर्विष्ट होगी। जहां कहीं पक्षकारों का प्रतिनिध्वि काउंसेल द्वारा किया जाता है वहां उनसे भी लोक अदालत के सदस्यों के समक्ष परिनिर्धारण या अधिनिर्णय पर अपने हस्ताक्षर करने की अपेक्षा होनी चाहिए।

(3) न्यायालय से लोक अदालत को निर्दिष्ट मामलों के अधिनिर्णय में यह उल्लिखित होगा कि वादी या याची दी गई न्यायालय फीस के प्रतिदाय का हकदार है।

(4) जहां पक्षकारों के साथ काउंसल नहीं है या काउंसल द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है, वहां लोक अदालत के सदस्य परिनिर्धारण अभिलिखित करने के पूर्व पक्षकारों की पहचान का भी सत्यापन करेंगे।

(5) लोक अदालत के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि पक्षकार निश्चित और अभिलिखित किए गए परिनिर्धारण के निबंधनों को पूरी तरह से समझने के पश्चात् ही अपने हस्ताक्षर करें। लोक अदालत के सदस्य अपने हस्ताक्षर करने के पूर्व निम्नलिखित के बारे में भी स्वयं का समाधन करेंगे :

(क) यह कि परिनिर्धारण के निबंधन अयुक्तियुक्त या अवैध या एकतरफा नहीं है और

(ख) यह कि पक्षकारों ने स्वेच्छया न कि किसी धमकी, प्रपीड़न या असम्यक असर के कारण परिनिर्धारण किया है।

(6) लोक अदालत के सदस्यों को अपने समक्ष निकाले गए परिनिर्धारण में ही अपने हस्ताक्षर करने चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतों का उपयेाग बेईमान पक्षकारों द्वारा कपट, कूट रचना, आदि करने के लिए न किया जाए, किसी तीसरे पक्षकार की सहायता से लोक अदालत के बाहर पक्षकारों द्वारा निकाले गए परिनिर्धारण पर हस्ताक्षर करने से बचना चाहिए ।

(7) लोक अदालत कोई जमानत या पारस्परिक सहमति द्वारा द्वारा विवाह–विच्छेद मंजूर नहीं करेगी ।

(8) मूल अधिनिर्णय न्यायिक अभिलेख (मुकदमेबाजी पूर्व मामले में मूल अधिनिर्णय विधिक सेवा प्राधिकरण या सब समिति के पास रखा जा सकेगा) का भाग गठित करेगा और अधिनिर्णय की एक प्रति यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा अभिहित अधिकारी द्वारा प्रत्येक पक्षकार को सम्यक् रूप से उनका सही होना प्रमाणित करते हुए निःशुल्क दी जाएगी और संबधित प्राधिकरण या समिति की शासकीय मुद्रा सभी अधिनिर्णयों पर लगी होगी ।

18. **गोपनीयता** – (1) लोक अदालत के सदस्य और पक्षकार लोक अदालत में कार्यवाहियों से संबंधित सभी विषयों को गोपनीय रखेंगे और लोक अदालत के सदस्यों को उसके सिवाय, जहां अधिनिर्णय के क्रियान्वयन और प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक न हों, किसी न्यायालय के समक्ष लोक अदालत कार्यवाहियों में ऐसे विषयों को प्रकट करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा ।

(2) लोक अदालत के सदस्यों द्वारा किए गए प्रस्ताव और विवाद के संभव परिनिर्धारण की बाबत लोक अदालत में कार्यवाहियों के दौरान पक्षकारों द्वारा व्यक्त मत और की गई चर्चाओं या किसी पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृति या लोक अदालत के समक्ष कार्यवाही के अनुक्रम में पक्षकारों के आचरण को अन्य न्यायालय या मध्यस्थ कार्यवाहियों में साक्ष्य में नहीं लाया जाएगा या उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(3) लोक अदालत के सदस्य किसी अन्य कार्यवाही में ऐसी रीति में किसी पक्षकार के कथन अभिलिखित नहीं करेंगे या पक्षकारों के किसी आचरण या कोई राय व्यक्त नहीं करेंगे जो न्यायालय या मध्यस्थ के समक्ष ऐसे पक्षकार के प्रतिकूल हो ।

(4) यदि लोक अदालत का कोई सदस्य किसी गोपनीयता या नैतिक विषयों का अतिक्रमण करता है जो किसी अन्य न्यायिक कार्यवाही के सदृश है तो ऐसा सदस्य लोक अदालत के सदस्यों के पैनल से हटाया जाएगा।

19. **लोक अदालत कार्यवाहियों की असफलता** – यदि मुकद्मा–पूर्व मामले का निपटान लोक अदालत में नहीं होता है तो पक्षकारों को अन्य आनुकल्पिक विवाद समाधन तकनीकों का अवलंब लेने या न्यायालय में जाने की सलाह दी जा सकेगी और उचित मामलों में उन्हें विधिक सहायता की उपलब्धता के बारे में भी सलाह दी जा सकेगी।

20. **परिणामों का संकलन** – लोक अदालत के सत्रा की समाप्ति पर यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जिला प्राधिकरण के सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा अभिहित अधिकारी, परिशिष्ट–2 में दिए गए प्रोफार्मा में राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करने की उपलब्धता के बारे में भी सलाह दी जा सकेगी।

21. **लोक अदालत के सदस्यों के नामों का पैनल बनाए रखना** – यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालतों में काम करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नामों का पैनल बनाए रखेगा।

22. **अधिनियम की धारा 20 के अधीन निर्दिष्ट मामलों के अभिलेख या अन्यथा बनाए रखने की प्रक्रिया** – (1) यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण के सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा अभिहित अधिकारी, एक स्थायी रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें लोक अदालत के निर्देश के माध्यम से उसे प्राप्त सभी मामले या मुकद्मे पूर्व विषयों की प्रविष्टि निम्नलिखित विशिष्टियां देते हुए की जाएंगी :

(i) प्राप्ति की तारीख,

(ii) मामले या मुकद्मा–पूर्व विषय की प्रकृति,

(iii) अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हों

(iv) समझौता या परिनिर्धारण की तारीख और ऐसी रीति जिसमें मामले या विषय का अंतिम रूप से निपटान किया गया था, और

(अ) मामले की फाइल की वापसी की तारीख ।

(2) अधिनिर्णय की प्रति, यदि पारित किया गया है, विनियम 17 में कथित रीति में सम्यक रूप से प्रमाणित, स्थायी अभिलेख के रूप में यथास्थिति प्राधिकरण या समिति के कार्यालय में रखी जाएगी ।

(3) मुकद्मा–पूर्व लोक अदालतों के अधिनिर्णयों के मूल के अलावा अभिलेखों को लोक अदालत द्वारा मामले के निपटान की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के पश्चात् नष्ट किए जा सकेंगे ।

23. **अधिवक्ताओं की उपस्थिति और लोक अदालतों के समक्ष मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया** – लोक अदालतों में पक्षकारों की ओर से अधिवक्ताओं की उपस्थिति को वर्जित नहीं किया जाएगा और पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के प्रयास को प्रोत्साहित किया जाएगा। अधिवक्ताओं को लोक अदालत के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान अपनी पोशाक और बैंड पहनने से बचने की सलाह दी जा सकेगी।

24. **विनियमों का लागू होना** – उपरोक्त विनियम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों को समुचित परिवर्तनों सहित उसी रीति में लागू होंगे।

यू. शरत चन्द्रन
सदस्य–सचिव

APPLICATION FORM FOR REFERRING THE CASE TO LOK ADALAT
RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
Rajasthan High Court Building, Jaipur

1. Title of the case with present address of the claimant. :

2. Next / Last date of hearing :

3. Name of the Insurance Co :

4. Name of the claimant counsel :

5. Date of Accident :

6. Name of the Insurance Co. Counsel :

7. Vehicle No. :

8. Policy / Cover note No. :

9. Full address of Policy :

10. Whether W.S. on behalf of Insurance Company has been filed :

11. Details of the Criminal Case :

a) Name of the Court of Metropolitan Magistrate :

b) F.I.R. No. :

c) Police Station :

d) Under Section :

e) Whether the case is pending or decided. :

f) Next / Last Date of hearing :

PHOTOCOPIES OF DOCUMENT TO BE ATTACHED

a) Cover note / Certificate of Insurance Company.

b) Copy of charge sheet & F.I.R.

c) Site Plan

d) Driving License of the accused driver and/or its impound slip.

e) Superdarinama of Vehicle involved in accident.

f) MLC /P. M.. Report

g) Proof of age of the injured/deceased.

h) Bills & cash Memos relating to medical expenses,

if any supported by prescription.

(SIGNATURE OF THE APPLICANT)

IMPORTANT NOTE:

1. Application should be in duplicate with one set of documents.

2. Application incomplete in any respect and / or without any of the documents shall not be entertained.

3. Cases negotiated in conciliation shall not be listed in Lok Adalat.

4. Claimants need not apply in those cases where Written Statement on behalf of the Insurance Company has not been filed.

परिशिष्ट–1

लोक अदालत के समक्ष

स्थान का नाम .....

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 19 के अधीन .....
..... प्राधिकरण / ..... समिति द्वारा आयोजित)

याची / वादी / परिवादी :

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी :

..... न्यायालय / प्राधिकरण / समिति की कार्यवाही संख्या :

उपस्थिति :–

न्यायिक अधिकारी / सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम :

सदस्यों का नाम : (1)

(2)

अधिनिर्णय

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले / विषय पर समझौता / परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है

.....

.....

.....

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय की फीस, यदि कोई उनमें से किसी द्वारा संदत्त की गई है तो यह वापस की जाएगी।

याची / वादी / परिवादी — प्रतिवादी / प्रत्यर्थी

न्यायिक अधिकारी — सदस्य — सदस्य

तारीख :

(प्राधिकरण / समिति की मुद्रा)

परिशिष्ट–2

प्रोफार्मा

लोक अदालत में मामलों का निपटान

स्थान :			स्थान :		
			निपटाए गए मामले की प्रकृति		
क्रम सं0	मामला संख्या	पक्षकारों के नाम	सिविल	दावे	आपराधिक
कुल					

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम 2010

सं.एल/61/10/रा.वि.से.प्रा. – केंद्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन हकदार व्यक्तियों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 4 के उपबंध के अनुसरण में, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 है।

(2) ये भारत में उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और तालुक विधिक सेवा समितियों को लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** –

(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ''अधिनियम'' से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) अभिप्रेत है,

(ख) ''प्रारूप'' से इन विनियमों से उपाबंध प्रारूप अभिप्रेत है,

(ग) ''प्रबंध कार्यालय'' से विधिक सेवा संस्था में वह कक्ष अभिप्रेत है, जहां विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है।

(घ) ''विधि व्यवसायी'' का वही अर्थ होगा, जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 2 के खंड (झ) में है,

(ड) ''विधिक सेवा संस्था'' से, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है,

(च) ''पैरा विधिक'' स्वयंसेवक से विधिक सेवा संस्था द्वारा इस प्रकार प्रशिक्षित ''पैरा विधिक'' स्वयंसेवक अभिप्रेत है।

(छ) ''सचिव'' से विधिक सेवा संस्था का सचिव अभिप्रेत है।

(ज) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(झ) ''राज्य विनियम'' से अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाया गया विनियम अभिप्रेत है।

(2) सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन विनियम में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. **विधिक सेवाओं के लिए आवेदन** – (1) विधिक सेवाओं के लिए कोई आवेदन स्थानीय भाषा या अंग्रेजी में अधिमानतः प्रारूप–1 में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) कोई आवेदक अपनी शिकायत, जिसके लिए वह विधिक सेवाओं को चाहता है, संक्षिप्त रूप में एक पृथक प्रपत्र में आवेदन के साथ दे सकेगा।

(3) किसी आवेदन, यद्यपि प्रारूप–1 में नहीं है, को भी ग्रहण किया जा सकेगा, यदि आवेदक ने विधिक सेवाएं चाहने के लिए स्वयं को समर्थ बनाने के लिए तथ्यों को युक्तियुक्त ढंग से स्पष्ट कर दिया है।

(4) यदि आवेदक निरक्षर है या वह स्वयं आवेदन देने में असमर्थ है, विधिक सेवा संस्था आवेदक के आवेदन प्रारूप को भरने में और शिकायतों का एक टिप्पणी तैयार करने में उसकी सहायता करने की व्यवस्था कर सकेगा।

(5) विधिक सेवा के लिए मौखिक अनुरोध को भी उसी रीति में ग्रहण किया जा सकेगा, जिस रीति में कोई आवेदन उपविनियम (1) और उपविनियम (2) के अधीन ग्रहण किया जाता है।

(6) पैरा विधिक स्वयं सेवकों, विधिक सहायता क्लबों, विधिक सहायता क्लिनिक्स और स्वैच्छिक समाज सेवा संस्थाओं द्वारा परामर्श प्राप्त करने वाले आवेदक को भी निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए भी विचार में लिया जा सकेगा।

(7) आवेदक की पहचान का सत्यापन के पश्चात् और यह सुनिश्चित होने पर कि आवेदक/आवेदिका द्वारा की गई शिकायत उसकी स्वयं की है, निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए ई–मेल और ऑन–लाइन सुविधा से संपर्क द्वारा प्राप्त अनुरोध को भी विचार में लिया जा सकेगा।

4. **विधिक सेवा संस्था में प्रबंध कार्यालय का होना** – (1) सभी विधिक सेवा संस्थाओं में कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध पैनल वकील और एक या अधिक पैरा लीगल वॉलियन्टरके साथ प्रबंध कार्यालय होगा।

(2) न्यायालय आधारित विधिक सेवाओं के मामले में, आवेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा वकील उसे विनियम 7 के अधीन गठित समिति को अग्रेषित करेगा और अन्य प्रकार की विधिक सेवाओं के लिए पैनल का वकील प्रबंध कार्यालय में ऐसी विधिक सेवाएं प्रदान कर सकेगा।

(3) प्रबंध कार्यालय में पैनल का वकील सूचनाओं का प्रारूपण, वकीलों की सूचनाओं का उत्तर भेजना, और आवेदनों, अर्जियों आदि का प्रारूपण जैसी सेवाएं देगा।

(4) प्रबंध कार्यालय में पैनल का वकील विधिक सेवा संस्थाओं के कर्मचारीवृंद से सचिवीय सहायता प्राप्त कर सकेगा।

(5) अतिआवश्यक विषयों के मामले में प्रबंध कार्यालय में पैनल का वकील विधिक सेवा संस्थाओं के सदस्य सचिव या सचिव के परामर्श से समुचित प्रकृति की विधिक सहायता प्रदान कर सकेगा।

परन्तु विनियम 7 के अधीन गठित की गई समिति प्रबंध कार्यालय में पैनल के वकील द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार और अनुमोदन कर सकेगी।

5. **निःशुल्क विधिक सेवाओं के हकदार होने का सबूत**–(1) आवेदक का एक शपथ पत्र कि वह धारा 12 के अधीन निःशुल्क विधिक सेवाओं के हकदार व्यक्तियों के प्रवर्गों के अधीन आता है, प्रस्तुत करेगा जो कि साधरणतया पर्याप्त होगा।

(2) शपथ–पत्रा को, यथास्थिति, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक, अधिवक्ता, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि, राजपत्रित अधिकारी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय के अध्यापक के समक्ष हस्ताक्षर किया जा सकेगा।

(3) शपथ–पत्र को सादा कागज पर तैयार किया जा सकेगा और उस पर अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति की मुद्रा होगी।

6. **आवेदक द्वारा दिए जाने वाले मिथ्या और असत्य ब्यौरों का परिणाम**– आवेदक द्वारा, यदि गलत या मिथ्या सूचना या कपटपूर्ण रीति द्वारा निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त की गई है तो उसे सूचित किया जाएगा कि उसकी विधिक सेवाओं को तत्काल रोक दिया जाएगा और विधिक सेवा संस्था द्वारा उस पर उपगत व्यय उससे वसूली योग्य होगा।

7. **निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए आवेदन की संवीक्षा और मूल्यांकन** – (1) तालुक, जिला, राज्य और उससे ऊपर के स्तर पर विधिक सेवाओं के लिए आवेदन की संवीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए विधिक सेवा संस्था द्वारा गठित की जाने वाली एक समिति होगी।

(2) समिति विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा गठित की जाएगी और जिसमें निम्नलिखित होंगे –

(i) अध्यक्ष के रूप में विधिक सेवा संस्था के सदस्य–सचिव या सचिव और दो सदस्य जिसमें से एक न्यायिक अधिकारी हो सकेगा, जिसे अधिमानतः विधिक सेवा संस्था में कार्य करने का अनुभव हो,

(ii) यथास्थिति, एक विधिक वृत्तिक या सरकारी प्लीडर या सहायक सरकारी प्लीडर अथवा लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक, जिसे कम से कम 15 वर्ष का विधिज्ञ अनुभव हो ।

(3) समिति के सदस्यों की अवधि साधारणतया दो वर्ष की होगी, जिसे अधिकतम एक वर्ष के लिए और विस्तारित किया जा सकेगा और विधिक सेवा संस्था का सदस्य–सचिव या सचिव, तथापि, समिति का पदेन अध्यक्ष बना रहेगा।

(4) समिति आवेदन की संवीक्षा और मूल्यांकन करेगी तथा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर यह विनिश्चय करेगी क्या आवेदक विधिक सेवाएं पाने का हकदार है या नहीं।

(5) यदि, आवेदक धारा 12 में वर्णित प्रवर्ग के अधीन नहीं आता है, तो उसे स्वेच्छया या किसी अन्य स्कीम के अधीन निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने वाले किसी अन्य निकाय या व्यक्ति से सहायता प्राप्त करने के लिए परामर्श दिया जाएगा।

(6) विधिक सेवा संस्था ऐसे अभिकरणों, संस्थाओं या व्यक्तियों की सूची रखेगा, जिन्होंने निःशुल्क विधिक सेवाएं देने में अपनी रजामंदी व्यक्त की है।

(7) समिति के विनिश्चय या आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष को अपील कर सकेगा या कर सकेगी और अपील पर किया गया विनिश्चय या आदेश अंतिम होगा।

8. **<u>वकीलों के पैनल के रूप में विधि व्यवसायियों का चयन</u>** – (1) प्रत्येक विधिक सेवा संस्था पैनल वकीलों के रूप में विधि व्यवसायियों के नाम पैनलित करने के लिए उनसे आवेदन आमंत्रित करेगा और ऐसे आवेदनों के साथ मामलों के प्रकार के विशेष संदर्भ के साथ वृत्तिक अनुभव का सबूत लगा होगा, जिसे आवेदक–विधि व्यवसायी को मामला सौंपे जाने में अधिमानता दी जा सकेगी।

(2) उपविनियम (1) के अधीनप्राप्त आवेदनों की संवीक्षा की जाएगी और विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, महान्यायवादी (उच्चतम न्यायालय के लिए), महाधिवक्ता (उच्च न्यायालय के लिए), जिला न्यायवादी या सरकारी अधिवक्ता (जिला और तालुक स्तर के लिए) और अपने–अपने बार संगम के अध्यक्षों से परामर्श करके वकीलों के पैनल का चयन किया जाएगा।

(3) ऐसा विधि व्यवसायी, जिसके पास विधिज्ञ का तीन वर्ष से कम का अनुभव है, का नाम साधारणतया पैनलित नहीं किया जाएगा।

(4) वकीलों का पैनल तैयार करने में ऐसे वकीलों की सक्षमता, निष्ठा, योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा।

(5) विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष विभिन्न प्रकार के मामलों जैसे सिविल, दांडिक, संविधनिक विधि, पर्यावरण विधि, श्रमिक विधि, वैवाहिक विवाद आदि के लिए पृथक पैनल रख सकेंगे।

(6) विधिक सेवा संस्था का अध्यक्ष, यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से पैनल वकीलों में से प्रतिधारक के रूप में किए जाने वाले विधि व्यवसायियों की एक सूची तैयार कर सकेगा।

(7) प्रतिधारक वकीलों का चयन कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा नियत अवधि के लिए चक्रानुक्रम आधर पर या कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य पद्धति द्वारा किया जाएगा।

(8) प्रतिधारक वकीलों की संख्या निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी :– (क) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति में 20 (ख) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में 15 (ग) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 10 (घ) तालुक विधिकसेवा समिति में 5।

(9) प्रतिधारक वकीलों को निम्नलिखित मानदेय संदेय होगा :–

(क) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की दशा में 10,000/– रूपए प्रतिमास,
(ख) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की दशा में 7,500/– रूपए प्रतिमास,
(ग) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की दशा में 5,000/– रूपए प्रतिमास,
(घ) तालुक विधिक सेवा समिति की दशा में 3,000/– रूपए प्रतिमास,

परंतु इस उपविनियम में विनिर्दिष्ट मानदेय विधिक सेवा संस्था द्वारा प्रतिधारक वकीलों को सौंपे गए प्रत्येक मामले में संदेय मानदेय या फीस के अतिरिक्त है।

(10) प्रतिधारक के रूप में पदाविहित पैनल वकील अपना समय केवल विधिक सहायता कार्य के लिए लगाएंगे और विधिक सहायता मामलों से संबंधित के लिए क्रमशः विधिक सेवा संस्था के प्रबंध कार्यालय या परामर्श कार्यालय में सदैव उपलब्ध होंगे।

(11) उपविनियम (2) के अधीन तैयार किया पैनल, तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् पुनः गठित किया जाएगा, किंतु किसी पैनल वकील को पहले से ही सौंपे गए मामलों को पैनल के पुनः गठित होने के कारण उससे वापस नहीं लिया जाएगा।

(12) विधिक सेवा संस्था कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम के दौरान प्रतिधारक से कोई मामला वापस लेने के लिए स्वतंत्रा होगी।

(13) यदि कोई पैनल वकील किसी मामले से हटना चाहता है तो वह सदस्य–सचिव या सचिव को कारणों का उल्लेख करेगा और उसके पश्चात् पैनल वकील को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(14) इन विनियमों के अधीन जिस व्यक्ति को विधिक सेवा दी जा रही हो, से पैनल वकील किसी भी रीति में कोई फीस, या पारिश्रमिक या मूल्यवान प्रतिफल नहीं मांगेगा या प्राप्त करेगा।

(15) यदि नियुक्त पैनल वकील संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है या उसने अधिनियम और इन विनियमों के उद्देश्य और भावना के प्रतिकूल कार्य किया है, तो विधिक सेवा संस्था समुचित कदम उठाएगी, जिसके अंतर्गत ऐसे वकील को मामले से हटाना और उसे पैनल से हटाना भी सम्मिलित है।

9. विधिक सलाह, परामर्श, प्रारूपण और हस्तांतर–लेखन के द्वारा विधिक सेवाएं – (1) विधिक सेवा संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष विधिक सलाह और अन्य विधिक सेवाएं जैसे प्रारूपण और हस्तांतर लेखन प्रदान करने के लिए वरिष्ठ वकीलों, विधि फर्मों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों, मध्यस्थों, सुलहकर्ताओं और विधि विश्वविद्यालयों या विधि महाविद्यालयों में विधि प्राध्यापकों का एक पृथक पैनल रखेगा।

(2) विधि सहायता क्लिनिक की सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में और विधि महाविद्यालयों तथा विधि विश्वविद्यालयों के लिए भी प्रयोग में ली जाएगी।

10. **मॉनीटरी समिति** – (1) प्रत्येक विधिक सेवा संस्था न्यायालय आधारित प्रदत्त विधिक सेवाओं और विधिक सहायता मामलों की प्रगति की निकट से मॉनीटरी के मामलों के लिए एक मॉनीटरिंग समिति की स्थापना करेगी।

(2) यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय स्तर पर, मॉनीटरी समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी – (i) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष,
(ii) विधि सेवा संस्था का सदस्य सचिव या सचिव,
(iii) विधिक सेवा संस्था के प्रमुख आश्रयदाता द्वारा नामनिर्दिष्ट एक ज्येष्ठ अधिवक्ता ।

(3) जिला या तालुक विधिक सेवा संस्था के लिए मॉनीटरी समिति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा गठित की जाएगी और जिसमें निम्नलिखित होंगे :–
(i) संबंधित जिला में तैनात उच्च न्यायिक सेवा का ज्येष्ठतम सदस्य, इसका अध्यक्ष होगा,
(ii) विधिक सेवा संस्था का सदस्य–सचिव या सचिव,

(iii) स्थानीय विधिज्ञ संगम के अध्यक्ष से परामर्श करके नामनिर्दिष्ट होने वाला विधि व्यवसायी जिसे स्थानीय विधिज्ञ संगम का पंद्रह वर्ष से अधिक का अनुभव हो,

परंतु यह कि यदि कार्यकारी अध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि इस उप–विनियम में वर्णित किन्हीं प्रवर्गों का कोई व्यक्ति नहीं है तो वह ऐसे अन्य व्यक्तियों से मॉनीटरी समिति का गठन कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

11. **मॉनीटरी समिति के कृत्य–** (1) जब कभी किसी आवेदक को विधिक सेवाएं प्रदत्त की जाती है, तो सदस्य–सचिव या सचिव यथाशीघ्र मॉनीटरी समिति को प्रारूप–2 में ब्यौरे भेजेगा।

(2) विधिक सेवा संस्था विधिक सहायता मामलों की दिन–प्रतिदिन की प्रगति के अभिलेख के रखने के लिये मॉनीटरी समिति को पर्याप्त कर्मचारीवृंद और अवसंरचना उपलब्ध कराएगी।

(3) विधिक सेवा संस्था न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से मामलों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिये न्यायालय द्वारा अनुरक्षित रजिस्टरों का अवलोकन करने के लिये निवेदन कर सकेगी।

(4) मॉनीटरी समिति उन मामलों की बाबत, जिनके लिये विधिक सहायता अनुज्ञात की गई है, की दिन–प्रतिदिन की प्रविष्टियों, मामले की प्रगति और अंतिम परिणाम (सपफलता या असपफलता) का अभिलेख रखने के लिये, विधिकसहायता प्राप्त मामलों के लिये रजिस्टर रखेगी तथा उक्त रजिस्टर की संवीक्षा प्रत्येक मास समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(5) मॉनीटरी समिति ऐसे समय के भीतर जो समिति द्वारा अवधरित किया जाए, पैनल के वकीलों से रिपोर्ट मंगाकर न्यायालय की दिन–प्रतिदिन की कार्यवाहियों पर निगरानी रखेगी।

(6) यदि मामले की प्रगति संतोषप्रद नहीं है तो समिति विधिक सेवा संस्था को समुचित कदम उठाने के लिये सलाह दे सकेगी।

12. **मॉनीटरी समिति द्वारा द्वि–मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना**–

(1) मॉनीटरी समिति प्रत्येक विधिक सहायता प्राप्त मामले की प्रगति और पैनल वकील या प्रतिधारक वकील के कार्य निष्पादन पर उसका स्वतंत्रा मूल्यांकन अंतर्विष्ट करने वाली द्वि–मासिक रिपोर्ट विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

(2) समिति द्वारा रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के पश्चात् विधिक सेवा संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष प्रत्येक मामले में की जाने वाली कार्यवाही विनिश्चित करेगा।

(3) विधिक सेवा संस्था के सदस्य–सचिव या सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह मॉनीटरी समिति की रिपोर्ट विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करे और आदेश प्राप्त करे।

13. **वित्तीय सहायता** – (1) यदि किसी मामले में, जिसके लिये विधिक सहायता अनुदत्त की गई है, अतिरिक्त व्यय जैसे न्यायालय फीस के संदाय, न्यायालय द्वारा नियुक्त कमीशन को संदेय फीस, साक्षियों या दस्तावेजों के समन के लिये, प्रमाणित प्रतियां आदि प्राप्त करने के लिये व्यय की अपेक्षा है तो विधिक सेवा संस्था पैनल के वकील या मॉनीटरी समिति की सलाह पर अपेक्षित रकम के संवितरण के लिये अति आवश्यक उपाय करेगी।

(2) अपील या पुनरीक्षण के मामले में, विधिक सेवा संस्था निर्णय और मामले के अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिये व्ययों का वहन कर सकेगी।

14. **पैनल के वकीलों को फीस का संदाय** – (1) पैनल के वकीलों को राज्य विनियमों के अधीन यथा अनुमोदित, फीस की अनुसूची के अनुसार फीस का संदाय किया जाएगा।

(2) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और अन्य विधिक सेवा संस्था विधिक सहायता के मामलों में पैनल के वकीलों द्वारा दी गई विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिये संदाय किये जाने वाले मानदेय का कालिक रूप से पुनरीक्षण करेंगे।

(3) जैसे ही पैनल के वकील से कार्यवाही के पूर्ण होने की रिपोर्ट प्राप्त होती है, विधिक सेवा संस्था, बिना किसी विलंब के, पैनल के वकील को संदेय फीस और व्ययों का संदाय करेगी।

15. **समुचित मामलों में ज्येष्ठ वकीलों की विशेष नियुक्ति**– (1) यदि मॉनीटरी समिति या विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष की यह राय है कि ज्येष्ठ वकील की सेवा, यद्यपि वह वकीलों के अनुमोदित पैनल में सम्मिलित नहीं है, किसी विशिष्ट मामले में प्रदत्त की जानी है, तो विधिक सेवा संस्था ऐसे ज्येष्ठ वकील को नियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, विधिक सेवा संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष ऐसे ज्येष्ठ वकील के लिए मानदेय का विनिश्चय कर सकेगा, परन्तु ज्येष्ठ वकीलों की विशेष नियुक्ति, केवल व्यापक लोक महत्व के मामलों और अत्यंत गंभीर प्रकृति के, आवेदक के जीवन और स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले मामलों में बचाव के लिए ही की जाएगी।

16. **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विधिक सहायता के मामलों का मूल्यांकन** – (1) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की मानीटरी समिति की द्वि–मासिक रिपोर्टों की प्रतियां केंद्रीय प्राधिकरण को भेजेगी।

(2) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अपनी मानीटरी समितियों की द्वि–मासिक रिपोर्टों की प्रतियां अपने प्रमुख आश्रयदाता को प्रस्तुत करेगी।

(3) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुक विधिक सेवा समिति अपनी मानीटरी समिति की द्वि–मासिक रिपोर्ट की प्रतियां राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेगी।

(4) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मानीटरी समिति की समेकित अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट को, प्रत्येक विधिक सहायता प्राप्त मामले में सफलता या असफलता दर्शित करते हुए केंद्रीय प्राधिकरण को भेजेगा।

(5) समुचित मामलों में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष इन विनियमों के प्रभावी और सफल क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवा संस्था को पर्यवेक्षित करने, मानीटर करने या सलाह देने के लिए अपने केंद्रीय प्राधिकरण के सदस्यों को नामनिर्देशित और प्राधिकृत कर सकेगा।

यू. शरतचन्दन,
सदस्य–सचिव
(विज्ञापन ।।।/4/123/10/असा)

प्रारूप–1

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
(निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010
(विनियम–3 देखें)

विधिक सेवा के लिए आवेदन का प्रारूप
(इसे क्षेत्रीय भाषा में तैयार किया जाए)

रजिस्ट्रीकरण संख्या–

1. नाम :

2. स्थायी पता :

3. टेलीफोन संख्या सहित, संपर्क का पता यदि कोई, ई–मेल, आईडी, यदि कोई हो :

4. क्या आवेदक अधिनियम की धारा 12 में वर्णित व्यक्ति के प्रवर्ग की श्रेणी में आता है :

5. आवेदक की मासिक आय :

6. क्या अधिनियम की धारा–12 के अधीन आय/अर्हता के समर्थन में शपथ पत्रा/सबूत प्रस्तुत किया गया है :

7. विधिक सहायता की प्रकृति या सलाह अपेक्षित है :

8. मामले का संक्षिप्त विवरण, यदि न्यायालय आधारित विधिक सेवाएं अपेक्षित है :

स्थान –

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख –

प्रारूप–2

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
(निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010
(विनियम–11 देखें)

प्रदत्त विधिक सेवा के बारे में मानीटरी समिति को दी गई सूचना

(i) विधिक सेवा संस्था का नाम :

(ii) विधिक सहायता आवेदन संख्यांक और वह तारीख जिसको विधिक सहायता दी गई :

(iii) विधिक सहायता आवेदक का नाम :

(iv) मामले की प्रकृति (सिविल, दांडिक, संवैधनिक विधि आदि) :

(v) आवेदक को समनुदेशित वकील का नाम और अनुक्रमांक :

(vi) उस उच्च न्यायालय का नाम जिसमें मामला फाइल किया जाना है/प्रतिवाद किया जाना है :

(vii) पैनल के वकील को नियुक्त करने की तारीख :

(viii) क्या अग्रिम के तौर पर कोई धनीय सहायता जैसे न्यायालय फीस, अधिवक्ता कमीशन फीस, प्रतिलिपि शुल्क आदि दी गई है :

(ix) क्या मामले में किसी अंतरिम आदेश या कमीशन की नियुक्ति की अपेक्षा है ? :

(x) अभिलेख प्रस्तुत करने, साक्षियों का समन करने आदि के लिए अनुमानित व्यय :

(xi) न्यायालय में कार्यवाही की समाप्ति के लिए अपेक्षित व्यय :

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लिनिक) विनियम, 2011

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त, 2011

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लिनिक) विनियम, 2011

फा.सं.एल./08/11/नालसा–केंद्रीय प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** –

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लिनिक) विनियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** –

(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) ''अधिनियम'' से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) अभिप्रेत है,

(ख) ''जिला अविस केंद्र'' से तेरहवें वित्त आयोग की निधि से स्थापित जिला अनुकल्पित विवाद समाधान केंद्र अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत ऐसी अन्य समान सुविधाएं जैसे जिला स्तर पर न्याय सेवा सदन भी है,

(ग) ''विधिक सहायता क्लिनिक'' से परिक्षेत्र में लोगों को आधारीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की तरह पैरा लीगल वॉलियन्टर या वकीलों की सहायता से ग्रामीणों को आधारीय विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित सुविधाएं अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत विधि महाविद्यालयों और विधि विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जाने वाले विधिक सहायता क्लिनिक भी हैं,

(घ) ''विधिक सेवा संस्था'' से यथास्थिति, कोई राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है।

(ड.) ''पैनल वकील'' से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधि सेवाएं) विनियम, 2010 के विनियम 8 के अधीन चयनित पैनल वकील अभिप्रेत है,

(च) ''पैरा विधिक स्वयंसेवक'' से किसी विधिक सेवा संस्था द्वारा प्रशिक्षित कोई पैरा विधिक स्वयंसेवक अभिप्रेत है,

(छ) ''पक्षीय वकील'' से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधि सेवाएं) विनियम, 2010 के विनियम 8 के अधीन चयनित पक्षीय वकील अभिप्रेत है,

(ज) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) सभी अन्य शब्दों और पदों के जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में हैं।

3. **विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना** – वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सभी ग्रामों में या ऐसे ग्रामों के आकार पर आधारित, विशेषतया जहां लोग विधिक सेवा संस्थानों तक पहुंच के लिए भौगोलिक, सामाजिक या अन्य अवरोध कर सामना करते हैं, अन्य ग्रामों के किसी समूहों के लिए विधिक सहायता क्लिनिकों की स्थापना करेगा।

4. **विधिक सहायता क्लिनिकों में निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए पात्राता मानदंड** –

प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 12 में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है, विधिक सहायता क्लिनिकों से निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने का पात्र होगा।

5. **विधिक सहायता क्लिनिक का प्रबंध कार्मिक** –

(1) विनियम 3 के अधीन स्थापित प्रत्येक विधिक सहायता क्लिनिक में विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्य समय के दौरान कम से कम दो पैरा लीगल वॉलियन्टरउपलब्ध रहेंगे।

(2) क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले विधिक सेवा संस्थान या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सहायता क्लिनिकों में प्रशिक्षित पैरा विधिक स्वयंसेवकों को तैयार कर सकेंगे।

(3) जब विधिक सहायता क्लिनिकों में वकीलों को तैनात किया जाता है, ऐसे क्लिनिकों में लगे हुए पैरा विधिक स्वयंसेवकों का यह कर्तव्य होगा कि वह वकीलों को अर्जी, आवेदन, अभिवचन और अन्य विधिक दस्तावेजों के प्रारूपण में सहायता करें।

(4) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पैरा विधिक स्वयंसेवकों को उनके लंबी अवधि के भविष्य के उत्थान के लिए विधि में डिप्लोमा या डिग्री के लिए प्रोत्साहित कर सकेगा।

6. **विधिक सहायता क्लिनिक में वकीलों की तैनाती** –

(1) क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला निकटतम विधिक सेवा संस्थान, विधिक सेवा क्लिनिक में अपने पैनल वकीलों या पक्षीय वकीलों को तैनात कर सकेगा।

(2) यदि मामले को किसी ऐसे वकील को सौंपा जाता है, जिसमें लंबी अवधि के दौरान उसके अनुर्तन और निरंतर ध्यान देने की अपेक्षा है तो उसी वकील को जिसे मामला सौंपा गया था, विधिक सेवाएं जारी करने के लिए न्यस्त किया जाएगा।

7. **विधिक सहायता क्लिनिक में वकीलों द्वारा मिलने की आवृत्ति** – स्थानीय अपेक्षाओं और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली विधि सेवा संस्था विधिक सहायता क्लिनिकों में वकीलों के मिलने की आवृत्ति विनिश्चत कर सकेगा और यदि निरंतर विधिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए स्थितियों की मांग है तो ऐसी विधिक सेवा संस्था विधिक सहायता क्लिनिकों में वकीलों के बारंबार मिलने की व्यवस्था पर विचार कर सकेंगें।

8. **<u>विधिक सहायता क्लिनिकों के प्रबंध के लिए वकीलों का चयन</u>** –

(1) विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधन के कौशल वाले पैनल वकील या पक्षीय वकील विधिक सहायता क्लिनिक में तैनाती के लिए विचार किए जाएंगे। परंतु कम से कम तीन वर्ष से व्यवसाय करने वाली महिला वकीलों को वरीयता दी जाएगी।

9. **<u>विधिक सहायता क्लिनिक में विधिक सेवाएं</u>** –

(1) विधिक सहायता क्लिनिकों में दी जाने वाली विधिक सेवाएं विस्तृत प्रकृति की होंगी।

(2) विधिक सहायता क्लिनिक असुविधाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता हेतु जब कभी आवश्यक हो, उनकी विधिक समस्याओं का समाधान करने के लिए, एकल खिड़की प्रसुविधा के समान कार्य करेंगी।

(3) विधिक सलाह के साथ–साथ अन्य सेवाएं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (मनरेगा) स्कीम के अधीन रोजगार कार्ड, विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए परिचय पत्र के लिए आवेदन करना जैसी अन्य सेवाएं, सरकारी कार्यालयों और लोक प्राधिकारियों के साथ संपर्क करना, सामान्य व्यक्तियों की सहायता करना जो सरकारी पदधरियों, प्राधिकारियों और अन्य संस्थानों के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए क्लिनिक में आते हैं, विधिक सहायता क्लिनिक में विधिक सेवाओं का भी भाग होगाः परन्तु विधिक सहायता क्लिनिक किसी समस्या पर आरंभिक सलाह द्वारा सलाह देकर, अभ्यावेदन और नोटिसों प्रारूपण में सहायता, विभिन्न सरकारी योजनाओं, लोक वितरण प्रणाली और अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अधीन उपलब्ध विभिन्न अभिलाभों के लिए प्रारूप भरने में सहायता प्रदान करेंगे : परन्तु यह और कि समुचित मामलों में विधिक सहायता क्लिनिक में आवेदक द्वारा विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए और कार्यवाही करने के लिए विधिक सेवा संस्थाओं को प्रतिनिर्देश किया जाएगा।

10. **<u>विधिक सहायता क्लिनिकों में पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के कृत्य–</u>**

(1) विधिक सहायता क्लिनिकों में लगे हुए पैरा विधिक स्वयंसेवकों विधिक सलाह चाहने वाले व्यक्तियों को आरंभिक सलाह ऐसे व्यक्तियों को जो विशेषतया निरक्षर हैं अर्जी, अभ्यावेदन या सूचनाओं के प्रारूपण में, सरकारी स्कीम के अधीन उपलब्ध विभिन्न लाभों के लिए आवेदन प्रारूपों को भरने में सहायता देंगे।

(2) पैरा विधिक स्वयंसेवक, यदि आवश्यक हो, विधिक सहायता चाहने वाले व्यक्तियों के साथ सरकारी कार्यालयों में पदधरियों के साथ संपर्क करने के लिए और ऐसे व्यक्तियों की समस्याओं को हल करने के लिए जाएंगे।

(3) यदि विधिक सहायता क्लिनिक पर किसी वकील की सेवाओं की आवश्यता है तो पैरा लीगल वॉलियन्टर बिना किसी विलंब के निकटतम विधिक सेवा संस्थान से किसी वकील की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संपर्क करेंगे।

(4) आपात दशा में पैरा लीगल वॉलियन्टर विधिक सेवा क्लिनिक में विधिक सेवा चाहने वाले व्यक्ति को निकटतम विधिक सेवा संस्था ले जाएंगे।

(5) पैरा लीगल वॉलियन्टर विधिक सहायता क्लिनिकों में विधिक सेवा चाहने वाले व्यक्तियों को विधिक शिक्षा और साक्षरता की सहायता में पुस्तिका और अन्य सामग्री वितरित करेंगे।

(6) पैरा लीगल वॉलियन्टर विधिक सहायता क्लिनिकों के स्थानीय क्षेत्रों में विधिक सेवा संस्थानों द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता कैंपों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

11. **विधिक सहायता क्लिनिक की अवस्थिति** –

(1) विधिक सहायता क्लिनिक ऐसे स्थानों पर अवस्थित होंगे जहां परिक्षेत्र के व्यक्ति सहजता से पहुंच सकें।

(2) विधिक सेवा संस्था स्थानीय निकाय संस्थाओं जैसे ग्राम पंचायत से अनुरोध कर सकेंगे कि वह विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना के लिए कोई कक्ष उपलब्ध कराएं: परन्तु यदि ऐसा कोई कक्ष उपलब्ध नहीं होता है, तब तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना के लिए अनुकल्पित अवस्थान उपलब्ध होने तक किराए पर कक्ष उपलब्ध कराएगा।

12. **विधिक सहायता क्लिनिक के लिए सुविधाजनक कक्ष प्राप्त करने में स्थानीय निकाय संस्थाओं की सहायता** :–

(1) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ग्राम पंचायत, मंडल या ब्लाक पंचायत, नगरपालिका और निगम आदि जैसी स्थानीय निकाय संस्थाओं से अपेक्षा करेगा कि वे विधिक सहायता क्लिनिक के कार्यकरण के लिए स्थान उपलब्ध कराए।

(2) चूंकि विधिक सहायता क्लिनिक परिक्षेत्र में लोगों की प्रसुविधा के लिए होता है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस आवश्यकता पर जोर दे सकेगा कि स्थानीय निकाय संस्था और प्रशासक विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण में सहयोग करें।

13. **विधिक सहायता क्लिनिक के नाम को प्रदर्शित करने वाला साईन बोर्ड** :–

(1) अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों में, एक साईन बोर्ड होगा, जिसमें विधिक सहायता क्लिनिक के नाम, कार्य घंटे और दिनों, जिनको विधिक सहायता क्लिनिक खुला रहेगा, उल्लेख होगा।

(2) विधिक सहायता क्लिनिक के कार्य, घंटे राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली विधिक सेवा संस्था द्वारा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श से विनियमित किए जाएंगे।

परन्तु परिक्षेत्र में लोगों की स्थानीय शर्तों और अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए, विधिक सहायता क्लिनिक सभी रविवारों और अवकाश के दिनों को कार्य करेंगे।

14. **विधिक सहायता क्लिनिक में अवसंरचना** –

(1) प्रत्येक सहायता क्लिनिक में कम से कम मूलभूत और आवश्यक फर्नीचर जैसे एक पेज और 5 से 6 कुर्सियां होंगी।

(2) यदि विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना किसी स्थानीय निकाय संस्थाओं के भवन में की जाती है तो ऐसे स्थानीय निकायों से अनुरोध किया जाएगा कि वे विधिक सहायता क्लिनिक में उपयोग के लिए आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराएं।

(3) यदि विधिक सहायता क्लिनिक किसी किराए पर लिए गए परिसर में स्थापित किया जाता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सहायता क्लिनिक में अपेक्षित फर्नीचर उपलब्ध करा सकेगा :

परन्तु यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास विधिक सहायता क्लिनिक स्थापित करने के लिए अपना भवन है तो अवसंरचनात्मक सुविधाएं ऐसे प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।

15. **प्रचार** :–

(1) स्थानीय निकाय संस्थाओं से अनुरोध किया जाता है कि वे विधिक सहायता क्लिनिक का पर्याप्त प्रचार करें।

(2) स्थानीय निकाय संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाए कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड में लोगों तक विधिक सहायता क्लिनिक की उपयोगिता के संदेश का प्रसार करें।

16. **विधिक सहायता क्लिनिक में पैरा विधिक स्वयंसेवी या वकील विवादों को सौहार्दपूर्ण रूप से सुलझाने का प्रयास करेंगे** :–

(1) विधिक सहायता क्लिनिक में लगे हुए पैरा विधिक स्वयंसेवी या वकील विधिक सहायता क्लिनिकों में लाए गए व्यक्तियों के पूर्व मुकदमा विवादों का समाधन करने का प्रयास करेंगे।

(2) यदि पैरा विधिक स्वयंसेवी या वकील यह महसूस करते हैं कि ऐसा विवाद अनुकल्पित विवाद समाधन तंत्रों के माध्यम से सुलझाया जा सकता है तो वे ऐसे विवादों को राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली विधिक सेवा संस्था या जिला अनुकल्पित विवाद समाधान केंद्र को निर्दिष्ट कर सकेंगे।

17. **विधिक सहायता क्लिनिकों में सेवाएं प्रदान करने वाले वकीलों और पैरा विधिक स्वयंसेवियों के मानदेय** :–

(1) उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अधीन रहते हुए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श से विधिक सहायता क्लिनिक में लगे हुए वकीलों और पैरा विधिक स्वयंसेवियों का मानदेय नियत कर सकेगा : परन्तु ऐसा मानदेय वकीलों के लिए कम से कम 500/– रूपए प्रतिदिन और पैरा विधिक स्वयंसेवियों के लिए 250/– रूपए प्रतिदिन होगा।

(2) उन मामलों में जहां विधिक सहायता क्लिनिक उन कठिन भू–भागों में और सुदूर स्थानों में जहां परिवहन सुविधाएं अपर्याप्त हैं, स्थित हैं, वहां विशेष महत्व दिया जाएगा।

18. **निकटतम विधिक सेवा संस्थानों द्वारा विधिक सहायता क्लिनिकों में या अपने परिसरों के निकट लोक अदालतें आयोजित करना** :–

(1) राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली निकटतम विधिक सेवा संस्था या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सहायता क्लिनिक में या उसके आसपास के क्षेत्र में पूर्व मुकदमा विवादों के लिए अदालतें आयोजित कर सकेगा।

(2) विधिक सहायता क्लिनिक से भेजे गए विवादों के पूर्व मुकदमा निपटारे के लिए आयोजित लोक अदालतें धारा 20 की उपधारा (2) में विहित प्रक्रिया और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के उपबंध का भी अनुसरण करेंगे।

19. **विधिक सहायता क्लिनिक का प्रशासनिक नियंत्रण** –

(1) विधिक सहायता क्लिनिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे।

(2) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण के संबंध में निदेश या मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने की शक्ति प्राप्त होगी।

20. **अभिलेखों और रजिस्टरों का रखरखाव** –

(1) विधिक सहायता क्लिनिक में सेवा प्रदान करने वाले वकील और पैरा विधिक स्वयंसेवी विधिक सहायता क्लिनिक में रखे गए रजिस्टर में अपनी उपस्थिति अभिलिखित करेंगे।

(2) विधिक सेवाओं की मांग करने वाले व्यक्तियों के नाम और पता, ऐसे वकील या पैरा विधिक स्वयंसेवी का नाम जो विधिक सहायता क्लिनिक सेवाएं प्रदान करता है, प्रदान की गई सेवा की प्रकृति वकील या पैरा विधिक स्वयंसेवी की टिप्पणियां और विधिक सेवाओं की मांग करने वाले हस्ताक्षर को अभिलिखित करने के लिए प्रत्येक विधिक सहायता क्लिनिक में एक रजिस्टर होगा।

(3) विधिक सहायता क्लिनिकों के अभिलेख विधिक सहायता सेवा के अध्यक्ष या सचिव के अधीन होंगे, जिनकी उसके ऊपर राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है।

(4) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सहायता क्लिनिक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे अन्य रजिस्टर, जिनकी अपेक्षा की जाए, भी रखें।

(5) विधिक सहायता क्लिनिक में पैरा विधिक स्वयंसेवियों और वकीलों का यह कर्तव्य होगा कि वे जब कभी अपेक्षा की जाए राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली विधिक सेवा संस्था को रजिस्टर सौंपे।

21. **चल लोक अदालत यान का उपयोग –**

(1) विधिक सहायता क्लिनिक में विधिक सेवा प्रदान करने वाले वकील या पैरा विधिक स्वयंसेवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुरोध कर सकेंगे कि वे उनके द्वारा पहचान किए गए विवादों के निपटारे के लिए विधिक सहायता क्लिनिक लोक अदालत न्यायपीठ के सदस्यों सहित चल लोक अदालत वेन भेजें। लोक अदालत की प्रक्रियाओं को आयोजित करने हेतु सुविधओं से युक्त मोबाईल लोक अदालत वेन का प्रयोग विधिक सहायता क्लिनिक या उसके पास या गांवों में मेला एवं अन्य त्यौहारिक अवसरों पर लोक अदालत आयोजित करने हेतु प्रयोग की जा सकती है।

22. **विधि छात्रों द्वारा लीगल एण्ड क्लीनिक (विधिक सहायता क्लीनिक) का संचालन** :– उपरोक्त विनियम विधि महाविद्यालयों और विधि विश्व विद्यालयों द्वारा स्थापित लीगल एण्ड क्लीनिक्स के छात्रों को यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

परन्तु यह कि उपरोक्त विनियम अंतर्गत स्थापित लीगल एड क्लीनिक विधि महाविद्यालयों और विधि विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुज्ञा से उपयोग किया जा सकता है।

23. **विधिक सहायता शिविरों हेतु विधि के छात्रा किसी ग्राम को चुन/अपना सकते हैं :–**

(1) विधि महाविद्यालयों या विधि विश्वविद्यालयों के विधि छात्रागण एक ग्राम को एडाप्ट कर सकते हैं, विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में और उपरोक्त विनियम के अंतर्गत स्थापित विधिक सहायता क्लीनिक के सहयोग से विधिक सहायता शिविरों का आयोजन कर सकते हैं ।

(2) विधि छात्रा, पैरालीगल वालेन्टियर जो लीगल एड क्लीनिक से सम्बद्ध है, के सहयोग से स्थानीय लोगों की विधिक समस्याओं को चिन्हित करने हेतु सर्वे आयोजित कर सकते हैं।

(3) उपविनियम 2 में संदर्भित सर्वे में ऐसी सूचनाएं संकलित की जा सकती है, जो वर्तमान वादों से संबंधित है और न्यायालय में वाद दायर करने के पूर्व के असंकल्पित विवादों से भी संबंध्ति है।

(4) उपविनियम 2 में संदर्भित सर्वे द्वारा स्थानीय लोगों की समस्याओं पर ध्यान डाला जा सकता है जिसके द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की धारा 4 (डी) द्वारा प्रदत्त सामाजिक न्याय याचिकाओं के माध्यम से आवश्यक कदम उठाने में सक्षम होगा।

(5) ऐसे सर्वेक्षण आयोजित करने वाले विधिक छात्र अपने प्रतिवेदन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेंगे और प्रतियां क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली संस्था को साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी प्रेषित करेंगे।

24. **विधि महाविद्यालयों, विधि विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं से संबद्ध विधिक सहायता क्लीनिक्स –**

(1) विधि महाविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाएं लीगल एड क्लीनिक की स्थापना क्लीनिकल विधिक शिक्षा के भाग के रूप में धारा 4 के खण्ड (के) में परिकल्पित अनुसार स्थापित कर सकते हैं ।

(2) ऐसी विधिक सहायता क्लीनिक को स्थापित करने वाले विधि महाविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय व अन्य संस्थाएं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को ऐसी स्थापना के संबंध में सूचित करेंगे।

(3) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जैसी विधिक सहायता क्लीनिक के संचालन हेतु आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे और ऐसी विधिक सहायता क्लीनिक के कार्यकलापों को आगे बढ़ने हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे।

(4) अंतिम वर्ष की कक्षाओं के छात्रा अपनी संस्था के संकाय सदस्य के पर्यवेक्षण के अधीन ऐसे विधिक सहायता क्लिनिकों में विधिक सहायता प्रदान कर सकेंगे।

(5) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उन लोगों की जो ऐसे विधिक सहायता क्लिनिकों में विधिक सहायता की मांग करते हैं, जिनकी समस्या का समाधान करने के लिए अनुकल्पित विवाद समाधान शिविर जिनके अंतर्गत लोक अदालतें भी हैं, आयोजित कर सकेंगी।

(6) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे छात्रों को प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा, जो ऐसे विधिक सहायता क्लिनिकों में अपने समनुदेषन को पूरा करते हैं।

25. **विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित पैरा विधिक स्वयंसेवियों की सेवाएं विधि महाविद्यालयों, विधि विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित विधिक सहायता क्लिनिकों में उपलब्ध कराई जाएं** –

प्रशिक्षित पैरा विधिक स्वयंसेवी निःशुल्क विधिकसेवाओं की मांग करने वाले व्यक्तियों की सहायता करने वाले और संकाय के सदस्यों और छात्रों के साथ अन्योनक्रिया करने के लिए नियम 24 के अधीन स्थापित विधिक सहायता क्लिनिकों में तैनात किए जाएं।

26. **राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण के आवधिक पुनर्विलोकन संचालित करना –**

(1) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, विधि महाविद्यालयों, विधि विश्वविद्यालयों, से उनकी अधिकारिता में कार्यरत विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण पर मासिक रिपोर्ट एकत्रित करेगा।

(2) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तीन मास में कम से कम एक बार या अधिक बारंबार ऐसे विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण का आवधिक पुनर्विलोकन संचालित करेगा ।

(3) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सहायता क्लिनिकों में सेवाओं का सुधार करने के लिए समय–समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी कर सकेगा कि समाज के कमजोर वर्गों के सदस्यों को दक्ष रीति में विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है।

(4) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी अधिकारिता के भीतर विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण के बारे में त्रिमासिक रिपोर्ट राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेगा।

यू. शरतचंदन,
सदस्य सचिव

National Legal Services Authority (Legal Services Clinics in Universities, Law Colleges and other Institutions) Scheme, 2013

Background

Section 4(k) of the Legal Services Authorities, Act, 1987 mandates the National Legal Services Authority to develop, in consultation with the Bar Council of India, programmes for clinical legal education and promote guidance and supervise the establishment and working of legal services clinics in universities, law colleges and other institutions.

The National Legal Services Authority has already notified the National Legal Services Authority (Legal Aid Clinics) Regulations, 2011 with the object of setting up of legal aid clinics in villages or for a cluster of villages, similar to the primary health centres set-up in the rural areas for the benefit of the rural population. These Regulations are applicable *mutatis mutandis* to student legal aid clinics. Regulations 22 to 26 of the National Legal Services Authority (Legal Aid Clinics) Regulations, 2011 pertain to the legal services clinics in the law colleges and universities.

The legal services clinics envisaged in Section 4(k) of the Legal Services Authorities Act, 1987 aims at two objects. One is to improve the clinical legal skills of the students and the second is to inculate an attitude amongst the students to provide effective legal services to the poor and marginalized people.

It need to be mentioned that the Bar Council of India, being acutely aware of the need to provide practical experience of legal practice to the Final year students of law, has provided in Clause 11 of the Schedule III to its Rules on Standards of Legal Education and Recognition of Degrees in Law for the purpose of enrolment as advocates and inspection of Universities for recognizing its degrees in law, that each institution shall establish a Legal Aid Clinic to be run by the students under the supervision of a Senior Faculty Member in co-operation with the legal services Authorities.

Thus, the Legal Services Clinics scheme under Section 4(k) of the Legal Services Authorities Act, 1987 needs to be framed adopting holistic approach providing a collaborative programme by involving Statutory bodies under the Legal Services Authorities Act 1987 and Advocates Act 1961 and extending support to universities, law service clinics.

It is in this background, scheme has been drawn up:-

1. This Scheme may be called the National Legal Services Authority (Legal Services Clinics in Universities, Law Colleges and other Institutions) Scheme, 2013.
2. The objectives of the scheme are:
    a. To set up nationwide collegiate Legal Services Clinics to familiarize law students of the country to the problems faced by the masses ignorant about their rights and remedies under the law.

b. To attain the ideals of "Social Economics and Political" justice as enshrined in the Constitution in the backdrop of poverty and inequality, by reaching out to the marginalized and the vulnerable communities through the collegiate Legal Services Clinics.
c. To spread legal awareness among students and people at large through aware camp, seminars, debates, legal counseling, poster making and street plays.
d. To expose students to community services.
e. To introduce the students to socio-economic impediments to access to justice.
f. To provide the students a plat-form for the empowerment of socially and economically backward groups or individuals.

3. (a) Every university, law college or other institution shall set up one or more Legal Services Clinics in their respective Institution.
   (b) Depending on the needs of the people of any particular locality, the head of the institutions may set up off campus Legal Services Clinics on or temporary basis.
   (C) Adequate publicity of the existence of the Legal Services Clinic and its location and working hours shall be given by the respective Institution.

4. (a) Every Legal Services Clinics shall have at least one furnished room within the institution facilitating client counseling.
   (b) The Legal Services Clinic shall have a work station for the students in the Legal Services Clinics, installed with computer with internet and printer to facilitate research, preparation of cases, presentation, publication of legal aid literature, etc.
   (c) There shall be a class room adjoining to the workstation where the faculty members of the Legal Services Clinic may address the students, guide then or give them instructions and clear their doubts.
   (d) Endeavour should be made to provide a people friendly environment at the Legal Services Clinic.

5. (a) Each Legal Services Clinic shall have one or more Faculty member who possesses special skills and interest in clinical legal education 1o guide and supervise the students.
   (b) Each Legal Services Clinic shall also have one or more part time Guest Faculty member drawn from experienced lawyers including those on the panel of the Legal Services Institutions and retired judicial officers and functionaries of the Legal Services Institutions.
   (c) The honorarium payable to the Guest Faculty shall be as determined by the SLSAs and shall be payable by the District Legal Services Authorities concerned.

6. (a) Apart from the activities to be decided by the State Authorities, the activities of the Legal Services Clinic shall include:-
      i. Client counseling and follow up assistance to special reference to marginalized communities.

ii. Arranging workshops for various functionaries of the legal system such as lawyers, students, NGOs and government agencies.
iii. Carrying out field surveys
iv. Organising street plays and poster exhibitions on socio-legal issues
v. Adopting village or villages or slum areas for legal services activities.
vi. Guiding parties to the local Legal Services Institution for litigation-related legal assistance at the Court or at the ADR Centre.

(b) The students may take the help of or extend help to para-legal volunteers selected by the State/District Legal Services Authority in carrying out any of the activities under sub clause (a).

(c) The District Legal Services Authority shall make available the services of para legal volunteers in the Legal Services Clinics.

(d) The District Services Authority shall also assign a Panel/Retainer Lawyer to attend the Legal Services Clinics at such frequency as may be found appropriate.

(e) The travel and incidental expenditure shall be met from the funds given by the District Legal Services Authority.

(f) The students shall always be conscious that they are only to provide the initial advice and assistance as provided for under the National Legal Services Authority (Legal Services Clinics) Regulations, 2011.

(g) The Chairperson and/or the Secretary of the District Legal Services Authority must visit at least one Legal Services Clinic in the District in a month in order to monitor the work being done.

7. If in the course of their activities at the Legal Services Clinics as provided under clause 6 of this scheme, students identify issues that affect large groups of people, they may file Social Justice Litigation in the name of their Legal Services Clinic with the approval of the concerned Legal Services Institutions.

8. (a) Every University, Law College or other institution shall provide in their annual budget for a specific sum of money as a grant to the Legal Services Clinic which may include any grant given to the Law College or institution by the UGC or by the University to which it is affiliated for the purposes of legal aid activities.

(b) The District Legal Services Authority shall also regularly provide such monthly sums not more than Rs. 10000 /- , and as may be fixed by the State Legal Services Authority, for the running of the Legal Services Clinic.

(c) The Legal Services Clinic may receive donations from individuals or from other bodies. Such donations shall be received only by the Law Colleges or other institutions for which receipts shall be issued. The donations so received can be used not only for meeting the expenses of running the Legal Services Clinic but also for its infrastructural development.

(d) The Head of the college/university or other institutions where the Legal Services Clinic is functioning shall furnish an utilisation certificate signed by him at the end of every financial year for the funds received from the District Legal Services Authority.

(e) The Head of the university, college or other institution shall maintain proper and audited accounts of the funds received and spent in respect of the Legal Services Clinic.

(f) The District Legal Services Authority shall have the powers to inspect the accounts of the collegiate Legal Services Clinic functioning in the colleges, universities and other institution.

9. Every Legal Services Clinic shall maintain records, of including the attendance of students, as required under Regulation 20 of the National Legal Services Authority (Legal Services Clinic) Regulations, 2011.

10. The District Legal Services Authority may provide staff and infrastructural support as may be feasible including computers and the stationery required by the Legal Services Clinic for its day to day functioning.

11. The District Legal Services Authority shall send half yearly reports on the functioning of the Legal Services Clinics under its jurisdiction to the State Legal Services Authority.

12. The State Legal Services Authority shall conduct a half–yearly review of activities in the Legal Services Clinics in the law colleges and universities and other institutions by inviting the Heads of the institutions, or his/her representatives and a representative of the students from each clinic. At these Meets, good work done may be appreciated and commendation certificates given to the best Legal Services Clinic.

13. The State Legal Services Authority shall furnish the details of the working of the Legal Services Clinics in the prescribed format to the National Legal Services Authority on Yearly basis.

नालसा व रालसा
की
योजनाएं

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ित) योजना, 2015

तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं : व्यावसायिक यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी करना एक संगठित अपराध है और हथियारों तथा नशीले पदार्थों के बाद सर्वाधिक लाभप्रद व्यापार या व्यवसाय माना जाता है।

अधिकांशतः मासूम महिलाएं और बच्चे, यहां तक कि नौ साल तक के, उनके परिचितों द्वारा, जिनमें उनके परिवार भी शामिल है, इस धंधे में धकेल दिए जाते हैं। एक बार इस व्यापार में आ जाने के बाद, पीड़ित के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता और उसे हिंसा, दुरूपयोग और शोषण के माहौल में जीना पड़ता है।

उद्देश्य : इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य तस्करी और यौन शोषण के विरूद्ध विधिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना अपनी व्यापक परिधि में बच्चों, किशोरियों और हर उम्र की महिलाओं को शामिल करती है। इस योजना की मंशा तस्करी के पीड़ितों और स्वैच्छिक यौन–कर्मियों की मुक्ति एवं पुनर्वास सुनिश्चित करते हुए इन व्यक्तियों को यौन शोषण से बचाने के लिए एक कार्य योजना बनाना है।

कार्य योजना : यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार के सभी कानूनों, नीतियों और योजनाओं के लाभ शोषित व्यक्तियों तक पहुँचे और बुनियादी स्तर पर रोकथाम और पुनर्वास के प्रभावी उपाय किए जाएं, राज्य सरकार/गैर–सरकारी एजेंसियों और संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना। विधिक सेवा प्राधिकरण असहाय समूहों को, अपने हकों की मांग करने और प्राप्त करने के मद्देनजर, उन्हें जागरूक बनाएंगे। प्राधिकरण सभी पणधरियों, जिनमें कानून लागू करने और उन्हें न्याय देने वाला तंत्र शामिल हैं, के क्षमता–निर्माण हेतु कार्य करेंगे ताकि तस्करी और यौन–शोषण की पीड़ित महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी ढग से कार्रवाई की जा सके।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (असंगठित क्षेत्र के कामगारों को विधिक सेवाएं) योजना, 2015

असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए विधिक सेवाएं : भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण (2007 –08) और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (2009–2010) के अनुसार, असंगठित क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करता है और भारत के कार्यबल का लगभग 95 प्रतिशत रोजगार प्रदान करता है। असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय करने के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 पारित किया गया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की संशोधित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को विधिक सेवा योजना, 2015 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और तालुका विधिक सेवा समितियों को यह दायित्व सौंपती है कि वे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कानून के तहत उनके अधिकारों के बारे में जागरूक बनाएं और इस अधिनियम के तहत विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत और राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने में उनकी सहायता करें।

उद्देश्य और कार्य योजना : इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनके लाभार्थ बनाए गए कानूनों और योजनाओं के अंतर्गत उनके हकों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, इस योजना में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए अनिवार्य विधिक सेवाओं को एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना करके संस्थागत बनाना है। यह विशेष प्रकोष्ठ असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बीच मौजूदा कानूनों एवं योजनाओं के तहत उनकी पात्राताओं के बारे में जानकारी देगा और कामगारों को कल्याण कानूनों के अंतर्गत पंजीकरण करवाने तथा उनके लाभार्थ बनाई गई योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता करेगा। यह योजना असंगठित क्षेत्र में नियोजित वंचित एवं असहाय कामगारों के लिए न्याय को सुलभ बनाएगी।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (बच्चों के लिए बाल–सुलभ विधिक सेवाएं और उनका संरक्षण) योजना, 2015

बच्चों के लिए विधिक सेवाएं : भारत की जनसंख्या का लगभग 46 प्रतिशत बच्चे हैं। नाजुक उम्र और जीवन के फेरो से अनुभवहीन होने के कारण वे सर्वाधिक चपेट में आने वाले समूह हैं। इस कारण से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में बच्चों को निःशुल्क विधिक सेवाओं के पात्र व्यक्तियों के रूप में सूचीबद्ध किया है। बच्चों के साथ, यहां तक कि उनके मामले में कानून के साथ विवाद की स्थिति होने पर भी, अलग प्रकार का व्यवहार किया जाना होता है। बाल विवाह, बाल श्रम और उनके विरूद्ध अन्य अत्याचार जैसी सामाजिक सामाजिक बुराइयां अब भी मौजूद हैं। जब तक कि न्याय प्रदाताओं तक बच्चों की पहुँच नहीं हो जाती, बच्चों की न्याय संबंधी जरूरतें उपेक्षित और अधूरी रहेगी।

उद्देश्य : बच्चों के लिए बाल–सुलभ विधिक सेवाएं और उनका संरक्षण योजना, 2015 के माध्यम से, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने बच्चों की न्याय तक पहुँच में सुधार करने का लक्ष्य बनाया है। इस योजना का मुख्य प्रयोजन बच्चों के पक्ष में मौजूद कानूनों और नीतियों के उचित कार्यान्वयन को सुसाध्य बनाना और कानूनों के साथ विवाद की स्थिति में आने वाले और देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को प्रभावी विधिक सहायता सुनिश्चित करना है।

कार्य योजना : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार बनाया गया है। बाल सुलभ न्याय को सुनिश्चित करने के लिए उनके संरक्षण हेतु अधिनियमित कानून के तहत बच्चों के संपर्क में आने वाले सभी कार्यकर्ताओं को विधिक प्रशिक्षण और प्रबोधन प्रदान किया जाना है। सभी किशोर न्याय बोर्डों और बाल कल्याण समितियों में विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित किए जाने हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रशिक्षित एवं प्रतिबद्ध वकीलों का अलग से एक पैनल बनाना है। सभी स्कूलों में विधिक सेवा क्लब स्थापित किए जाने हैं। अंत में, इस योजना के तहत, बच्चों के अधिकारों के संबंध में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं निःशक्त व्यक्ति) योजना, 2015

उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को कलंकित न समझा जाए और वे कानून द्वारा उनकी पात्रता और आश्वस्ति के सभी अधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम हो। जहां तक मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों का संबंध है, उन्हें निःशक्तजन (समान अवसर, अध्किारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (पीडब्ल्यूडी एक्ट) की धारा 2 के तहत निःशक्तजन के रूप में माना जाएगा। इस योजना के तहत, विधिक सेवा प्राधिकरणों से यह अपेक्षा की जाती है कि मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्ति भी इस अधिनियम के तहत लाभों को प्राप्त करें और ऐसा करने के लिए यथा अपेक्षित उपचारी कार्रवाई की जाए।

विधिक सेवा प्राधिकरणों की भूमिका : इस योजना के तहत, विधिक सेवा प्राधिकरणों को मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों द्वारा पूर्ण और समान मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं का संवर्धन, संरक्षण और सुनिश्चय करना होगा। विधिक सेवा प्राधिकरण मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के अंतर्निहित प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता सहित व्यक्तिगत स्वायत्तता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देंगे। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को सुविधा–केंद्र के भीतर ही उनके अधिकारों के प्रवर्तन संबंधी सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों को मानसिक स्वास्थ्य सुविधा–केंद्रों और मनश्चिकित्सा

गृहों में विधिक सेवा क्लिनिक खोलने की जरूरत है। विधिक सेवा क्लिनिकों को भर्ती होकर उपचार करा रहे मानसिक रूप से अस्वस्थ मरीजों के साथ बात करनी होगी ताकि वे यह समझ सकें कि कोई संपत्ति और भरण–पोषण संबंधी मुद्दे तो नहीं हैं और उचित राहत के लिए कोर्ट में जा सकें। विधिक सेवा प्राधिकरणों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य अथवा जिले में मानसिक स्वास्थ्य सुविधा–केंद्रों का निरीक्षण करें कि भर्ती लोगों के लिए रहने की दशाएं सुरक्षित और रहने योग्य हों और कोई भी इलाज करा चुका मरीज सुविधा–केंद्र में रहे।

कार्य योजना : इस योजना के तहत, विधिक सेवा प्राधिकरण मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करने हेतु गैर–सरकारी संगठनों और अन्य स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। वे चिकित्सकों, पुलिस अधिकारियों, वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय करके संवेदीकरण कार्यक्रम तैयार करें। रोगियों और चिकित्सकों के साथ सतत रूप से बात करते रहने के लिए सभी मानसिक स्वास्थ्य सुविधा–केंद्रों में विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे ताकि रोगी सम्मान के साथ ठहर सकें और उपचार करा सकें तथा आवश्यकता होने पर वे कोर्ट में उपस्थित हो सकें।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की योजनाए) योजना, 2015

पृष्ठभूमि : गरीबी एक बहु–आयामी अनुभव है जिसमें स्वास्थ्य, आवास, पोषण, रोजगार, मातृत्व देखभाल, बाल मृत्यु, जल, शिक्षा, सफाई और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच शामिल हैं। सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव के मुद्दे भी हैं। धन के मामले में आय इसके लिए एकमात्र जिम्मेदार कारक नहीं है। विभिन्न असहाय और वंचित वर्ग असंख्य और निराले तरीकों के गरीबी के अनुभवों से गुजरते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों के आशयित लाभार्थी शिक्षा के अभाव, सामाजिक संरचनाओं, आर्थिक वंचन, शोषण, सांस्कृतिक मानदंडों एवं विभेदों आदि के कारण उनके लाभों को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं।

योजना के उद्देश्य : इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सभी स्तरों पर विधिक सहायता एवं समर्थन को सुदृढ़ कर सरकार की गरीबी उन्मूलन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के तहत बुनियादी अधिकारों एवं लाभों तक पहुँच को सुनिश्चित करना है।

कार्य योजना : इस योजना में गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक सरक्षा उपायों की पहचान करने तथा विधिक सेवा क्लिनिकों, जागरूकता कार्यक्रमों, पैनल वकीलों, पैरा लीगल वॉलंटियरों और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार के जरिये उन तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कार्यतंत्र निर्धरित किया गया है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (जनजातीय अधिकारों का संरक्षण एवं प्रवर्तन) योजना, 2015

जन जातियों के लिए विधिक सेवाएं : 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियां भारत की जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत है। भारत में जनजातीय जनसंख्या अपने परंपरागत रीति–रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार चलती है। वे अत्यधिक असहाय हैं क्योंकि वे अभी तक मुख्यधारा की संस्कृति में शामिल नहीं हुए हैं जबकि विकास की जरूरत और दबाव में उनकी बस्तियां लुप्त हो गई हैं और उनके अधिकारों का हनन हो गया है। हर बार जब किसी वन क्षेत्र को किसी विकास कार्यकलाप के लिए खाली किया गया, उन्हें वहां से हटाया गया, परंतु किसी अन्य सांस्कृतिक माहौल में उनके लिए समायोजित हो पाना अत्यधिक कठिन होता है।

जनजातियों के लिए बनाई गई विभिन्न सरकारी योजनाओं, जो उन तक नहीं पहुँच रही हैं, और उनके बीच भी सदैव एक गहरी खाई होती है। कई बार, जनजातियों का कानून के साथ विवाद होता है और वे बुरी तरह प्रभावित होते हैं क्योंकि न तो औपचारित न्याय व्यवस्था उन्हें समझती है और न ही वे न्याय व्यवस्था को समझते हैं।

उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य भारत में जनजातीय लोगों को न्याय दिलाना सुनिश्चित करना है जिसमें अधिकारों, लाभों, कानूनी सहायता और अन्य विधिकसेवाएं शामिल हैं, ताकि वे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय के संवैधनिक आश्वासन का सार्थक रूप से अनुभव कर सकें।

विधिक सेवा प्राधिकरणों की भूमिका और कार्य योजना : अनुसूचित जनजातियों का सदस्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत विधिक सहायता के हकदार हैं। विधिक सेवा प्राधिकरणों को जनजातियों तक पहुँचने की आवश्यकता है ताकि वे न्याय के समान अवसर प्राप्त कर सकें। इस योजना में उन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है जिनमें विधिक सेवा प्राधिकरण जनजातियों के लिए मददगार हो सकते हैं जैसे, उनके लिए शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। विधिक सेवा प्राधिकरणों को पैरा–लीगल वॉलंटियरों के माध्यम से उनकी भाषा बोलते हुए सक्रिय रूप से जनजातियों तक पहुँचना होगा। इससे जनजातियों को परेशान करने वाले मुद्दों और विधिक सेवाओं द्वारा अनिवार्यतः प्रदान किए जाने वाले उपचारों के स्वरूप को समझने में बेहतर मदद मिलेगी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विधिक सेवा प्राधिकरणों को जनजातियों के बीच उन्हें संविधान द्वारा आश्वस्त विभिन्न अधिकारों, विभिन्न कानूनों के तहत उनके लिए उपलब्ध अधिकारों, उनके अधिकारों के हनन के मामले में उनके लिए उपलब्ध राहतों, जब कभी ऐसे हनन हों तब विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जा सकने वाली सहायता और अंत में उनके लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं एवं उन्हें प्राप्त करने के तरीके के बारे में जागरूकता फैलानी होगी।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नशे के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं एवं नशे के कलंक का निवारण) योजना, 2015

पृष्ठभूमि : नशीले पदार्थों की तस्करी आज दुनिया में सर्वाधिक भयंकर अपराधों में से एक है। गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच अपनी अवस्थिति के कारण भारत नशीले पदार्थों की तस्करी की चपेट में आने की उच्च संभावना वाला देश है। इसके प्रभाव कष्टकारक हैं। कहा जाता है कि लगभग 7 करोड़ लोग नशीले पदार्थों के सेवन में लिप्त हैं। उनमें से 17 प्रतिशत इसके आदी हैं। नशीले पदार्थों का पहली बार सेवन करने की आयु 9 साल तक आ गई है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं मनोविज्ञान, समाज की मजबूती और देश की अर्थव्यवस्था पर भयानक प्रभाव पड़ते हैं।

उद्देश्य : इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं नशीले पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों और पीड़ितों के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधनों, सरकारी योजनाओं, नीतियों आदि के संबंध में सभी पणधरियों के बीच जागरूकता फैलाना, सरकारी/गैर–सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर तस्करी को रोकने और प्रभावी नशा–मुक्ति एवं पुनर्वास सुविधएं प्रदान करना।

कार्य योजना : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने प्रत्येक जिले में विशेष इकाइयां स्थापित की हैं जिनमें जिला सचिव नोडल अधिकारी हैं और जो पीड़ितों के नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने और पुनर्वास के लिए सभी मौजूदा नीतियों, योजनाओं आदि का एक डाटाबेस बनाएंगे और उसे स्थानीय निकायों, शैक्षिक संस्थाओं, बेघर बच्चों, जेलों, यौन कर्मियों, कैमिस्टों, खेती करने वालों, नशे के पीड़ितों और उनके परिवारों आदि जैसे सभी

पणधरियों को उपलब्ध करायेंगे। वे यह सुनिश्चित करने के लिए नशा–मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों के साथ भी समन्वय स्थापित करेंगे कि नशे के पीड़ितों के साथ उचित और सम्मानजनक बर्ताव किया जाए। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नशे के सेवन के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों के बारे में आम जनता और विशेष रूप से छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करेंगे।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवाओं की योजना

आपदा के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं : आपदा चाहे प्राकृतिक हो या मानव–जनित, प्रायः पीड़ितों को अचानक चपेट में लेती हैं और वे जान–माल, घर और सम्पत्ति के नुकसान की त्रासद स्थितियां झेलते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों आपदा को कम करने के उपाय करते हैं परंतु कई बार विभिन्न कारणों से इनके लाभ पीड़ितों तक नहीं पहुँच पाते। आपदा के पीड़ित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12(ई) के तहत निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने के हकदार हैं।

योजना के उद्देश्य : इस योजना का मुख्य उद्देश्य संकट की अवधियों को कम करने, शीघ्र सुधार और विकास हेतु प्रावधान करने एवं विधिक प्रावधनों और सरकार द्वारा घोषित योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने में उन्हें निःशुल्क विधिक सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी एवं गैर–सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना है।

कार्य योजना : इस योजना में सभी जिलों में एक कोर ग्रुप की स्थापना की परिकल्पना की गई है जिसमें एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, एक युवा वकील, चिकित्सा कार्मिक और गैर–सरकारी संगठन शामिल होंगे जो जब भी और जहां भी कोई प्राकृतिक अथवा मानव–जनित आपदा आती है तब तुरंत कार्रवाई करेंगे। कोर ग्रुप राहत सामग्रियों के वितरण, अस्थायी शरण स्थलियों एवं पुनर्वास उपायों के पर्यवेक्षण हेतु आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ–साथ अलग–अलग सरकारी विभागों एवं गैर–सरकारी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। विधिक सेवा प्राधिकरण बीमा दावों, बैंक ऋण आदि को प्राप्त करने हेतु, गुम हुए दस्तावेजों को पुनः बनवाने में पीड़ितों की सहायता करेंगे।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016

वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं : राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति, 2011 के अनुसार, भारत की जनसंख्या के लगभग 8 प्रतिशत लोग, जो संख्या में लगभग 104 मिलियन हैं, 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। यह विश्व के वरिष्ठ नागरिकों की कुल जनसंख्या का 1/8वां हिस्सा है। वे असंख्य सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। संयुक्त परिवार व्यवस्था के विघटन के कारण यह समस्या और अधिक गंभीर हो गई है। समाज के कमाने वाले सदस्यों के प्रवास कर जाने के साथ ही बुजुर्ग लोग अपने खुद के भरोसे रहे जाते हैं। बुजुर्गों के सतत उत्पीड़न, अर्थात् परिवार के सदस्यों और समाज के सदस्यों द्वारा शारीरिक, भावनात्मक अथवा मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाने, का भी प्रमाण मौजूद है।

योजना के उद्देश्य : मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर विधिक सहायता, सलाह, परामर्श को सुदृढ़ करना, उन्हें विभिन्न विधिक प्रावधानों के लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना, उनके लिए सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों तक पहुँच सुनिश्चित करना और पुलिस, स्वास्थ्य देखभाल प्राधिकरणों एवं जिला

प्रशासन आदि के साथ सहयोग करके तुरंत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं एवं शारीरिक एवं सामाजिक सुरक्षा उपाय करने के लिए तरीके खोजना है।

कार्य योजना : इस योजना में विधिक सेवा क्लिनिकों और पैरा लीगल वॉलंटियरों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों तक पहुँच बनाने की परिकल्पना की गई है जो समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों एवं पुलिस, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य देखभाल कार्मिक एवं अन्य प्राधिकरणों के साथ–साथ विधिक सेवा संस्थाओं के बीच इंटरपफेस के रूप में कार्य करेंगे। विधिक सेवा संस्थाएं वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकारों की सभी मौजूदा योजनाओं, नीतियों आदि का एक डाटाबेस बनाएंगी और उस जानकारी का बुकलेटों, पैम्फलेटों, जागरूकता कार्यक्रमों और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिये प्रसार करेंगे। वे वृद्धाश्रमों का भी दौरा करेंगे और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधओं की उपलब्धता एवं सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करेंगे। वे वरिष्ठ नागरिकों के स्वयं सहायता समूहों की स्थापना को बढ़ावा देंगे और सुसाध्य बनाएंगे ताकि वरिष्ठ नागरिकों को सामुदायिक समर्थन मिल सके और उनकी दूसरों पर निर्भरता कम हो सके।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016

एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं : एसिड हमले हिंसा का सर्वाधिक घातक स्वरूप है और ये अधिकांशतः महिलाओं के उपर होते हैं। ये हमले प्रायः विवाह के प्रस्ताव अथवा यौन प्रस्तावों से इन्कार करने के परिणामस्वरूप होते हैं। दहेज, सम्पत्ति, जमीन और उत्तराधिकार से जुड़े विवादों के परिणामस्वरूप भी एसिड हमले किए जा सकते हैं। समस्या के स्वरूप और इसकी बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर, हाल ही में विभिन्न कानूनी एवं न्यायिक पहले की गई है। इनमें कठोर दंड, एसिड की बिक्री पर कोर्ट के आदेश पर प्रतिबंध और ऐसे हमलों के पीड़ितों को राज्य पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत न्यूनतम क्षतिपूर्ति राशि निर्धरित करने हेतु प्रावधान करने के लिए भारतीय दंड संहिता में धारा 326ए और 326बी जोड़ा जाना शामिल है।

योजना के उद्देश्य : इस योजना के मुख्य उद्देश्य है एसिड हमले के पीड़ितों की पात्राताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और प्रसार करना तथा विभिन्न विधिक प्रावधनों एवं सरकारी योजनाओं के तहत चिकित्सा सुविधाओं, पुनर्वास सेवाओं, पर्याप्त क्षतिपूर्ति एवं अन्य लाभों को प्राप्त करने में उन्हें सहायता प्रदान करना।

कार्य योजना : जले हुए के उपचार की सुविधा वाले अस्पतालों में विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। ये क्लिनिक पीड़ितों और उनके संबंधियों के साथ उन्हें उचित चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में सर्वसंभव मदद सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से संपर्क करते रहेंगे। पीड़ितों एवं उनके परिवार के सदस्यों को परामर्श, पुनर्वास सेवाएं और सक्रिय समर्थन एवं सहायता की व्यवस्था पैरा लीगल वॉलंटियर करेंगे। विधिक सेवा संस्थाएं पीड़ितों को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत प्रदान की जाने वाली तत्काल एवं पर्याप्त क्षतिपूर्ति के लिए व्यवस्था करेगी। पीड़ितों को उनके आपराधिक मामलों पर कार्रवाई के लिए निःशुल्क विधिक प्रतिनिध्वि प्रदान किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ट्रायल के दौरान उनके साथ उचित और सम्मानजनक व्यवहार किया जाए।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481,2227555, FAX: 2227602, Help line No.15100)

क्रमांक :– RSLSA/B/22605-22639 दिनांक :– 21.01.2015

प्रेषिति :

श्रीमान् अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
समस्त राजस्थान।

विषय :– कारागृहों में निरूद्ध बन्दियों तथा विधिक से संघर्षरत किशोरों को विधिक सलाह, साक्षरता एवं विधिक सहायता प्रदान करने के क्रम में।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 8373–8407 दिनांक 02.07.2012 के क्रम में।

महोदय,

हम सबका यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि कारागृहों में निरूद्ध व्यक्तियों एवं विधि से संघर्षरत किशोरों सहित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 में वर्णित वर्गो का कोई पात्र व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता के अभाव में न्याय पाने से वंचित नहीं रहे।

उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निर्देशानुसर अनुरोध है कि सभी वर्गो के पात्र व्यक्तियों को बिना देरी के निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ कृपया प्रत्येक माह के तृतीय शनीवार (अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस) को 4.00 पी.एम. पर जिला मुख्यालय पर स्थित कारागृह एवं ताल्लुका स्थित कारागृह पर संबंधित विधिक जागरूकता टीम (दो पैनल अधिवक्तागण एवं दो पैरा लीगल वोलेन्टियर) को भिजवायें जो कारागृह में निरूद्ध जिन बन्दियों के पास पैरवी के लिये अधिवक्ता नहीं है उनका विवरण निम्न प्रपत्र में आपको या ताल्लुका समिति के अध्यक्ष को प्रेषित करें :–

क.सं.	बन्दी का नाम, पिता का नाम, उम्र, निवासी	एफ.आई.आर. नं. एवं पुलिस थाने का नाम	न्यायालय का नाम जहॉ प्रकरण लंबित है एवं लंबित प्रकरण का नं. व उनवान	आपराधिक प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6

यदि किसी विचाराधीन बन्दी ने आरोपित अपराध के लिये निर्धारित कारावास की सजा की आधी अवधि कारागृह में गुजार ली है तो उसके संबंध में निम्न प्रपत्र में विवरण आपको या ताल्लुका समिति अध्यक्ष को प्रेषित करें:–

क्र.सं.	बन्दी का नाम, पिता का नाम, उम्र, निवासी	एफ.आई. आर. नं. एवं पुलिस थाने का नाम	न्यायालय का नाम जहॉ प्रकरण लंबित है एवं लंबित प्रकरण का नं. व उनवान	आपराधिक प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी	बन्दी की गिरफ्तारी की तिथि एवं आरोपित अपराध के लिये निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि
1	2	3	4	5	6

दोषसिद्धी के पश्चात कारावास की सजा काट रहे ऐसे बन्दियों का विवरण भी आपको या संबंधित ताल्लुका अध्यक्ष को निम्न प्रफोर्मा में प्रेषित करें जो अधिवक्ता के अभाव में अपील/निगरानी दायर नहीं कर पाये हैः–

क्र.सं.	बन्दी का नाम, पिता का नाम, उम्र, निवासी	न्यायालय का नाम जहॉ से दोषसिद्धी किया गया है व दण्डित किया गया है एवं केस का नम्बर व उनवान	निर्णय का दिनांक	अधिरोपित कारावास की अवधि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6

उपरोक्त विवरण एकत्रित करने के अलावा विधिक जागरूकता टीम के सदस्य कारागृह में निरूद्ध व्यक्तियों को आवश्यक कानूनी जानकारी देंगे, जेल मैन्युअल के अनुसार उनके अधिकार, कर्तव्य एवं उनके प्रकरणों के बारे में उनकी जिज्ञासाओं का समाधन करेंगे तथा आवश्यक होने पर कानूनी सलाह प्रदान करेंगे।

इसी तरह कृपया अपने न्यायक्षेत्र में स्थित किशोर गृह/सम्प्रेषण गृह/विशेष सम्प्रेषण गृह पर भी विधिक जागरूकता टीम को प्रत्येक माह के चतुर्थ शनिवार (अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस) को 4.00 पी.एम. पर भिजवायें जो संबंधित प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क करे एवं वहॉ निरूद्ध ऐसे किशोरों का विवरण निम्न प्रपत्र में आपको अविलम्ब प्रेषित करे जिनका कोई अधिवक्ता न्यायमित्र के रूप में पहले से नियुक्त नहीं हैः–

क्र.सं.	निरूद्ध किशोर का नाम, पिता का नाम, उम्र, निवासी	न्यायालय का नाम जहॉ से दोषसिद्धी की गई है व विशेष होम में सुधार के लिये भेजा गया है।	निर्णय की दिनांक	विशेष सम्प्रेषण गृह में भेजने की अवधि	प्रकरण में पैरवी हेतु कोई अधिवकता पूर्व से उपलब्ध है या नहीं
1	2	3	4	5	6

इसी तरह किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर की दोषसिद्धी के पश्चात विशेष सम्प्रेषण गृह में निरूद्ध किशोर गण के संबंध में निम्न प्रपत्र में आवश्यक विवरण आपको प्रेषित करेंः–

क्र. सं.	निरूद्ध किशोर का नाम, पिता का नाम, उम्र, निवासी	एफ.आई.आर. नं. एवं पुलिस थाने का नाम	न्यायालय का नाम जहॉ प्रकरण लंबित है एवं लंबित प्रकरण का नं. व उनवान	आपराधिक प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी	विशेष सम्प्रेषण गृह में दोषसिद्ध किशोर को रखने की अवधि
1	2	3	4	5	6

विधिक जागरूकता टीम किशोरगण को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देगी, उन्हें अपराध एवं कुसंगति से दूर रहने के बारे में सलाह, सुझाव एवं प्रेरणा देगी। यदि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा है या संबंधित किशोर गृह की स्थितियों मे सुधार की आवश्यकता है तो उसका नोट तैयार कर आपको प्रेषित करेंगी।

कृपया उपरोक्तानुसार विवरण प्राप्त होते ही जेल मे निरूद्ध व्यक्तियों को एवं सम्प्रेषण गृह में निरूद्ध किशोरगण को निशुल्क पैनल अधिवक्ता/रिटेनर अधिवक्ता की निशुल्क सहायता उपलब्ध करायें एवं पात्र अभियुक्त की ओर से धारा 436 (ए) द.प्र.सं. के तहत अविलम्ब जमानत आवेदन पत्र रिटेनर अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कराऐं।

यदि विधिक जागरूकता टीम का कोई सदस्य अनुपस्थित है या अपनी सेवायें देने में असमर्थ है तो उसके स्थान पर दूसरे पैनल अधिवक्ता या पैरा लीगल वोलेन्टियर को भिजवायें एवं यह सुनिश्चित करें कि प्रतिमाह निर्धारित समय व दिवस पर विधिक जागरूकता टीम उपरोक्त कार्यवाही सम्पादित करे।

प्रासंगिक पत्र में निर्धारति दरों के अनुसार प्रत्येक पैनल अधिवक्ता को 500/–रूपये एवं पैरा लीगल वोलिन्टर को 250/–रूपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय का भुगतान करें साथ ही उनके द्वारा आने जाने के लिये वाहन की व्यवस्था करने पर 6/रूपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आवागमन खर्च का भी भुगतान करें। इसी तरह रिटेनर/पैनल अधिवक्ता को पैरवी करने पर नियमानुसार निर्धारित मानदेय का भुगतान करें।

कृपया विधिक जागरूकता टीम के सदस्यों को निर्धारित मानदेय का भुगतान करने से पूर्व संबंधित कारागृह/किशोर गृह के प्रभारी से निम्न आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करें:–

<u>प्रमाण पत्र</u>

कारागृह/उप कारागृह

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक .....को.....बजे विधिक जागरूकता टीम के सदस्यगण सर्वश्री 1.....2.....3.....4.....इस कारागृह/उप करागृह में आए और उन्होंने बन्दियों/किशोरगण को कानूनी जानकारी/सलाह/ सहायता प्रदान की।

पुनः अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि प्रति माह उपरोक्त कार्यवाही प्रभावी तरीके से सम्पादित हो एवं एक भी अभिरक्षा में निरूद्ध व्यक्ति निशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से वंचित नहीं रहे।

कृपया एक विधिक सेवा के लिपिक से संलग्न प्रारूप में रजिस्टर संधारित कराऐं एवं इसी प्रारूप में मासिक पालना रिपोर्ट आगामी माह की 15 तारीख तक इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायें ताकि उसे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ रखा जा सके।

सादर!

भवदीय,
(सतीश कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

संलग्न–उपरोक्तानुसार।